

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2019—पौष 28, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-869-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएस., कलेक्टर, जिला आगर-मालवा को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजय गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. राजावत, राप्रसे., अपर कलेक्टर जिला आगर-मालवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला आगर-मालवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. एस. राजावत, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-1053-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री शैलबाला मार्टिन, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी इन्टरस्टेट ट्रांसपोर्ट एथोरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी इन्टरस्टेट ट्रांसपोर्ट एथोरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-1090-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सरिता, वाला ओम प्रजापति, भाप्रसे., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता वाला ओम प्रजापति, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सरिता वाला ओम प्रजापति, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सरिता वाला ओम प्रजापति, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्र. ई.-1-335-2018-5-एक.—श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001), आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-685-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को दिनांक 17 दिसम्बर 2018

से 4 जनवरी 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्र. ई.-5-765-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे., (1996) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम एवं सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम एवं सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-869-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएस., कलेक्टर, जिला आगर-मालवा को इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) निर्देशानुसार उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश प्रशासकीय कारणों से निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-1028-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज खत्री, आयएस., कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मनोज खत्री, भाप्रसे, की अवकाशअवधि में डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला पन्ना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोज खत्री, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला पन्ना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज खत्री, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-339-2018-5-एक.—श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे (2001), कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री महेश चन्द्र चौधरी द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्री जे. के. जैन, भाप्रसे (2001), कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-411-2016-5-एक.—श्री ललित कुमार दाहिमा, भाप्रसे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2017-AIS (I)-B, दिनांक 9 जनवरी 2018 द्वारा भाप्रसे में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गई है। भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14014/03/2007-AIS -I, दिनांक 16 जनवरी 2018 से उन्हें भाप्रसे संवर्ग में आवंटन वर्ष 2008 प्रदान किया गया है। आवंटन वर्ष 2008 के आधार पर श्री ललित कुमार दाहिमा द्वारा भाप्रसे में 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2017 को पूर्ण कर ली जाने के फलस्वरूप उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG) की पात्रता उद्भूत हो गई है। तथापि चूंकि भाप्रसे में श्री ललित कुमार दाहिमा की वास्तविक रूप से नियुक्ति दिनांक 9 जनवरी 2018 को हुई है, अतः श्री ललित कुमार दाहिमा को दिनांक 1 जनवरी 2017 से काल्पनिक रूप से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800—209200 (पे मेट्रिक्स-12) स्वीकृत किया जाता है। श्री ललित कुमार दाहिमा को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का वास्तविक लाभ भाप्रसे में नियुक्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 9 जनवरी 2018 से प्राप्त होगा।

क्र. ई-5-1038-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सांगवान, आयएस, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन जिला सतना को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सांगवान, आयएस को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सांगवान, आयएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सांगवान, आयएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-340-2018-5-एक.—श्री ऋषि गर्ग, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-341-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

| क्र. (1) | अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2) | नवीन पदस्थापना (3) |
|-------------|---|--|
| 1 | श्री अशोक बर्णवाल (1991) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग. | प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग. |
| 2 | श्री प्रमोद अग्रवाल (1991) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अति. प्रभार). | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अति. प्रभार). |
| 3 | श्री विवेक अग्रवाल (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम. |
| 4 | श्री हरिरंजन राव (1994) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, विमानन विभाग (अति. प्रभार) तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (अति. प्रभार). | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, वि.क.अ.-सह- आयुक्त, पर्यटन तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग. |
| 5 | श्रीमती रेनु तिवारी (2000) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग. | सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन. |
| 6 | श्री पी. नरहरि (2001) आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, आयुक्त, विमानन तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अति. प्रभार). | सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, विमानन विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा आयुक्त, -विमानन. |

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती रेनु तिवारी द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1987), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान, न्यासी सचिव, भारत भवन एवं अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई.-5-967-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सोमेश मिश्र, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1024-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रमेश भण्डारी, आयएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री रमेश भण्डारी की अवकाश अवधि में श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश भण्डारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-342-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

| क्र. | अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (1987) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार). | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार). |
| 2 | श्री मनु श्रीवास्तव (1991) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार). | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार). |

(4) श्री रमेश भण्डारी द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे, कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रमेश भण्डारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश भण्डारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-341-2018-5-एक.—श्रीमती रेनु तिवारी, भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती रेनु तिवारी द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष कुमार, भाप्रसे (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा संचालक, संस्कृति एवं संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, संस्कृति के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

2. उपरोक्तानुसार श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा पशुपालन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

3. श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-343-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

| क्र. | अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया |
|------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री श्रीनिवास शर्मा (2003) अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग, जबलपुर. | कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा | — |
| 2 | श्री दुर्ग विजय सिंह (2004) कलेक्टर, जिला बालाघाट. | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 3 | श्री अशोक कुमार वर्मा (2004) कलेक्टर, जिला ग्वालियर. | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 4 | श्री राहुल जैन (2005) कलेक्टर, जिला सतना. | संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल | अपर सचिव म. प्र. शासन |
| 5 | श्री आशीष सक्सेना (2005) कलेक्टर, जिला झाबुआ. | कलेक्टर, जिला होशंगाबाद | — |
| 6 | श्री शशांक मिश्रा (2007) कलेक्टर, जिला बैतूल. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 7 | श्री ओ. पी. श्रीवास्तव (2007) कलेक्टर, जिला मंदसौर. | कलेक्टर, जिला रीवा | — |
| 8 | श्री अभय कुमार वर्मा (2007) कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल (अति. प्रभार). | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|------------------------------------|-----|
| 9 | श्री भरत यादव (2008) कलेक्टर, जिला मुरैना. | कलेक्टर, जिला ग्वालियर | — |
| 10 | श्रीमती सुरभि गुप्ता (2008) अपर संचालक, संचालनालय, कौशल विकास, जबलपुर तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड (अति. प्रभार). | कलेक्टर, जिला डिण्डोरी | — |
| 11 | श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008) कलेक्टर, जिला शिवपुरी. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 12 | श्री गोपाल चन्द्र डाड (2008) कलेक्टर, जिला सिवनी. | कलेक्टर, जिला खरगौन | — |
| 13 | श्री दिलीप कुमार (2008) कलेक्टर, जिला सीधी. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 14 | श्री वीरेन्द्र सिंह रावत (2008) कलेक्टर, जिला दतिया. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 15 | श्री आलोक कुमार सिंह (2008) कलेक्टर, जिला सागर. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 16 | श्री शमीम उद्दीन (2008) संचालक, पंचायतीराज तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग. | कलेक्टर, जिला अलीराजपुर | — |
| 17 | सुश्री प्रियंका दास (2009) कलेक्टर, होशंगाबाद. | कलेक्टर, जिला मुरैना | — |
| 18 | श्री तरुण कुमार पिथौड़े (2009) कलेक्टर, जिला सीहोर. | कलेक्टर, जिला बैतूल | — |
| 19 | श्री अभिषेक सिंह (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग (अति. प्रभार). | कलेक्टर, जिला सीधी | — |
| 20 | श्री धनराजू एस. (2009) कलेक्टर, जिला भिण्ड. | कलेक्टर, जिला मंदसौर | — |
| 21 | सुश्री प्रीति मैथिल (2009) कलेक्टर, जिला रीवा. | कलेक्टर, जिला सागर | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|------------------------------------|-----|
| 22 | श्री वेदप्रकाश (2009) कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 23 | श्री शशिभूषण सिंह (2009) कलेक्टर, जिला खरगौन. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 24 | श्री सत्येन्द्र सिंह (2009) कलेक्टर, जिला बुरहानपुर. | कलेक्टर, जिला सतना | — |
| 25 | श्री गणेश शंकर मिश्रा (2010) कलेक्टर, जिला अलीराजपुर. | कलेक्टर, जिला सीहोर | — |
| 26 | श्री भास्कर लक्षकार (2010) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अति. प्रभार). | कलेक्टर जिला गुना | — |
| 27 | श्री छोटे सिंह (2010) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल (अति. प्रभार). | कलेक्टर जिला भिण्ड | — |
| 28 | श्री दीपक कुमार सक्सेना (2010) उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल. | कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर | — |
| 29 | श्री रामप्रताप सिंह जादौन (2010) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग. | कलेक्टर, जिला दतिया | — |
| 30 | श्री बसंत कुर्रे (2010) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर. | कलेक्टर, जिला श्योपुर | — |
| 31 | श्री सौरभ कुमार सुमन (2011) कलेक्टर, जिला श्योपुर. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 32 | डॉ. विजय कुमार जे. (2011) कलेक्टर, जिला दमोह. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 33 | सुश्री अनुग्रह पी. (2011) कलेक्टर, जिला अनूपपुर. | कलेक्टर, जिला शिवपुरी | — |
| 34 | श्री बी. विजय दत्ता (2011) कलेक्टर, जिला गुना. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--|--------------------------|
| 35 | श्री मोहित बुंदस (2011) कलेक्टर, जिला डिण्डोरी. | अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन |
| 36 | श्री नीरज कुमार सिंह (2012) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर. | कलेक्टर, जिला दमोह | — |
| 37 | श्री चन्द्रमोहन ठाकुर (2012) संचालक, प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल. | कलेक्टर, जिला अनूपपुर | — |
| 38 | श्री रोहित सिंह (2012) अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 39 | श्री दीपक आर्य (2012) अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन. | कलेक्टर, जिला बालाघाट | — |
| 40 | श्रीमती हर्षिका सिंह (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर. | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 41 | सुश्री रजनी सिंह (2013) अवकाश से लौटने पर. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर. | — |
| 42 | सुश्री शीतला पटले (2014) अवकाश से लौटने पर. | अपर कलेक्टर, जिला बैतूल | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन |

2. उपरोक्तानुसार श्री राहुल जैन द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा भाप्रसे (1997), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 1 से 5 जनवरी 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक,

आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, सौंप गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-800-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, भाप्रसे., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को दिनांक 17 से 21 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खरे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-896-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएस., सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-951-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश गृह

निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1049-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमर पाल सिंह, आयएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर पाल सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-345-2018-5-एक.—श्री संजीव सिंह, भाप्रसे (2005), संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (MPSSDM) (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-880-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहनलाल मीणा, आयएस., संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 30 दिसम्बर, 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहनलाल मीणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मोहनलाल मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहनलाल मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-913-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती दिशा नागवंशी, अपर कलेक्टर, मुख्यालय, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दिशा नागवंशी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-932-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बक्की कार्तिकेयन, आयएस., अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बक्की कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बक्की कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बक्की कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-986-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला-सिंगरौली को दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ऋजु बाफना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-346-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

| क्र. | अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया |
|------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री निशांत वरवड़े (2003) कलेक्टर, जिला इन्दौर. | मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल. | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन. |
| 2 | श्री मालसिंह भयडिया (2006) कलेक्टर, जिला उमरिया. | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 3 | श्री अविनाश लवानिया (2009) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल. | अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर | — |
| 4 | श्री उमेश कुमार (2009) संचालक, एमपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग. | कलेक्टर, जिला बुरहानपुर | — |
| 5 | श्री जगदीश चन्द्र जटिया (2009) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल. | कलेक्टर, जिला मण्डला | — |
| 6 | श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव (2009) कलेक्टर, जिला नीमच. | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 7 | श्री प्रबल सिपाहा (2009) संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर. | कलेक्टर, जिला झाबुआ | — |
| 8 | श्री अमरपाल सिंह (2009) अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग सागर. | कलेक्टर, जिला उमरिया | — |
| 9 | श्री अनय द्विवेदी (2010), कलेक्टर, जिला मण्डला. | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 10 | श्री कर्मवीर शर्मा (2010) कलेक्टर, जिला राजगढ़. | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 11 | श्री अभिजीत अग्रवाल (2010) कलेक्टर जिला टीकमगढ़. | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय | — |
| 12 | श्री सौरभ कुमार सुमन (2011) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय. | कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ | — |
| 13 | श्री बी. विजय दत्ता (2011) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय. | आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन |
| 14 | सुश्री निधि निवेदिता (2012) अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर. | कलेक्टर, जिला राजगढ़ | — |
| 15 | श्री प्रवीण सिंह अढ्यायच (2012) आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना. | कलेक्टर, जिला सिवनी | — |
| 16 | श्री राजीव रंजन मीना (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास. | कलेक्टर, जिला नीमच | — |

2. उपरोक्तानुसार श्री निशांत वरवड़े द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-344-2018-5-एक.—श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को एतद्द्वारा अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-346-2018-5-एक.—श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे (2004), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-409-2017-5-1.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा पर श्री बसंत प्रताप सिंह, भाप्रसे, (म. प्र. 1984), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 1 जुलाई से 31 दिसम्बर 2018 तक सेवावृद्धि प्रदान की गई है।

2. राज्य शासन श्री बसंत प्रताप सिंह, भाप्रसे, (म. प्र. 1984), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को उक्त सेवावृद्धि समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 31 दिसम्बर 2018 (अपराह्न) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव “कार्मिक”.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-630-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री नीरज मंडलोई, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव, उच्च

शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त करते हुए दिनांक 29, 30 नवम्बर 2018, दिनांक 1 दिसम्बर 2018 कुल तीन दिन का आकस्मिक अवकाश दिनांक 2 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 3 दिसम्बर 2018 के स्थानीय अवकाश के लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है।

क्र. ई-5-948-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 10 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-1031-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2018 से दिनांक 10 जनवरी 2019 तक, छियालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-765-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे (1996) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य

भण्डार गृह निगम एवं सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से दिनांक 5 जनवरी 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-924-आयएस-लीव-5-एक.—श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएस., संचालक, प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1(ए)144-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं

दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर ग्वालियर (म. प्र.) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

| | | | |
|----|----------------------------|---|--------|
| 1. | श्री पंकज श्रीवास्तव | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती अनुमिता श्रीवास्तव | — | पत्नी |
| 3. | कु. पंकिता श्रीवास्तव | — | पुत्री |
| 4. | श्री प्रत्युष श्रीवास्तव | — | पुत्र |

(2) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे का चालू कार्य श्री सुनील कुमार पाटीदार, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला-बुरहानपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2019

फा. क्र. 6260-2018-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

| क्र. | नाम एवं वर्तमान पद | पदस्थापना |
|------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | श्री पंकज गौर, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--|
| 2 | श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, मण्डला. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना के पद पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना के अतिरिक्त प्रभार के साथ. |
| 3 | श्री राम प्रकाश मिश्रा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सोहागपुर जिला होशंगाबाद. | प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर. |
| 4 | श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, दसवें अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी. |

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2019

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक) 6091-2018.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4, सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 28, 29, 31, 38 तथा 60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

| अनु- क्रमांक | न्यायाधिकारी का नाम | पदस्थापना का स्थल | सिविल जिले का नाम | मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम | ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| “5. | श्री सज्जन सिंह सिसोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, के अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर. | अशोकनगर | अशोकनगर | अशोकनगर | अशोकनगर |
| “28 | श्री देव कुमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, डिण्डोरी. | डिण्डोरी | डिण्डोरी | डिण्डोरी | डिण्डोरी |
| 29. | श्री कपिल वर्मा, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, खण्डवा. | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा |
| 31. | सुश्री नेहा प्रधान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, चाचौड़ा. | चाचौड़ा | गुना | चाचौड़ा | चाचौड़ा |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 38. | श्री गौतम कुमार गुजरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, जबलपुर. | जबलपुर | जबलपुर | जबलपुर | जबलपुर |
| 60. | श्री महेन्द्र पाल सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, सागर. | सागर | सागर | सागर | सागर |

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-6091-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 5, 28, 29, 31, 38 and 60 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

| S. No. | Name of Nyayadhikari | Place of Posting | Name of Civil District | Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level | Name of Headquarter of Gram Nyayalaya |
|--------|--|------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| "5. | Shri Sajjan Singh Sisodiya, Additional Judge to 1st Civil Judge, Class-I, Ashoknagar. | Ashoknagar | Ashoknagar | Ashoknagar | Ashoknagar |
| 28. | Shri Dev Kumar, IIIrd Civil Judge Class-II, Dindori. | Dindori | Dindori | Dindori | Dindori |
| 29. | Shri Kapil Verma, VIth Civil Judge Class-I, Khandwa. | Khandwa | Khandwa | Khandwa | Khandwa |
| 31. | Sushri Neha Pradhan, Ist Civil Judge Class-II, Chachoda. | Chachoda | Guna | Chachoda | Chachoda |
| 38. | Shri Goutam Kumar Gujre IVth Civil Judge Class-I, Jabalpur. | Jabalpur | Jabalpur | Jabalpur | Jabalpur |
| 60. | Shri Mahendra Pal Singh, IInd Civil Judge Class-I, Sagar. | Sagar | Sagar | Sagar | Sagar" |

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2019

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब-(एक)6009-2018.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नीचे सारणी के कालम (3) में वर्णित जिलों में गठित तथा कॉलम (2) में दर्शाये गए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन गठित "विशेष न्यायालयों को जहां तक कि उनका संबंध अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) के अन्तर्गत दोनों के अधीन पंजीबद्ध दंडनीय अपराधों के बारे में केवल उन मामलों में विचारण से है", को विशेषतया सशक्त करती है, अर्थात्:—

सारणी

| अनुक्रमांक (1) | विशेष न्यायालय का नाम (2) | जिले का नाम (3) |
|-------------------|--|--------------------|
| "1. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, भिण्ड. | भिण्ड |
| 2. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, छतरपुर. | छतरपुर |
| 3. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दतिया. | दतिया |
| 4. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, ग्वालियर. | ग्वालियर |
| 5. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, मुरैना. | मुरैना |
| 6. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, श्योपुर. | श्योपुर |
| 7. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, शिवपुरी. | शिवपुरी |
| 8. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, टीकमगढ़. | टीकमगढ़ |
| 9. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, रीवा. | रीवा |
| 10. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सतना. | सतना |
| 11. | विशेष न्यायालय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पन्ना. | पन्ना" |

F. No. 1-7-81-XXI-B(One) 6009-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (1-A) & (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh, Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby specially empowers the Special Court constituted under Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1981) shown in column (2) of the Districts mentioned in column (3) of the table below for the purposes of said Act “as far as they relates to the trial of only those cases registered in respect of offences punishable under both the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981), namely:—

SCHEDULE

| S. No. (1) | Name of Special Court (2) | District (3) |
|---------------|--|-----------------|
| 1. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Bhind. | Bhind |
| 2. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Chhatarpur. | Chhatarpur |
| 3. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Datia. | Datia |
| 4. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Gwalior. | Gwalior |
| 5. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Morena. | Morena |
| 6. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Sheopur. | Sheopur |
| 7. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Shivpuri. | Shivpuri |
| 8. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Tikamgarh. | Tikamgarh |
| 9. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Rewa. | Rewa |
| 10. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Satna. | Satna |
| 11. | Special Court, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Panna. | Panna” |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. बी-15-1-2004-चौदह-2.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये अध्यक्ष श्री माधव सिंह दांगी एवं उपाध्याक्ष श्री मुन्ना सिंह भदौरिया का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

जितेन्द्र सिंह परिहार, अवर सचिव.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-2-01-2018-साठ.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2019

क्र. 03-143-2018-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (1983 का 36) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

क्र. 1-143-2018-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा सामान्य प्रशासन

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

क्र. 05-143-2018-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 13 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

क्र. 07-143-2018-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 3 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा पुरानी जेल परिसर एवं भैल, दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 7 जनवरी 2019 से दिनांक 11 जनवरी 2019 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्र. 10554-स.अ (का.)-2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं छवि भारद्वाज, आई.ए.एस. कलेक्टर, जबलपुर कैलेण्डर वर्ष 2019 में जबलपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:—

| क्र. (1) | त्यौहार का नाम (2) | स्थानीय अवकाश की तारीख (3) | दिन (4) | रिमांक (5) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 1 | होली भाईदोज | 22 मार्च, 2019 | शुक्रवार | संपूर्ण जिला |
| 2 | दशहरा का दूसरा दिन | 09 अक्टूबर 2019 | बुधवार | संपूर्ण जिला |
| 3 | गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन). | 28 अक्टूबर, 2019 | सोमवार | संपूर्ण जिला |

2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश, कोषालय/उप कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा.

छवि भारद्वाज, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-सीधी मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 3 जनवरी 2019

क्र. 01-आरडीएम-2019.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क)10-2015-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 6 सितम्बर 2018, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पृ. पत्र क्र. पु.म./18/योजना/3/6/-ए, दिनांक 18 मई 2018 एवं पुलिस अधीक्षक सीधी के पत्र क्रमांक/पु.अ./सीधी/एस-1/11557-ए/2018, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 के अनुसार 5750 नवीन पदों के अन्तर्गत जिला सीधी में चौकी जमोड़ी, थाना कोतवाली सीधी का उन्नयन कर नवीन थाना जमोड़ी की स्वीकृत शासन स्तर पर प्रदान की गई है. जिला सीधी अन्तर्गत निम्नांकित ग्राम थाना जमोड़ी अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं:—

| क्र. (1) | नवीन पुलिस थाना का नाम (2) | ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा (वार्ड . . . में स्थिति है) (3) |
|-------------|-------------------------------|---|
| 1 | नवीन थाना जमोड़ी | अमरवाह, जमोड़ी, तेन्दुआ, पनवार, खिरखोरी, डेम्हा, पड़खुरी नं. 2, बंजारी मुठिगवां, करगिल, कुर्वाह, कशिहवा, गाड़ा, खोह, चौपाल कोठार, छिरौही, सपनी दुआरी, डेवाडाड़, धनखोरी, नौगवां धीर सिंह, दर्शन सिंह, बशौड़हा भेलकी कला/खुर्द, मधुरी, सोनवर्षा, सुकवाही, बघवारी, रझौहां, पड़रा, कारीमाटी, कठौली, मोर्चा, लोहरा, मौहरिया, डडहवा, अधियारखोह, छिवलहवा, दक्षिण करौंदिया, नेबूहा, बैरिहा, पड़खुरी, कठास, गांधीग्राम, बहरिया टोला, हड़बड़ों, भाठा, सेमरहिया, मोर्चा, सिरसी, तेगवा, बनिया टोला, माड़ापानी, चरकीपानी, डोलकोठार, इंटौही, कोचिया, बमुरी, नौदिया, सतनराकोठार, सतनरा पवाई, टोनादह, झांझर, जिंदहा, छुईपाई, बगौहा, गोड़हा, गजराह, बोदरहा, मसुरिहा सरखनिहा, अकला, समरदह, तिलमानी कोठार, पोखडौर, कठठा, सजहा, समदा. |

उपरोक्तानुसार कालम नं. 03 में वर्णित ग्रामों को नवसृजित थाना जमोड़ी में एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं. उक्त नवसृजित थाना के संचालन/संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.

अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. एफ-1-6-18-रा.स.-यू.ए.1-28.—सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची के कुलपति के दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक एफ-1-4-18-रा.स.-यू.ए.1-2172, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, संस्कृति विभाग को उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिनका स्थानांतरण अन्य विभाग में हो गया है।

(2) अतः, राज्य शासन के परामर्श अनुसार सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय सांची जिला रायसेन (म. प्र.) के कुलपति के पद का प्रभार श्रीमती रेनु तिवारी, वर्तमान सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है।

आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

कार्यालय, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्र. एफ-1-4-15-रा.स.-यू.ए.1-59.—प्रो. प्रियव्रत शुक्ल, कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2019 को प्रस्तुत त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

(2) अतः, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर में नये कुलपति की नियुक्ति होने तक प्रो. के. एन. सिंह यादव, कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा उनके पदीय दायित्वों के साथ-साथ, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के कुलपति के पद का कार्य भी संपादित करेंगे।

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. 2440-भू-अर्जन-18-प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18.—

// घोषणा //

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास में कुल 0.720 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.720 हे. है. जो ग्राम बीराखेड़ी तहसील देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

| क्र. सं. | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता | सीमाएं | | | |
|----------|------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---|--------|---|----|---|
| | | | | | | उ | द | पू | प |
| 1 | 153/2 | निजी भूमि | सिंचित | 0.120 | श्री किशोरीलाल पिता नंदराम भील | | | | |
| 2 | 159 | निजी भूमि | असिंचित | 0.030 | श्री पूनमचंद पिता नंदा | | | | |
| 3 | 160 | निजी भूमि | असिंचित | 0.030 | श्री रामप्रसाद, हजारीलाल पिता किशन, छोटीबाई बेवा किशन | | | | |
| 4 | 161 | निजी भूमि | सिंचित | 0.060 | श्री संजय पिता प्रहलाद | | | | |
| 5 | 162 | निजी भूमि | सिंचित | 0.060 | भागीरथ पिता मल्लाजी गारी | | | | |
| 6 | 175/1 | निजी भूमि | सिंचित | 0.080 | धर्मेन्द्र, कमल पिता उमराव गीताबाई विधवा उमराव गारी | | | | |
| 7 | 176 | निजी भूमि | सिंचित | 0.170 | सरदार पिता धूलजी गारी | | | | |
| 8 | 177 | निजी भूमि | असिंचित | 0.160 | मोहम्मद असलम शेख, मोहम्मद अकरम शेख पिता मोहम्मद हुसैन शेख नायता | | | | |
| 9 | 173 | निजी भूमि | सिंचित | 0.010 | रुगनाथ पिता छोटू गारी | | | | |

| वृक्ष | |
|-------|--------|
| किस्म | संख्या |
| निरंक | निरंक |

| संरचना | |
|--------|--------------|
| प्रकार | कुर्सी एरिया |
| - | - |

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या - है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास जिला देवास क्षेत्र 0.720 (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 2446-भू-अर्जन-18-प्र. क्र. 02-अ-82-2017-18.—

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम बीराखेड़ी तहसील देवास में कुल 0.140 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.140 हे. है जो ग्राम बीराखेड़ी तहसील देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

| क्र. सं. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता | सीमाएं | | | |
|----------|------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--|--------|---|----|----|
| | | | | | | उ | द | पू | प. |
| 1 | 234/3 237/2/1 | निजी भूमि | असिंचित | 0.140 | मेसर्स शिवशक्ति लेण्ड एवं फायर्नेस, तर्फे भागीदार श्री राकेशकुमार पिता रमेशकुमार अग्रवाल निवासी 54, शालिनी रोड़, देवास | | | | |

| वृक्ष | |
|-------|--------|
| किस्म | संख्या |
| निरंक | निरंक |

| संरचना | |
|--------|--------------|
| प्रकार | कुर्सी एरिया |
| - | - |

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 01 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम बीराखेड़ी तहसील देवास जिला देवास क्षेत्र 0.140 (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 1 जनवरी 2019

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर-जवाहरलाल-2018-19-01.—

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लि०, शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क. | जिला/विकास खण्ड | कय केन्द्र | ग्रामों की संख्या | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|----|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1. | खरगोन/कसरावद | फैक्ट्री गेट | 52 | 1053.829 |
| 2 | खरगोन/खरगोन | फैक्ट्री गेट | 03 | 6.822 |
| 3 | खरगोन/गोगावा | फैक्ट्री गेट | 15 | 96.623 |
| 4 | खरगोन/सेगावा | फैक्ट्री गेट | 00 | 00 |
| 5 | खरगोन/भीकनगांव | फैक्ट्री गेट | 09 | 72.215 |
| 6 | खरगोन/झिरन्या | फैक्ट्री गेट | 03 | 21.170 |
| 7 | खरगोन/भगवानपुरा | फैक्ट्री गेट | 02 | 10.943 |
| 8 | खरगोन/महेश्वर | फैक्ट्री गेट | 34 | 269.167 |
| 9 | खरगोन/बड़वाह | फैक्ट्री गेट | 29 | 247.996 |
| 10 | खण्डवा/पुनासा | फैक्ट्री गेट | 16 | 83.664 |
| 11 | धार/धरमपुरी | फैक्ट्री गेट | 00 | 0.00 |
| 12 | धार/उमरबन | फैक्ट्री गेट | 02 | 31.32 |
| 13 | धार/मनावर | फैक्ट्री गेट | 00 | 0.00 |
| | कुल | | 165 | 1893.749 |

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसा.लिमि.
शक्कर कारखाना यूनिट,सरवरदेवला तह.कसरावद जिला खरगोन
पैराई सत्र 2018-19 में गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र की
विकासखण्डवार जानकारी

जिला खरगोन

| क | विकास खण्ड का नाम | ग्राम संख्या | गन्ना क्षेत्र हक्टे. में | | | | रिमार्क |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| | | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | कसरावद | 63 | 500.231 | 489.304 | 422.336 | 1411.870 | |
| 2 | खरगोन | 4 | 32.765 | 23.862 | 0.000 | 56.628 | |
| 3 | गोगावा | 15 | 53.279 | 22.494 | 20.850 | 96.623 | |
| 4 | सेगावा | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | भीकनगांव | 9 | 53.879 | 14.510 | 10.498 | 78.887 | |
| 6 | झिरन्या | 3 | 9.988 | 7.121 | 4.061 | 21.170 | |
| 7 | भगवानपुरा | 2 | 5.830 | 5.113 | 0.000 | 10.943 | |
| 8 | महेश्वर | 39 | 135.947 | 157.522 | 92.105 | 385.575 | |
| 9 | बडवाह | 29 | 124.413 | 88.470 | 35.113 | 247.996 | |
| | कुल योग | 164 | 916.332 | 808.397 | 584.964 | 2309.692 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड कसरावद जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | कसरावद | 0.000 | 0.000 | 2.320 | 2.320 | 11 |
| 2 | मोगावा | 10.081 | 22.862 | 43.490 | 76.433 | 13 |
| 3 | ब्राम्हणगांव | 1.510 | 9.551 | 26.012 | 37.073 | 13 |
| 4 | दोगावा | 2.619 | 8.320 | 6.931 | 17.870 | 6 |
| 5 | कोगावा | 0.000 | 2.291 | 0.000 | 2.291 | 12 |
| 6 | बडगांव | 21.733 | 23.534 | 20.789 | 66.057 | 14 |
| 7 | कठोरा(माकडखेडा) | 16.259 | 21.951 | 25.502 | 63.713 | 14 |
| 8 | माकडखेडा | 51.830 | 46.721 | 83.603 | 182.154 | 16 |
| 9 | सायता | 3.332 | 9.429 | 4.121 | 16.883 | 14 |
| 10 | बोथू | 36.652 | 36.802 | 33.599 | 107.053 | 17 |
| 11 | छोटी कसरावद | 1.239 | 0.879 | 2.279 | 4.397 | 14 |
| 12 | भीलगांव | 0.652 | 0.352 | 2.538 | 3.543 | 14 |
| 13 | डोंगरगांव | 0.312 | 4.028 | 1.198 | 5.538 | 16 |
| 14 | बालसमुद | 2.239 | 6.279 | 2.680 | 11.198 | 19 |
| 15 | बलगांव | 29.470 | 16.291 | 24.951 | 70.713 | 22 |
| 16 | ढालखेडा | 5.939 | 9.449 | 0.640 | 16.028 | 23 |
| 17 | जालनपुरा | 18.911 | 19.939 | 10.150 | 49.000 | 23 |
| 18 | साटकुर | 2.838 | 0.000 | 0.000 | 2.838 | 18 |
| 19 | सलीमपुरा | 1.142 | 0.000 | 0.538 | 1.680 | 22 |
| 20 | काछीपुरा | 0.000 | 0.000 | 0.858 | 0.858 | 19 |
| 21 | बामंदा | 1.409 | 0.000 | 0.000 | 1.409 | 17 |
| 22 | बामंदी | 3.802 | 1.822 | 0.000 | 5.623 | 17 |
| 23 | साडली | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.769 | 13 |
| 24 | रेगवा | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 0.680 | 20 |
| 25 | बलखड | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.291 | 26 |
| 26 | गवला | 4.012 | 0.000 | 0.000 | 4.012 | 19 |
| | योग | 216.271 | 240.502 | 293.652 | 750.425 | |

657.633

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड कसरावद जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| | पिछले पेज का योग | 216.271 | 240.502 | 293.652 | 750.425 | |
| 27 | खलसाटका | 12.223 | 15.895 | 3.312 | 31.429 | 30 |
| 28 | खलसाटक | 2.101 | 2.518 | 0.000 | 4.619 | 30 |
| 29 | निमराणी | 14.158 | 10.381 | 4.619 | 29.158 | 38 |
| 30 | चिचली | 24.781 | 20.441 | 16.579 | 61.802 | 35 |
| 31 | भोइन्दा | 44.688 | 38.046 | 7.733 | 90.437 | 39 |
| 32 | कडोस भोइन्दा | 8.741 | 0.911 | 0.000 | 9.652 | 40 |
| 33 | जरोली | 8.850 | 7.579 | 0.579 | 17.008 | 37 |
| 34 | मगरखेडी | 10.231 | 1.429 | 0.000 | 11.660 | 39 |
| 35 | पानवा | 2.789 | 13.692 | 7.822 | 24.304 | 26 |
| 36 | मालपुरा | 9.510 | 0.911 | 0.000 | 10.421 | 38 |
| 37 | सरवरदेवला | 15.696 | 16.955 | 1.789 | 34.441 | 2 |
| 38 | बहादरपुरा | 0.951 | 0.980 | 0.000 | 1.931 | 1 |
| 39 | पिपलई | 2.401 | 7.721 | 1.020 | 11.142 | 2 |
| 40 | बोरावा | 6.652 | 11.668 | 1.518 | 19.838 | 4 |
| 41 | भनगाव | 22.190 | 5.312 | 4.543 | 32.045 | 6 |
| 42 | कवडी | 11.842 | 3.891 | 0.000 | 15.733 | 9 |
| 43 | अहिल्यापुरा | 0.599 | 0.000 | 0.000 | 0.599 | 5 |
| 44 | गोपालपुरा | 2.251 | 0.000 | 3.721 | 5.972 | 6 |
| 45 | चंदनपुरी | 7.988 | 9.543 | 3.530 | 21.061 | 22 |
| 46 | उटावद | 17.049 | 8.595 | 0.000 | 25.644 | 7 |
| 47 | सागवी | 1.951 | 0.000 | 0.000 | 1.951 | 10 |
| 48 | मुलठान | 1.769 | 1.951 | 0.000 | 3.721 | 18 |
| 49 | खामखेडा | 0.000 | 1.761 | 0.000 | 1.761 | 21 |
| 50 | भुलगाव | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.211 | 17 |
| | योग | 445.895 | 420.652 | 350.417 | 1216.964 | |

पेराई सत्र 2018-19 में विकास खण्ड कसरावद जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|------------------|--------------------|----------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| पिछले पेज का योग | | 445.895 | 420.652 | 350.417 | 1216.964 | |
| 51 | खेडी (सेलानी) | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 17 |
| 52 | डाबरी | 0.000 | 0.000 | 1.680 | 1.680 | 30 |
| 53 | मलतार | 0.000 | 1.360 | 0.000 | 1.360 | 36 |
| 54 | हतोला | 0.000 | 0.000 | 3.073 | 3.073 | 35 |
| 55 | बलकवाडा | 0.000 | 0.000 | 2.077 | 2.077 | 27 |
| 56 | सामेडा | 1.291 | 0.000 | 4.907 | 6.198 | 15 |
| 57 | टिगरियाव | 0.000 | 0.000 | 1.551 | 1.551 | 14 |
| 58 | पिपलगोन | 0.000 | 1.360 | 0.000 | 1.360 | 20 |
| 59 | तेलियाव | 0.291 | 0.769 | 0.000 | 1.061 | 28 |
| 60 | कोगावा | 3.409 | 2.182 | 2.271 | 7.862 | 13 |
| 61 | अमलाथा | 39.09 | 53.980 | 50.571 | 143.636 | 15 |
| 62 | नहारखेडी | 6.810 | 4.300 | 1.081 | 12.190 | 15 |
| 63 | ससाबड | 3.251 | 4.700 | 4.709 | 12.660 | 23 |
| योग | | 500.231 | 489.304 | 422.336 | 1411.870 | 808 |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड खरगोन जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|--------|-------|--------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| ✓1 | डेहरी | 28.215 | 21.591 | 0.000 | 49.806 | 35 |
| ✓2 | डोगरगांव (लोनारा) | 2.470 | 0.000 | 0.000 | 2.470 | 39 |
| ✓3 | जेतापुर | 0.000 | 0.951 | 0.000 | 0.951 | 35 |
| ✓4 | दामखेडा | 2.081 | 1.320 | 0.000 | 3.401 | 39 |
| | योग | 32.765 | 23.862 | | 56.628 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड गोगावां जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|-----|--------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| ✓1 | बेजापुर | 10.429 | 6.632 | 1.789 | 18.850 | 54 |
| ✓2 | बिलखेड बुजुर्ग | 5.449 | 2.231 | 1.130 | 8.810 | 57 |
| ✓3 | बोरगांव | 4.049 | 0.619 | 0.000 | 4.668 | 55 |
| ✓4 | मोहम्मदपुर | 5.911 | 0.000 | 0.000 | 5.911 | 57 |
| ✓5 | गोगावां | 4.291 | 2.020 | 0.000 | 6.312 | 53 |
| ✓6 | दयालपुरा | 0.951 | 0.000 | 0.000 | 0.951 | 54 |
| ✓7 | लाखी | 0.951 | 0.000 | 0.000 | 0.951 | 57 |
| ✓8 | खारदा | 2.162 | 0.571 | 2.340 | 5.073 | 47 |
| ✓9 | टिबगांव | 3.911 | 0.802 | 0.000 | 4.713 | 45 |
| ✓10 | कुंडिया | 0.000 | 4.182 | 0.000 | 4.182 | 47 |
| ✓11 | कुकडोल | 7.190 | 0.538 | 6.142 | 13.870 | 46 |
| ✓12 | कुम्हारखेडा | 1.239 | 2.198 | 9.449 | 12.887 | 46 |
| ✓13 | उमरखली | 4.543 | 2.700 | 0.000 | 7.243 | 51 |
| ✓14 | बिस्टान | 1.020 | 0.000 | 0.000 | 1.020 | 51 |
| ✓15 | बिलाली | 1.182 | 0.000 | 0.000 | 1.182 | 56 |
| | योग | 53.279 | 22.494 | 20.850 | 96.623 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड भीकनगांव जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | सगुर भगुर | 15.008 | 5.729 | 6.672 | 20.737 | 76 |
| 2 | सेल्दा | 8.688 | 0.000 | 0.000 | 8.688 | 67 |
| 3 | शकरखेडी | 4.591 | 0.000 | 0.000 | 4.591 | 72 |
| 4 | बमनाला | 11.761 | 6.081 | 2.777 | 20.619 | 64 |
| 5 | दोदवाडा | 2.101 | 0.000 | 0.000 | 2.101 | 67 |
| 6 | बिटनेरा | 7.510 | 0.000 | 0.000 | 7.510 | 49 |
| 7 | बडिया | 0.538 | 1.291 | 0.000 | 1.830 | 56 |
| 8 | बिलखेड खुर्द | 0.721 | 1.409 | 1.049 | 3.178 | 56 |
| 9 | खुडगांव | 2.960 | 0.000 | 0.000 | 2.960 | 70 |
| | योग | 53.879 | 14.510 | 10.498 | 72.215 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड झिरन्या जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|-------|-------|--------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | गोराडिया | 9.008 | 7.000 | 4.061 | 20.069 | 86 |
| 2 | नेमित | 0.879 | 0.000 | 0.000 | 0.879 | 90 |
| 3 | देवित बुजुर्ग | 0.101 | 0.121 | 0.000 | 0.223 | 90 |
| | योग | 9.988 | 7.121 | 4.061 | 21.170 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड भगवानपुरा जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|-------|-------|--------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | भगवानपुरा | 1.559 | 5.113 | 0.000 | 6.672 | 70 |
| 2 | बाडी | 4.271 | 0.000 | 0.000 | 4.271 | 69 |
| | योग | 5.830 | 5.113 | 0.000 | 10.943 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड महेश्वर जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|---------|--------|---------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | जलकोटा | 5.733 | 19.555 | 14.121 | 39.409 | 39 |
| 2 | खसडी | 8.830 | 13.259 | 6.672 | 28.761 | 30 |
| 3 | खारिया | 0.000 | 1.571 | 0.000 | 1.571 | 44 |
| 4 | मोला | 6.449 | 3.449 | 1.709 | 11.607 | 54 |
| 5 | लालपुरा | 0.142 | 0.810 | 0.482 | 1.433 | 38 |
| 6 | मोरीपुरा | 1.101 | 0.000 | 1.271 | 2.372 | 38 |
| 7 | कुडियां | 0.000 | 0.000 | 1.899 | 1.899 | 46 |
| 8 | माघद | 10.668 | 4.300 | 5.816 | 20.777 | 44 |
| 9 | महेश्वर | 2.291 | 11.700 | 1.020 | 15.012 | 36 |
| 10 | हरसगांव | 1.462 | 0.842 | 0.000 | 2.304 | 31 |
| 11 | दहीवर | 0.000 | 0.389 | 0.000 | 0.389 | 48 |
| 12 | लाडवी | 0.239 | 1.150 | 2.579 | 3.968 | 32 |
| 13 | सुल्याखेडी | 2.142 | 2.931 | 0.000 | 5.073 | 41 |
| 14 | मण्डलेश्वर | 13.680 | 7.883 | 2.020 | 23.583 | 22 |
| 15 | मोगावा | 0.000 | 0.830 | 0.000 | 0.830 | 43 |
| 16 | ठनगांव | 1.332 | 3.478 | 0.000 | 4.810 | 32 |
| 17 | मोहना | 6.656 | 4.053 | 0.000 | 10.709 | 48 |
| 18 | करोदिया | 1.300 | 3.429 | 0.000 | 4.729 | 34 |
| 19 | छोटी खरगोन | 1.162 | 1.020 | 3.449 | 5.632 | 30 |
| 20 | राजपुरा (मण्ड) | 7.409 | 4.259 | 0.000 | 11.668 | 39 |
| 21 | चौली | 0.672 | 0.000 | 0.130 | 0.802 | 38 |
| 22 | धरगांव | 0.000 | 0.899 | 0.919 | 1.818 | 33 |
| 23 | सुलगांव | 8.842 | 16.903 | 6.668 | 32.413 | 38 |
| 24 | केरियाखेडी | 1.389 | 0.000 | 0.850 | 2.239 | 40 |
| 25 | गोगावा(मण्डलेश्वर) | 4.931 | 15.773 | 6.709 | 27.413 | 38 |
| 26 | नान्दा | 0.000 | 0.000 | 2.110 | 2.110 | 36 |
| 27 | डोजर | 8.073 | 5.972 | 8.052 | 22.096 | 38 |
| 28 | डीगार | 14.028 | 8.563 | 10.053 | 32.644 | 45 |
| 29 | चौगावां | 0.000 | 2.368 | 5.109 | 7.478 | 40 |
| 30 | रामदढ | 1.429 | 1.109 | 5.016 | 7.555 | 39 |
| | योग | 109.960 | 136.494 | 86.648 | 333.101 | 244.157 |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड महेश्वर जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|------|--------------------|----------------------------|---------|--------|---------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| | पिछले पेज का योग | 109.960 | 136.494 | 86.648 | 333.101 | |
| X 31 | भतमूर | 5.348 | 6.000 | 0.688 | 12.036 | 39 |
| ✓ 32 | देव पिपल्या | 1.842 | 1.061 | 0.000 | 2.903 | 41 |
| ✓ 33 | उरवाय | 8.899 | 1.061 | 0.000 | 9.960 | 50 |
| X 34 | बडकी | 7.737 | 4.320 | 3.368 | 15.425 | 32 |
| ✓ 35 | पथराड | 0.000 | 0.899 | 0.000 | 0.899 | 41 |
| ✓ 36 | सोमाखेडी | 0.000 | 0.640 | 0.000 | 0.640 | 42 |
| ✓ 37 | बंडेरा | 0.000 | 0.000 | 1.401 | 1.401 | 44 |
| ✓ 38 | समराज | 2.162 | 4.000 | 0.000 | 6.162 | 34 |
| ✓ 39 | कतरगांव | 0.000 | 3.049 | 0.000 | 3.049 | 41 |
| | योग | 135.947 | 157.522 | 92.105 | 385.575 | 25.014 |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड बडवाह जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|-----|--------------------|----------------------------|--------|--------|---------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| ✓1 | बफलगांव | 0.551 | 0.000 | 0.599 | 1.150 | 62 |
| ✓2 | अमलाथा | 4.271 | 3.704 | 1.352 | 9.328 | 62 |
| ✓3 | मुरल्ला | 12.502 | 8.490 | 2.449 | 23.441 | 68 |
| ✓4 | बावडी खेडा | 0.822 | 2.980 | 0.000 | 3.802 | 66 |
| ✓5 | अस्तारिया | 13.182 | 16.073 | 5.381 | 34.636 | 61 |
| ✓6 | टोकी | 4.279 | 0.332 | 0.000 | 4.611 | 70 |
| ✓7 | सिरलाय | 8.988 | 0.000 | 2.632 | 11.619 | 67 |
| ✓8 | बडवाह | 0.000 | 0.000 | 1.781 | 1.781 | 65 |
| ✓9 | कटघडा | 1.891 | 1.089 | 1.579 | 4.559 | 67 |
| ✓10 | रतनपुरा | 22.348 | 11.154 | 2.360 | 35.862 | 64 |
| ✓11 | भोगासा | 0.000 | 1.389 | 0.000 | 1.389 | 59 |
| ✓12 | पिपलूद (जेठवाय) | 0.000 | 0.279 | 0.000 | 0.279 | 57 |
| ✓13 | भोकर नाला | 0.000 | 3.652 | 6.142 | 9.794 | 68 |
| ✓14 | लोटी | 2.522 | 6.530 | 0.000 | 9.053 | 28 |
| ✓15 | कानापुर | 1.559 | 0.000 | 0.000 | 1.559 | 32 |
| ✓16 | मर्दाना | 2.599 | 0.000 | 0.000 | 2.599 | 39 |
| ✓17 | नगावा | 5.575 | 1.802 | 3.300 | 10.676 | 41 |
| ✓18 | मलगांव बेडिया | 1.012 | 0.000 | 0.000 | 1.012 | 31 |
| ✓19 | रावेरखेडी | 5.142 | 5.231 | 0.000 | 10.372 | 45 |
| ✓20 | डाल्खाखेडी | 0.000 | 1.700 | 0.000 | 1.700 | 42 |
| ✓21 | आली | 0.000 | 1.259 | 1.150 | 2.409 | 59 |
| ✓22 | बेडिया | 1.360 | 0.000 | 0.000 | 1.360 | 45 |
| ✓23 | डुडगांव | 0.000 | 1.271 | 0.000 | 1.271 | 43 |
| ✓24 | राहटकोड | 1.842 | 0.000 | 0.000 | 1.842 | 59 |
| ✓25 | बडूद | 6.810 | 4.611 | 2.680 | 14.101 | 56 |
| ✓26 | पीतनगर | 12.579 | 0.000 | 0.000 | 12.579 | 65 |
| ✓27 | बासवा | 10.749 | 4.352 | 1.879 | 16.980 | 66 |
| ✓28 | जूनापानी (बेडिया) | 0.000 | 4.320 | 0.000 | 4.320 | 64 |
| ✓29 | खनगांवखेडी | 3.830 | 8.251 | 1.830 | 13.911 | 64 |
| | योग | 124.413 | 88.470 | 35.113 | 247.996 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पैराई सत्र 2018-19 मे विकास खण्ड पुनासा जिला खण्डवा में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | रिच्छफल | 2.312 | 7.279 | 0.000 | 9.591 | 94 |
| 2 | जूनापानी | 2.911 | 6.150 | 2.381 | 11.441 | 94 |
| 3 | मोहना | 0.352 | 0.000 | 0.000 | 0.352 | 86 |
| 4 | अटुट | 4.680 | 2.781 | 1.830 | 9.291 | 86 |
| 5 | कोठी | 0.000 | 3.729 | 0.000 | 3.729 | 73 |
| 6 | कालिया खेडी | 0.000 | 0.761 | 0.000 | 0.761 | 94 |
| 7 | गोल | 0.559 | 0.000 | 2.012 | 2.571 | 80 |
| 8 | दयानतपुरा | 2.089 | 0.000 | 2.660 | 4.749 | 85 |
| 9 | निमारखेडी | 1.271 | 1.441 | 0.000 | 2.713 | 74 |
| 10 | थापना | 1.490 | 5.340 | 0.000 | 6.830 | 68 |
| 11 | नादियाखेडी | 1.482 | 1.170 | 0.000 | 2.652 | 97 |
| 12 | जमलापानी | 0.640 | 0.000 | 0.000 | 0.640 | 95 |
| 13 | डुडगांव (मोहना) | 1.089 | 1.020 | 1.190 | 3.300 | 93 |
| 14 | नरलाय | 0.972 | 0.579 | 0.000 | 1.551 | 81 |
| 15 | कामनखेडा | 8.474 | 8.696 | 0.000 | 17.170 | 82 |
| 16 | गुजरखेडी | 2.579 | 1.263 | 2.482 | 6.324 | 92 |
| | योग | 30.899 | 40.211 | 12.555 | 83.664 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पैराई सत्र 2018-19 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण की विकास खण्डवार जानकारी

जिला धार

| क. | जिला का नाम | ग्राम संख्या | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | रिमारक |
|----|-------------|--------------|----------------------------|---------|--------|---------|--------|
| | | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | धरमपुरी | 22 | 98.273 | 214.735 | 75.652 | 388.660 | |
| 2 | उमरबन | 19 | 144.166 | 258.921 | 40.899 | 443.986 | |
| 3 | मनावर | 6 | 80.000 | 133.022 | 51.000 | 264.022 | |
| | योग | 47 | 322.44 | 606.68 | 167.55 | 1096.67 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 018-19 मे विकास खण्ड धरमपुरी जिला धार में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | गुलाटी | 0.000 | 0.000 | 2.150 | 2.150 | 43 |
| 2 | निमोला | 12.579 | 9.611 | 2.142 | 24.332 | 39 |
| 3 | पिपल्दागढी | 22.530 | 22.802 | 7.332 | 52.664 | 38 |
| 4 | कुन्हेरा | 7.401 | 14.401 | 1.130 | 22.932 | 35 |
| 5 | शाला | 1.688 | 5.109 | 0.939 | 7.737 | 34 |
| 6 | खलघाट | 5.810 | 10.482 | 5.389 | 21.680 | 33 |
| 7 | बगडीपूरा | 1.170 | 1.850 | 1.980 | 5.000 | 47 |
| 8 | सुन्देल | 11.611 | 26.652 | 6.190 | 44.453 | 46 |
| 9 | पटलावद | 2.842 | 4.951 | 0.000 | 7.794 | 44 |
| 10 | धामनोद | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 1.700 | 40 |
| 11 | मोरगढी | 3.130 | 3.250 | 0.000 | 6.380 | 36 |
| 12 | भाटपुरा | 6.461 | 26.411 | 10.518 | 43.390 | 46 |
| 13 | देगावां | 0.000 | 3.240 | 1.690 | 4.930 | 49 |
| 14 | धेगदा | 3.050 | 5.130 | 2.120 | 10.300 | 46 |
| 15 | चंदावड | | 2.050 | | 2.050 | 57 |
| 16 | बेगन्दा | 0.000 | 4.250 | 0.000 | 4.250 | 46 |
| 17 | धरमपुरी | 5.000 | 15.000 | 0.000 | 20.000 | 45 |
| 18 | खुजावा | 0.000 | 12.960 | 0.000 | 12.960 | 46 |
| 19 | हतनावर | 12.600 | 16.765 | 28.372 | 57.138 | 51 |
| 20 | फल्वापुरा | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 49 |
| 21 | बगडी | 3.000 | 21.860 | 2.000 | 26.860 | 52 |
| 22 | खारपुरा | 0.000 | 7.960 | 0.000 | 7.960 | 52 |
| | योग | 98.27 | 214.73 | 75.65 | 388.66 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 018-19 मे विकास खण्ड उमरबन जिला धार में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|---------|--------|---------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | टवलई | 3.660 | 11.101 | 0.000 | 14.761 | 55 |
| 2 | कोडडा | 17.239 | 22.59 | 0.00 | 39.830 | 58 |
| 3 | राजपुरा | 5.040 | 7.931 | 0.000 | 12.972 | 60 |
| 4 | जलखेडा | 0.000 | 0.000 | 1.729 | 1.729 | 73 |
| 5 | मिर्जापुर | 14.709 | 8.579 | 0.000 | 23.287 | 75 |
| 6 | कुवाली | 5.000 | 16.190 | 0.000 | 21.190 | 73 |
| 7 | सुलगांव | 16.543 | 20.870 | 2.688 | 40.101 | 53 |
| 8 | खतडगांव | 22.753 | 17.360 | 4.178 | 44.291 | 52 |
| 9 | मोगांवा | 3.810 | 11.879 | 3.182 | 18.870 | 60 |
| 10 | देबलस | 16.130 | 17.182 | 4.170 | 37.482 | 55 |
| 11 | लुन्हेरा (टवलई) | 0.641 | 5.603 | 3.530 | 9.745 | 59 |
| 12 | डेडगांव | 0.000 | 2.040 | 0.000 | 2.040 | 54 |
| 13 | बडवा | 15.834 | 57.944 | 12.000 | 85.778 | 76 |
| 14 | जोतपुर | 7.000 | 21.680 | 0.000 | 28.680 | 75 |
| 15 | स्तवा | 2.879 | 6.251 | 3.769 | 12.899 | 77 |
| 16 | शरीकपुरा | 5.000 | 16.190 | 2.000 | 23.190 | 76 |
| 17 | मलनगांव | 7.960 | 13.919 | 1.012 | 22.891 | 77 |
| 18 | अजन्वा | 0.000 | 1.610 | 0.000 | 1.610 | 71 |
| 19 | उरदना | 0.000 | 0.000 | 2.640 | 2.640 | 95 |
| | योग | 144.166 | 258.921 | 40.899 | 443.986 | |

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 018-19 मे विकास खण्ड मनावर जिला धार में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

| क. | गन्ना ग्राम का नाम | गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में) | | | | मिल से ग्राम की रोड दूरी |
|----|--------------------|----------------------------|---------|--------|---------|--------------------------|
| | | रोपा | जडी | तडी | योग | |
| 1 | अछोदा | 23.000 | 9.312 | 0.000 | 32.312 | 95 |
| 2 | सेमहदा | 12.000 | 21.450 | 31.000 | 64.450 | 92 |
| 3 | करोली | 18.000 | 36.000 | 17.000 | 71.000 | 90 |
| 4 | पेरखड | 5.000 | 16.000 | 0.000 | 21.000 | 94 |
| 5 | एककलबारा | 20.000 | 45.000 | 0.000 | 65.000 | 102 |
| 6 | कवठी | 2.000 | 5.260 | 3.000 | 10.260 | 102 |
| | योग | 80.000 | 133.022 | 51.000 | 264.022 | |

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म. प्र. भोपाल

क/गन्ना/एस-3/क्षे.आर./ओलम/2018-19/10

भोपाल, दिनांक /12/2018
03/01/2019

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैसाई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु ओलम एग्रो इण्डिया प्रा0लि0 युनिट बड़वानी शुगर, तहसील-ठीकरी, जिला- बड़वानी (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला/विकास खण्ड | कय केन्द्र | ग्रामों की संख्या | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1 | बड़वानी/ठीकरी | फैक्ट्री गेट | 52 | 2272.60 |
| 2 | बड़वानी/राजपुर | फैक्ट्री गेट | 06 | 15.28 |
| 3 | बड़वानी/सैधवा | फैक्ट्री गेट | 05 | 41.91 |
| 4 | बड़वानी/बड़वानी | फैक्ट्री गेट | 00 | 00 |
| 5 | खरगोन/कसरावद | फैक्ट्री गेट | 17 | 770.52 |
| 6 | खरगोन/खरगोन | फैक्ट्री गेट | 01 | 55.12 |
| 7 | खरगोन/महेश्वर | फैक्ट्री गेट | 06 | 135.62 |
| 8 | धार/धरमपुरी | फैक्ट्री गेट | 31 | 672.91 |
| 9 | धार/उमरबन | फैक्ट्री गेट | 28 | 578.64 |
| 10 | धार/मनावर | फैक्ट्री गेट | 00 | 00 |
| | कुल | | 146 | 4542.60 |

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैसाई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

ओलम एग्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड
युनिट : बड़वानी शुगर
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

**गन्ना क्षेत्र आरक्षण सत्र 2018-19 हेतु प्रस्तावित जिला बड़वानी की
विकासखण्ड वार, ग्रामवार सूची**

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | जिला | ग्राम संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेयर |
|------|------------------|---------|--------------|--------------------|
| 1 | ठीकरी | बड़वानी | 68 | 2538.09 |
| 2 | राजपुर | बड़वानी | 19 | 15.28 |
| 3 | सैधवा | बड़वानी | 10 | 41.91 |
| 4 | बड़वानी | बड़वानी | 88 | 94.02 |
| | योग | | 105 | 2689.30 |

विकासखण्ड - टीकरी (जिला बड़वानी)

| क्रं. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | कुआं | 3 | 3 | 194.52 |
| 2 | केरवा | 2 | 3 | 20.36 |
| 3 | कपाल्याखेड़ी | 3 | 6 | 25.18 |
| 4 | घटवा | 1 | 1 | 61.14 |
| 5 | अभाली | 2 | 3 | 58.68 |
| 6 | भगवानपुरा | 2 | 2 | 77.39 |
| 7 | जरवाह | 2 | 7 | 88.53 |
| 8 | उमरदा | 2 | 2 | 57.67 |
| 9 | हतोला | 13 | 13 | 1.70 |
| 10 | सेगवाल | 2 | 4 | 113.18 |
| 11 | टीकरी | 4 | 6 | 235.94 |
| 12 | रणगांव | 5 | 6 | 40.15 |
| 13 | खुरमपुरा | 5 | 15 | 12.41 |
| 14 | मदसब्या | 9 | 21 | - |
| 15 | रहड़कोट | 11 | 23 | - |
| 16 | कुडिया | 2 | 7 | - |
| 17 | बांदरकच्छ | 13 | 16 | 8.61 |
| 18 | ब्राम्हणगांव | 6 | 10 | 105.89 |
| 19 | लखनगांव | 9 | 13 | 21.72 |
| 20 | अजंटी | 5 | 12 | 15.77 |
| 21 | देवला | 6 | 9 | 39.92 |
| 22 | रसवाडेब | 10 | 17 | 15.29 |
| 23 | मारुचिचली | 13 | 13 | 69.90 |
| 24 | चेनपुरा | 11 | 20 | 46.52 |
| 25 | गवला | 11 | 13 | 44.36 |
| 26 | कुदामाल | 6 | 15 | - |
| 27 | ननगांव | 5 | 13 | 24.07 |
| 28 | दवाना | 5 | 7 | 138.13 |
| 29 | विश्वनाथखेड़ा | 8 | 17 | 72.02 |
| 30 | बलगांव | 5 | 8 | 8.59 |
| 31 | कालापानी | 4 | 12 | - |
| 32 | टिटगारिया | 7 | 10 | 52.48 |
| 33 | दाबड़ | 5 | 10 | 43.53 |
| 34 | सेमल्दा डेब | 12 | 16 | 6.53 |
| 35 | घट्टी | 5 | 10 | 3.92 |

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 36 | बावडिया | 17 | 19 | 12.85 |
| 37 | फत्यापुर | 19 | 20 | 2.07 |
| 38 | किरमोही | 19 | 23 | 32.44 |
| 39 | मंडवाड़ा | 22 | 23 | 43.12 |
| 40 | पिपल्याडेब | 17 | 19 | 9.78 |
| 41 | लोहारा | 16 | 22 | 51.77 |
| 42 | केसरपुरा | 22 | 27 | 47.43 |
| 43 | नलवाय | 13 | 19 | 12.87 |
| 44 | तलवाड़ाडेब | 14 | 16 | 38.40 |
| 45 | पान्या | 22 | 25 | 4.92 |
| 46 | रणगांवडेब | 22 | 25 | 33.61 |
| 47 | उत्तावद | 17 | 23 | 36.13 |
| 48 | मिछोला | 19 | 23 | |
| 49 | बिलवाडेब | 18 | 24 | 0.96 |
| 50 | मेहगांव डेब | 11 | 16 | 18.65 |
| 51 | हरीबड | 13 | 29 | 4.67 |
| 52 | वडगांव | 19 | 28 | 2.46 |
| 53 | उजारी | 15 | 34 | |
| 54 | फाड़ला | 17 | 32 | 3.89 |
| 55 | बिलवा रोड | 31 | 37 | 1.62 |
| 56 | मोहन मिर्सा | 25 | 32 | |
| 57 | पत्तासिया | 26 | 29 | |
| 58 | अजड़ | 25 | 32 | 81.84 |
| 59 | भांडीपुरा | 24 | 38 | 85.07 |
| 60 | दसवाला | 28 | 38 | 136.87 |
| 61 | गोलाटा | 28 | 39 | 19.28 |
| 62 | घण्टरी | 27 | 29 | 24.27 |
| 63 | छापरी | 17 | 27 | |
| 64 | सजवाई | 27 | 30 | |
| 65 | अबली | 31 | 37 | 59.00 |
| 66 | छोटा बड़दा | 31 | 37 | 69.90 |
| 67 | सुराना | 22 | 28 | |
| 68 | कोयडिया | 19 | 23 | 2.02 |
| | योग | | | 2538.09 |

सखण्ड - राजपुर (जिला बड़वानी)

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ओझार | 32 | 62 | |
| 2 | रणगावरोड | 29 | 42 | |
| 3 | नामलवाडी | 33 | 68 | |
| 4 | आमलगाव | 24 | 32 | |
| 5 | सनगाव | 17 | 31 | 2.04 |
| 6 | सिनपुत | 17 | 27 | |
| 7 | धिगाव | 18 | 31 | |
| 8 | जलवेडा | 38 | 71 | |
| 9 | राजपुर | 26 | 35 | 1.29 |
| 10 | रपला | 30 | 35 | 1.60 |
| 11 | मंदेल | 26 | 33 | 7.35 |
| 12 | साली | 31 | 33 | |
| 13 | गामसुर | 30 | 32 | |
| 14 | काणेत | 32 | 34 | |
| 15 | साकड़ | 26 | 33 | 1.90 |
| 16 | हामकुरी | 22 | 28 | |
| 17 | भाडी | 22 | 36 | |
| 18 | भरली | 23 | 34 | |
| 19 | रपला | 17 | 30 | 1.10 |
| | योग (06) | | | 15.28 |

सखण्ड - रोधवा (जिला बड़वानी)

किसान व

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | पिसनावल | 45 | 55 | 7.35 |
| 2 | बरला | 72 | 80 | |
| 3 | बलवाडी | 69 | 75 | |
| 4 | दुगाणी | 68 | 75 | |
| 5 | खारिया | 65 | 73 | |
| 6 | अंजनगाव | 52 | 68 | 1.38 |
| 7 | भामनिया | 54 | 68 | 0.29 |
| 8 | रिगली | 51 | 68 | |
| 9 | मेहडगाव | 46 | 68 | 27.91 |
| 10 | सिलदर | 65 | 73 | 4.98 |
| | योग (05) | | | 41.91 |

विकासखण्ड बड़वानी (जिला बड़वानी)

| क्रं. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|-------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | बोरलाम | 35 | 37 | 11.20 |
| 2 | धनोरा | 36 | 40 | 13.20 |
| 3 | गिहरी | 35 | 40 | 6.00 |
| 4 | पिपलुद | 36 | 46 | 40.00 |
| 5 | उदाबद | 38 | 40 | 2.86 |
| 6 | सेगावा | 45 | 45 | 6.40 |
| 7 | खेडी | 34 | 46 | 2.06 |
| 8 | बगूद | 40 | 46 | 12.42 |
| | योग | | | 94.02 |

ओलम एग्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड
युनिट : बड़वानी शुगर
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

गन्ना क्षेत्र आरक्षण सत्र 2018-19 हेतु प्रस्तावित जिला खरगोन की
विकासखण्ड वार, ग्रामवार सूची

| क्रं. | विकासखण्ड का नाम | जिला | ग्राम संख्या | क्षेत्रफल हेक्टर |
|-------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1 | कसरवद | खरगोन | 29 | 911.31 |
| 2 | खरगोन | खरगोन | 03 | 55.12 |
| 3 | महेश्वर | खरगोन | 06 | 135.62 |
| | योग | | 38 | 1102.05 |

विकास खण्ड - कसरावद (जिला खरगोन)

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | निमरानी | 10 | 12 | 37.24 |
| 2 | हत्तीला | 13 | 34 | |
| 3 | जरोली | 5 | 14 | 35.95 |
| 4 | चिचली | 6 | 18 | 170.14 |
| 5 | भोईन्दा | 5 | 18 | 241.70 |
| 6 | कठोरा | 7 | 20 | 45.44 |
| 7 | घाटबेडिया | 7 | 22 | 3.35 |
| 8 | मधोरा | 16 | 30 | |
| 9 | बलगाव | 16 | 21 | 38.48 |
| 10 | वलखण्ड | 14 | 18 | |
| 11 | अहिर धामनाद | 9 | 18 | |
| 12 | खलटाका | 10 | 18 | 57.22 |
| 13 | खलबुजुर्ग | 10 | 18 | 5.27 |
| 14 | मलतार | 12 | 23 | |
| 15 | मालपुरा | 5 | 15 | |
| 16 | जलखा | 17 | 22 | |
| 17 | अकबरपुर | 17 | 21 | |
| 18 | रेगवां | 16 | 21 | 0.65 |
| 19 | सत्राटी | 6 | 12 | 12.37 |
| 20 | पानवा | 15 | 21 | 12.33 |
| 21 | नगावा | 8 | 16 | 1.95 |
| 22 | मगरखेडी | 8 | 12 | 7.63 |
| 23 | खडकवानी | 9 | 17 | 2.99 |
| 24 | पिपलझोपा | 8 | 14 | 10.88 |
| 25 | अबरी | 12 | 44 | |
| 26 | अमलाथा | 32 | 58 | 120.50 |
| 27 | साठकुर | 17 | 27 | 2.85 |
| 28 | बाजसमुद | 18 | 21 | 86.93 |
| 29 | दालखेदा | 21 | 28 | 17.44 |
| | योग | | | 911.31 |

17

विकास खण्ड - खरगोन (जिला खरगोन)

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|----------|------------------|------------------|------------------|
| X 1 | बगवा | 16 | 22 | |
| X 2 | डोंगरगाव | 21 | 65 | |
| 3 | डेहरी | 29 | 38 | |
| | योग | | | 55.12 |
| | | | | 55.12 |

विकास खण्ड - महेश्वर (जिला खरगोन)

उपसंचालक

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
विकास खण्ड - खरगोन

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | बड़वी | 25 | 31 | |
| 2 | खराडी | 24 | 32 | 10.26 |
| 3 | जलकरोटा | 19 | 34 | 38.92 |
| 4 | इटावदी | 28 | 35 | 44.66 |
| 5 | मातपुर | 27 | 33 | 21.23 |
| 6 | माचदा | 26 | 31 | 9.74 |
| | योग | | | 10.81 |
| | | | | 135.62 |

ओलम एग्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड

युनिट : बड़वानी शुगर

तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

गन्ना क्षेत्र आरक्षण सत्र 2018-19 हेतु प्रस्तावित जिला धार की
विकासखण्ड वार, ग्रामवार सूची

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | जिला | ग्राम संख्या | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|------------------|------|--------------|------------------|
| 1 | धारमपुरी | धार | 46 | 672.91 |
| 2 | उमरबन | धार | 36 | 578.64 |
| 3 | मनावर | धार | 04 | 47.00 |
| | योग | | 86 | 1298.55 |

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | खलघाट | 15 | 18 | 39.34 |
| 2 | सुन्देल | 15 | 33 | 95.11 |
| 3 | बगड़ीपुरा | 13 | 34 | 31.49 |
| 4 | सुलगांव | 10 | 36 | 35.00 |
| 5 | हतनावर | 9 | 37 | 93.40 |
| 6 | बगाड़ी | 12 | 36 | 30.36 |
| 7 | खेतडगांव | 16 | 39 | 49.63 |
| 8 | पेड़वी | 12 | 36 | 1.46 |
| 9 | खुजावा | 10 | 32 | 27.04 |
| 10 | धामनोद | 20 | 26 | 27.85 |
| 11 | गिपल्दागढी | 11 | 24 | 46.54 |
| 12 | निमोला | 11 | 26 | 31.50 |
| 13 | मोरगढी | 16 | 22 | 28.88 |
| 14 | साला | 13 | 21 | 10.86 |
| 15 | लुन्हैरा | 12 | 22 | 19.85 |
| 16 | धरमपुरी | 10 | 30 | 32.70 |
| 17 | बगदा | 20 | 28 | 3.48 |
| 18 | ओगावा | 10 | 28 | |
| 19 | पटलावद | 17 | 30 | 7.71 |
| 20 | बलवाड़ा | 17 | 25 | 1.43 |
| 21 | धेगदा | 11 | 38 | 11.67 |
| 22 | पगारा | 14 | 35 | 4.62 |
| 23 | पलामिया | 21 | 32 | |
| 24 | रामपुर | 12 | 28 | |
| 25 | कत्यापुर | 11 | 35 | 1.68 |
| 26 | दगावा | 12 | 36 | 8.44 |
| 27 | खारपुरा | 12 | 36 | 13.25 |
| 28 | डोगरी | 13 | 34 | |
| 29 | डहीवर | 24 | 30 | 0.41 |
| 30 | एकलेश | 10 | 36 | |
| 31 | छोटीनिमरानी | 13 | 33 | |
| 32 | चदावड़ | 14 | 40 | 10.97 |
| 33 | विखसेन | 15 | 26 | |
| 34 | गुलझर | 20 | 28 | |
| 35 | मुण्डना | 14 | 40 | |
| 36 | गुलाटी | 10 | 26 | 0.49 |
| 37 | भाटभूसा | 17 | 30 | |
| 38 | डोंगरगाव | 14 | 35 | |
| 39 | मेहगांव | 18 | 33 | |
| 40 | गुजरी | 23 | 42 | 0.72 |
| 41 | पन्थावा | 18 | 30 | |
| 42 | डोल | 18 | 31 | |
| 43 | बयडीपुरा | 16 | 47 | |
| 44 | झाकरुड | 15 | 38 | 1.85 |
| 45 | भजान्या खुद | 14 | 25 | 3.97 |
| 46 | तारापुर | 21 | 43 | 1.21 |
| | योग | | | 672.91 |

14/8/2018

तारापुर

672.91

विकास खण्ड -- उमरबन

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | रतवा | 20 | 60 | 22.48 |
| 2 | देवलरा | 13 | 38 | 45.68 |
| 3 | कोटडा | 13 | 42 | 94.86 |
| 4 | टवलई | 13 | 38 | 11.09 |
| 5 | गोगावा | 11 | 46 | 33.36 |
| 6 | घटगार | 19 | 50 | 31.33 |
| 7 | छोटो टवलई | 13 | 41 | 19.61 |
| 8 | कुवाली | 23 | 57 | 27.74 |
| 9 | जलखेडा | 22 | 57 | 15.49 |
| 10 | हनभावे | 16 | 48 | |
| 11 | डेडगांव | 14 | 38 | 3.61 |
| 12 | बाकानेर | 21 | 55 | 19.74 |
| 13 | कुडियापुरा | 18 | 40 | 3.95 |
| 14 | राजपुरा | 19 | 53 | 25.95 |
| 15 | झिरवो | 19 | 40 | 18.02 |
| 16 | अमलाथा | 16 | 43 | 16.49 |
| 17 | भरसगांव | 15 | 42 | 7.21 |
| 18 | अहीरवास | 15 | 48 | |
| 19 | कालीबावडी | 16 | 46 | |
| 20 | प्रतापपुर | 18 | 50 | |
| 21 | मोद कानापुर | 12 | 37 | 0.96 |
| 22 | नामड | 15 | 45 | 5.81 |
| 23 | महापुरा | 14 | 40 | 11.34 |
| 24 | मलनगांव | 21 | 60 | 10.67 |
| 25 | निजापुर | 21 | 58 | 8.89 |
| 26 | बाजीपुर | 15 | 46 | |
| 27 | रधा | 22 | 56 | |
| 28 | कामादस | 22 | 70 | |
| 29 | छितरी | 23 | 50 | 1.86 |
| 30 | श्यामजीपुरा | 21 | 60 | |
| 31 | कल्याणपुरा | 16 | 51 | 3.69 |
| 32 | दगडपुरा | 15 | 60 | 0.68 |
| 33 | लुन्देरा | 19 | 43 | 22.01 |
| 34 | भुवादा | 22 | 55 | 16.92 |
| 35 | कलाल्दा | 23 | 51 | 0.87 |
| 36 | बडा बडदा | 24 | 60 | 98.33 |
| | योग | | | 578.64 |

28

AMAGR

विकास खण्ड - मनावर (जिला धार)

| क्र. | ग्राम | हवाई दूरी कि.मी. | सड़क दूरी कि.मी. | क्षेत्रफल हेक्टर |
|------|----------|------------------|------------------|------------------|
| X | अहमदपुरा | 20 | 51 | - |
| X | अजदीमान | 23 | 53 | - |
| X | शरिफपुरा | 25 | 75 | 30.00 |
| X | अंजड़ | 24 | 53 | 17.00 |
| | योग | | 56 | 47.00 |

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर-मॉ रेवा-2018-19-15.—

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु मॉ रेवा शहर प्रा0 लि0, ग्राम-नर्मदानगर, तहसील-कुक्षी, जिला- धार (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला/तहसील | कय केन्द्र | ग्रामों की संख्या | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1 | धार/कुक्षी | फैक्ट्री गेट | 55 | 442.59 |
| 2 | धार/गंधवानी | फैक्ट्री गेट | 14 | 16.15 |
| 3 | धार/मनावर | फैक्ट्री गेट | 54 | 1017.79 |
| 4 | बड़वानी/अंजड़ | फैक्ट्री गेट | 09 | 253.59 |
| 5 | बड़वानी/बड़वानी | फैक्ट्री गेट | 34 | 245.98 |
| 6 | बड़वानी/राजपुर | फैक्ट्री गेट | 07 | 3.6 |
| | कुल | | 173 | 1979.70 |

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मॉ रेवा शुगर प्रा.लि.नर्मदानगर तहसील-कुक्षी
जिला-धार ,(म.प्र.)

| क्रं | तहसील का नाम | जिला | ग्राम संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेर |
|------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| 4 | अंजड़ | बड़वानी | 13 | 334.96 |
| 5 | बड़वानी | बड़वानी | 34 | 245.98 |
| 6 | राजपुर | बड़वानी | 9 | 4.4 |
| | योग | | 56 | 585.34 |

नोट:- उपरोक्त अंजड़, बड़वानी, मनावर, कुक्षी, गंधवानी, राजपुर -तहसील के ओलम शुगर घटवा से समस्त्र ग्रामो कि दूरी अधिक एवं मॉ रेवा शुगर प्रा.लि. नर्मदानगर से समस्त्र ग्रामो की रोड़ दूरी कम है इसलिए नक्शे अनुसार समस्त्र ग्राम मॉ रेवा शुगर प्रा.लि. को आवंटित योग्य है, क्यो कि गन्ना अधिनियम अनुसार जिस कारखाने से रोड़ दूरी कम होगी वह ग्राम नजदिक कारखाने को आवंटन करना होता है। इसलिए सूची में ग्रामवार रकवा एवं रोड़ दूरी अंकित है जिसके मान्य से संलग्न ग्रामो को मॉ रेवा शुगर प्रा.लि. नर्मदानगर को आवंटित किया जाना न्याय संगत होगा।

अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत ।

| अंजड़ (जिला-बड़वानी) | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| कं | ग्राम | क्षेत्रफल हेक्टर | रोड़ दूरी कि.मी. | | |
| | | | माँ रेवा | ओलम शुगर्स | |
| 1 | चकेरी | 4.4 | 29 | 28 | X |
| 2 | अंजड़ | 52.8 | 26 | 31 | X |
| 3 | मोहीपुरा | 0.4 | 34 | 29 | X |
| ✓4 | दतवाड़ा | 111.66 | 33 | 35 | |
| ✓5 | आवली | 55.59 | 33 | 39 | |
| 6 | केसरपुरा (पुनरवास) | 0.5 | 40 | 33 | X |
| ✓7 | छोटा. बड़दा | 82.01 | 31 | 35 | |
| ✓8 | छापरी | 0.5 | 35 | 40 | |
| ✓9 | विलवा रोड | 0.4 | 29 | 39 | |
| ✓10 | सुराना | 0.5 | 33 | 35 | |
| 11 | गोलाटा | 18.66 | 34 | 35 | X |
| 12 | बड़गाँव | 0.6 | 36 | 39 | X |
| ✓13 | झोलपीपरी | 0.4 | 29 | 35 | |
| ✓14 | साजवाय | 2.13 | 36 | 40 | |
| ✓15 | पलासियाँ | 0.4 | 36 | 42 | |
| 16 | लोन्सरा | 9.31 | 27 | 41 | X |
| | योग | 340.26 | | | |

| तहसील-बड़वानी (जिला-बड़वानी) | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| कं | ग्राम | क्षेत्रफल हेक्टर | रोड़ दूरी कि.मी. | |
| | | | माँ रेवा | ओलम शुगर्स |
| 1 | बड़वानी | 35 | 12 | 48 |
| 2 | तलून | 5.99 | 20 | 43 |
| 3 | बोरलाय | 10 | 25 | 39 |
| 4 | धनोरा | 12 | 26 | 34 |
| 5 | पिपरी | 5.76 | 25 | 35 |
| 6 | कालीबेड़ी | 1 | 15 | 35 |
| 7 | तलाड़ा बुजूर्ग | 1.2 | 25 | 35 |
| 8 | पिपलाज | 0.5 | 19 | 41 |
| 9 | कुडिया | 50 | 16 | 43 |
| 10 | छोटी-कसरावद | 18.55 | 9 | 52 |
| 11 | पिपलुद | 35 | 26 | 35 |
| 12 | उटावद | 2.49 | 27 | 34 |
| 13 | सैंगावा | 6.2 | 34 | 37 |
| 14 | करी | 13.18 | 24 | 43 |
| 15 | कल्यानपुरा | 0.5 | 14 | 49 |
| 16 | खेड़ी | 0.5 | 7 | 49 |
| 17 | बगुद | 14 | 25 | 41 |
| 18 | एकलारा | 9.03 | 14 | 47 |

37

40

40

46

40

45

46

46

46

2019

| तहसील-बड़वानी (जिला-बड़वानी) | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| कं | ग्राम | क्षेत्रफल हेक्टर | रोड़ दूरी कि.मी. | |
| | | | मॉ रेवा | ओलम शुगर्स |
| 19 | जागरवा | 0.5 | 28 | 62 |
| 20 | पिछोड़ी | 0.59 | 18 | 66 |
| 21 | जामदा | 0.4 | 15 | 66 |
| 22 | कोठड़ा | 0.3 | 20 | 64 |
| 23 | अवल्दा | 0.5 | 26 | 64 |
| 24 | भावती | 3.2 | 30 | 64 |
| 25 | बिजासन | 0.43 | 42 | 76 |
| 26 | मोरकटा | 0.5 | 40 | 74 |
| 27 | निवा | 0.5 | 39 | 73 |
| 28 | अमलाली | 0.4 | 31 | 65 |
| 29 | पेन्डरा | 0.6 | 16 | 51 |
| 30 | भिलखेड़ा | 8.09 | 15 | 51 |
| 31 | राजधाट (कुकरा) | 1.25 | 16 | 49 |
| 32 | नायनपुरा | 0.5 | 22 | 58 |
| 33 | पाल्या | 4.83 | 22 | 58 |
| 34 | सोन्दुल | 2.49 | 24 | 58 |
| | योग | 245.98 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|----|------|
| ✓ | 2 | भागसुर | 0.5 | 39 | 41 | ✓ |
| ✓ | 3 | कासेल | 0.5 | 40 | 42 | ✓ |
| ✗ | 4 | मंदील | 0.4 | 43 | 39 | ✗ |
| ✓ | 5 | बालकुआँ | 0.5 | 22 | 42 | ✓ |
| ✓ | 6 | भामी | 0.6 | 28 | 46 | ✓ |
| ✓ | 7 | मोरनी | 0.5 | 35 | 48 | ✓ |
| ✗ | 8 | उषला | 0.4 | 55 | 65 | ✗ 35 |
| ✓ | 9 | सिंगुन | 0.5 | 34 | 48 | ✓ |
| | | योग | 4.4 | | | |

207 3-6

माँ रेवा शुगर प्रा.लि.नर्मदानगर तहसील-कुक्षी
जिला-धार (म.प्र.)

| क्रं | तहसील का नाम | जिला | ग्राम संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेर |
|------|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1. | कुक्षी | धार ✓ | 55 | 442.59 |
| 2 | गंधवानी | धार | 14 | 16.55 |
| 3 | मनावर | धार | 54 | 1017.79 |
| 4 | अंजड़ | बड़वानी ✓ | 13 | 334.96 |
| 5 | बड़वानी | बड़वानी | 34 | 245.98 |
| 6 | राजपुर | बड़वानी | 9 | 4.4 |
| | योग | | 179 | 2062.27 |

नोट:- उपरोक्त, अंजड़, बड़वानी, मनावर, कुक्षी, गंधवानी, राजपुर - तहसील के ओलम शुगर घटवा से समस्त्र ग्रामो कि दूरी अधिक एवं माँ रेवा शुगर प्रा.लि. नर्मदानगर से समस्त्र ग्रामो की रोड़ दूरी कम है इसलिए नक्शे अनुसार समस्त्र ग्राम माँ रेवा शुगर प्रा.लि. को आवंटित योग्य है, क्यो कि गन्ना अधिनियम अनुसार जिस कारखाने से रोड़ दूरी कम होगी वह ग्राम नजदिक कारखाने को आवंटन करना होता है। इसलिए सूची में ग्रामवार रकवा एवं रोड़ दूरी अंकित है जिसके मान्य से संलग्न ग्रामो को माँ रेवा शुगर प्रा.लि. नर्मदानगर को आवंटित किया जाना न्याय संगत होगा।

अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत ।

| तहसील-कुक्षी (जिला-धार) | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| कं | ग्राम | मों रेवा | रोड़ दूरी कि.मी. | |
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | मों रेवा | ओलम शुगर्स |
| 1 | चिखल्दा | 39.62 | 4 | 59 |
| 2 | गेहलगॉव | 3.39 | 5 | 63 |
| 3 | मलवाडा | 80.05 | 6 | 55 |
| 4 | कड़माल | 23.21 | 9 | 71 |
| 5 | खापड़खेडा | 37.96 | 8 | 70 |
| 6 | बाजड़ीखेडा | 21.58 | 9 | 70 |
| 7 | नर्मदानगर (खेड़ा- सिस) | 130.32 | 2 | 62 |
| 8 | निसरपुर | 8.45 | 15 | 77 |
| 9 | कोटेश्वर | 0.35 | 21 | 83 |
| 10 | कोणदा | 0.5 | 21 | 83 |
| 11 | दोगावा | 0.5 | 36 | 98 |
| 12 | कुआ-धर्मराय | 0.5 | 34 | 96 |
| 13 | भवरिया | 20.62 | 23 | 85 |
| 14 | पिपल्या | 0.4 | 11 | 73 |
| 15 | पुरा | 1.48 | 6 | 68 |
| 16 | दौंद | 0.4 | 9 | 70 |
| 17 | कोठड़ा | 1.77 | 19 | 80 |
| 18 | बोधवाड़ा | 19.51 | 7 | 69 |
| 19 | लिंगवा | 2.62 | 6 | 68 |
| 20 | बेडबालियो | 0.4 | 10 | 72 |
| 21 | सुसारी | 1.54 | 27 | 89 |
| 22 | करोदीयो | 0.34 | 13 | 75 |

2

| कं | ग्राम | मॉ रेवा | | |
|----|-----------|---------------------|---------|---------------|
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | मॉ रेवा | ओलम शुगर्स |
| 23 | नवादपुरा | 0.1 | 24 | 86 |
| 24 | डेहर | 0.5 | 28 | 90 |
| 25 | देशवालियो | 1.1 | 26 | 88 |
| 26 | कुक्षी | 12.72 | 31 | 93 |
| 27 | बड़दा | 5.92 | 41 | 103 |
| 28 | पड़ियाल | 0.1 | 35 | 97 |
| 29 | कटनेरा | 1.67 | 18 | 80 |
| 30 | कापशी | 9.91 | 38 | 100 |
| 31 | आली | 2.1 | 40 | 102 |
| 32 | सिलकुआँ | 0.4 | 34 | 96 |
| 33 | रिक्ती | 0.4 | 35 | 88 |
| 34 | रसवा | 0.5 | 35 | 88 |
| 35 | तालनपुर | 2.51 | 36 | 98 |
| 36 | डोगरगाँव | 0.1 | 36 | 98 |
| 37 | पिथमपुर | 0.1 | 32 | 94 |
| 38 | बबुलसा | 0.6 | 32 | 94 |
| 39 | अमलझुमा | 0.4 | 35 | 97 |
| 40 | धनोरा | 0.4 | 36 | 98 |
| 41 | लोनी | 0.45 | 29 | 91 |
| 42 | गोरदा | 0.4 | 36 | 98 |
| 43 | रेक्ती | 0.6 | 26 | 91 |
| 44 | खंडवा | 1 | 35 | 97 |

| कं | ग्राम | मॉ रेवा | रोड़ दूरी कि.मी. | |
|----|----------|------------------|------------------|------------|
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | मॉ रेवा | ओलम शुगर्स |
| 45 | दाहोद | 0.4 | 45 | 107 |
| 46 | खरजाना | 0.6 | 46 | 108 |
| 47 | गोगावा | 0.4 | 35 | 97 |
| 48 | गोरडा | 0.8 | 35 | 97 |
| 49 | किकरवास | 0.4 | 36 | 98 |
| 50 | जमदा | 0.1 | 38 | 100 |
| 51 | अतारसुमा | 0.4 | 36 | 98 |
| 52 | खड़जाना | 0.5 | 37 | 99 |
| 53 | बदवानिया | 0.6 | 35 | 98 |
| 54 | सिद्धी | 0.5 | 40 | 102 |
| 55 | बारुद | 0.4 | 40 | 102 |
| | योग | 442.59 | | |

तहसील-गंधवानी (जिला-धार)

| कं | ग्राम | माँ रेवा | रोड़ दूरी कि.मी. | |
|----|---------|------------------|------------------|------------|
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | माँ रेवा | ओलम शुगर्स |
| 1 | सोनगाँव | 0.39 | 20 | 78 |
| 2 | पानवा | 3.14 | 36 | 65 |
| 3 | पीपली | 0.94 | 24 | 65 |
| 4 | खण्डलाई | 0.5 | 32 | 62 |
| 5 | जिरावाद | 0.4 | 45 | 75 |
| 6 | गंधवानी | 4.97 | 32 | 75 |
| 7 | देदली | 0.5 | 23 | 68 |
| 8 | मलहेरा | 1.3 | 34 | 68 |
| 9 | साली | 0.5 | 35 | 67 |
| 10 | टोनगाँव | 0.4 | 35 | 62 |
| 11 | सातउमरी | 0.5 | 45 | 62 |
| 12 | बखतला | 0.5 | 35 | 63 |
| 13 | बापदूत | 1.05 | 35 | 65 |
| 14 | सनमोद | 1.06 | 37 | 65 |
| | योग | 16.15 | | |

नवार (जिला-धार) वर्ष 2018-19

| कं | ग्राम | मॉ रेवा | रोड़ दूरी कि.मी. | | |
|----|------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | मॉ रेवा | ओलम शुगर्स | जे.एल.एन शुगर्स |
| 1 | देवगढ | 13.86 | 9 | 61 | 76 |
| 2 | कवटी | 2.72 | 17 | 63 | 78 |
| 3 | साततलाई | 0.5 | 12 | 61 | 76 |
| 4 | सरिफपुरा | 30.86 | 48 | 62 | 78 |
| 5 | उरदना | 16.37 | 35 | 42 | 80 |
| 6 | सिंधाना | 3.61 | 15 | 74 | 89 |
| 7 | गणपुर | 8.4 | 5 | 60 | 91 |
| 8 | जोतपुर | 8.98 | 45 | 62 | 85 |
| 9 | गिपलाज | 14 | 16 | 56 | 75 |
| 10 | सेमल्दा | 74 | 24 | 70 | 85 |
| 11 | अछोदा | 176 | 23 | 64 | 72 |
| 12 | सिरसाला | 4.72 | 28 | 55 | 70 |
| 13 | डोगरगॉव | 5.21 | 18 | 55 | 70 |
| 14 | करौली | 21 | 18 | 70 | 85 |
| 15 | बड़गॉवखेडी | 9.51 | 24 | 80 | 95 |
| 16 | मांडवी | 2.19 | 7 | 63 | 85 |
| 17 | बालीपुर | 0.5 | 33 | 65 | 80 |
| 18 | अजंदा | 27 | 46 | 55 | 72 |
| 19 | एकलबारा | 134 | 19 | 73 | 88 |
| 20 | पेरखड | 90.34 | 26 | 65 | 80 |

| र (जिला-धार) 2018-19 | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| क्र.सं. | ग्राम | माँ रेवा | रोड़ दूरी कि.मी. | | |
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | माँ रेवा | ओलम शुगर्स | जे.एल.एन शुगर्स |
| ✓ 21 | वायल | 4.53 | 40 | 59 | 75 |
| ✓ 22 | सिरसी | 9.02 | 8 | 59 | 75 |
| ✓ 23 | पिपरीमान | 22 | 41 | 59 | 75 |
| ✓ 24 | गोपालपुरा | 8.12 | 11 | 60 | 75 |
| ✓ 25 | भरडपुर | 0.5 | 38 | 70 | 85 |
| ✓ 26 | पिपरी | 0.94 | 24 | 70 | 85 |
| ✓ 27 | लुन्हैरा | 5.4 | 36 | 80 | 95 |
| ✓ 28 | कलवानी | 18 | 34 | 68 | 83 |
| ✓ 29 | अजंदीकोट | 0.4 | 20 | 65 | 80 |
| ✓ 30 | जाजमखेड़ी | 1.46 | 26 | 65 | 80 |
| ✓ 31 | मनावर | 11 | 32 | 59 | 74 |
| ✓ 32 | टोकी | 0.05 | 37 | 64 | 80 |
| ✓ 33 | साला | 4.67 | 20 | 65 | 80 |
| ✓ 34 | खेड़ीहवेली | 1.46 | 37 | 66 | 81 |
| ✓ 35 | रणतलाव | 0.3 | 38 | 65 | 79 |
| ✓ 36 | कुराड़ा-खाल | 0.4 | 23 | 65 | 79 |

| मनवार (जिला-धार) अथ 2018-19 | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| कं | ग्राम | माँ रेवा | रोड़ दूरी कि.मी. | | |
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | माँ रेवा | ओलम शुगर्स | जे.एल.एन शुगर्स |
| ✓ 37 | मेहताखेड़ी | 0.4 | 18 | 75 | 90 |
| ✓ 38 | झापड़ी | 0.5 | 18 | 71 | 86 |
| ✓ 39 | गूलाटी | 0.4 | 26 | 65 | 80 |
| ✓ 40 | बागलिया | 5.07 | 28 | 61 | 76 |
| ✓ 41 | देवला | 19 | 35 | 61 | 76 |
| ✓ 42 | लाखनकोट | 0.2 | 27 | 71 | 86 |
| ✓ 43 | अजंदीकोट | 0.4 | 34 | 52 | 67 |
| ✓ 44 | जाटपूर | 0.5 | 34 | 63 | 78 |

| मनवार (जिला-धार) 30/1/19 | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| कं | ग्राम | माँ रेवा | रोड़ दूरी कि.मी. | | |
| | | क्षेत्रफल हेक्टर | माँ रेवा | ओलम शुगर्स | जे.एल.एन शुगर्स |
| 45 | रतवा | 26 | 38 | 59 | 75 ✓ |
| 46 | बड़ा-बडदा | 99 | 42 | 59 | 75 ✓ |
| 47 | मलनगाँव | 45 | 51 | 59 | 75 |
| 48 | बाकानेर | 0.4 | 39 | 51 | 72 |
| 49 | पटवार | 22 | 47 | 59 | 75 |
| 50 | दगड़पुरा | 0.4 | 47 | 60 | 75 |
| 51 | कुवाड़ | 0.5 | 41 | 54 | 79 |
| 52 | जलखेडा | 11 | 38 | 55 | 70 |
| 53 | कुवाली | 26 | 43 | 55 | 72 |
| 54 | मिर्जापुर | 29 | 46 | 70 | 85 |
| | योग | 1017.79 | | | |

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्रमांक/भू-अर्जन/08 (अ-82)2018-19-236

डिण्डौरी, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची धारा "11"

| जिला | तहसील/तसुक | नगर/ग्राम | खसरा नम्बर | भूमि स्वामी का नाम | विस्थापित परिवार के मुखिया का नाम | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| डिण्डौरी | डिण्डौरी | कुडवर प. ह.नं.21 | 109/2 | कपूर पिता मातादीन | कपूर पिता मातादीन बगैरह | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी | मुडकी मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य |
| | | | 9/3 | रमेश पिता मातादीन | रमेश पिता मातादीन बगैरह | | |
| | | | 110/1 | द्रोपती बाई ध.प. कोपा सिंह | द्रोपती बाई ध.प. कोपा सिंह बगैरह | | |
| | | | 111 | ढोली सिंह पिता मातादीन | ढोली सिंह पिता मातादीन बगैरह | | |
| | | | 135/2 | उदय सिंह पिता ढोली | उदय सिंह पिता ढोली बगैरह | | |
| | | | 112/3 | बुद्धी बाई पुत्री रनमत | बुद्धी बाई पुत्री रनमत बगैरह | | |
| | | | 112/1 | कैलाश राजीव कुमार पिता मगरू | कैलाश राजीव कुमार पिता मगरू बगैरह | | |
| | | | 105/3 | किशन पिता गुलाब | किशन पिता गुलाब बगैरह | | |
| | | | 105/2 | बजरिया बाई मायाराम | बजरिया बाई मायाराम बगैरह | | |

| | | |
|-------|----------------------------|--|
| 118 | शिव लाल पिता भोला | शिव लाल पिता भोला बगैरह |
| 121 | प्रेम लाल पिता बुद्धू | प्रेम लाल पिता बुद्धू बगैरह |
| 134/1 | बुद्धी बाई पुत्री रनमत | शिव कुमार मातादीन वरकडे बगैरह |
| 116 | बसोरिन पति रंगी लाल | बसोरिन पति रंगी लाल बगैरह |
| 133/3 | सुखवती पति मुकेश | सम्मत लाल यादव पिता भोला |
| 131/2 | द्रोपती बाई ध.प. कोपा सिंह | द्रोपती बाई ध.प. कोपा सिंह |
| 132 | गंगी बाई बिसमत पुत्री माहू | दलसिंह पिता बलदेव बगैरह |
| 130/1 | म.प्र.शासन | अजान सिंह पिता डुमारी लाल परस्ते बगैरह |
| 127 | बजारी पिता पंडा | कोमल यादव पिता बजारी |
| 118 | गंगी बाई बिसमत पुत्री माहू | नरबद सिंह पिता रंगी लाल |
| 119 | प्रेम लाल पिता बुद्धू | हरि सिंह पिता मूरत सिंह |
| 124 | बाबू लाल पिता बजरू | ज्ञान सिंह पिता बाबू लाल बगैरह |

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(2) उपरोक्त खसरों में स्थित परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है.

क्रमांक/भू-अर्जन/06 (अ-82)2018-19-237

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची धारा "11"

| जिला | तहसील/तालुका | नगर/ग्राम | खसरा नम्बर | भूमि स्वामी का नाम | विस्थापित परिवार के मुखिया का नाम | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|--------------|----------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| डिण्डौरी | डिण्डौरी | गनवाही माल प.ह.नं.20 | 358 | भैया लाल यादव पिता सम्मत लाल | भैया लाल यादव पिता सम्मत लाल | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी | मुडकी मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य |
| | | | 365 | महतू यादव पिता हीरालाल यादव | महतू यादव पिता हीरालाल यादव | | |
| | | | 362 | कल्ला यादव पिता नवल यादव | कल्ला यादव पिता नवल यादव | | |
| | | | 290 | विधा बाई पति केहर सिंह यादव | विधा बाई पति केहर सिंह यादव | | |
| | | | 303 | लक्ष्मण माखन पिता विसमत | छत्रलाल पिता लक्ष्मण | | |
| | | | 301 | विधा बाई पति दललू | अनोख लाल यादव | | |
| | | | 304 | रूपा रतन लाल कन्हैया लाल पिता बिसमत | घनश्याम पिता अमृत लाल | | |
| | | | 299 | भैया लाल पिता सम्मत | राम लाल पिता भैया लाल यादव | | |
| | | | 298 | सम्मत पिता दललू | कांता पिता सम्मत यादव | | |

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(2) उपरोक्त खसरों में स्थित परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है.

क्रमांक/भू-अर्जन/06 (अ-82)2018-19-238

चूँके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार समी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची धारा-11

| जिला | तहसील/तलुक | नगर/ग्राम | खसरा नम्बर | भूमि स्वामी का नाम | विस्थापित परिवार के मुखिया का नाम | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| डिण्डौरी | डिण्डौरी | जाटा माल प.ह.नं. 20 | 12/1 | बुधिया बाई ध.प. गुलाबी बगैरह | बुधिया बाई ध.प. गुलाबी बगैरह | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी | मुडकी मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य |
| | | | 12/2 | सिया बाई पति आनंद सिंह | सिया बाई पति आनंद सिंह बगैरह | | |
| | | | 13/3 | इतवरिया ध.प. प्रेम लाल | वीरसिंह यादव बगैरह | | |
| | | | 13/2 | हरिसिंह पिता छोटे लाल | हरिसिंह पिता छोटे लाल बगैरह | | |
| | | | 101 | नरबदिया ध.प. गनपत | नारायण सिंह पिता सरैया मरावी बगैरह | | |
| | | | 102 | नारायण सिंह पिता सरैया | लाल सिंह पिता नारायण सिंह बगैरह | | |
| | | | 106 | कमली पति हरिया गोड | मुकेश सिंह पिता हरिया बगैरह | | |
| | | | 99 | धीरसिंह पिता छोटे लाल | रमेश पिता धीरसिंह बगैरह | | |
| | | | 188/1 | सम्पत पिता मोती लाल बगैरह | चरण सिंह पिता सम्पत सिंह मार्को बगैरह | | |
| | | | 182 | म.प्र.शासन | कमली बाई पति स्व. मोला सिंह बगैरह | | |

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(2) उपरोक्त खसरों में स्थित परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है.

क्रमांक/भू-अर्जन/04 (अ-82)2018-19-239

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डोरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची धारा "11"

| जिला | तहसील/त लुक | नगर/ग्राम | खसरा नम्बर | भूमि स्वामी का नाम | विस्थापित परिवार के मुखिया का नाम | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| डिण्डोरी | डिण्डोरी | तेन्दूमेर मोहतरा प. ह.नं. 22 | 26/1 | दुलरिया बेवा राय सिंग बगैरह | रमेश सिंह पिता चौधर सिंह परस्ते | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डोरी | मुडकी मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य |

1. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर डिण्डोरी में देखा जा सकता है।
2. उपरोक्त खसरो में स्थित परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है।

क्रमांक/भू-अर्जन/07 (अ-82)2018-19-240

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीर्ष पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची धारा "11"

| जिला | तहसील/तलुक | नगर/ग्राम | खसरा नम्बर | भूमि स्वामी का नाम | विस्थापित परिवार के मुखिया का नाम | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| डिण्डौरी | डिण्डौरी | जाटा रैयत प ह.नं. 20 | 65 | अवध सिंह पिता दलपत सिंह | अवध सिंह पिता दलपत सिंह | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी | मुडकी मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य |

1. नोट- भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है।
2. उपरोक्त खसरो में स्थित परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-
मऊगंज, जिला रीवा मध्यप्रदेश**

क्रमांक 4053-भू-अर्जन-कार्य-18-19

मऊगंज, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभागी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|--|--------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6 |
| 1 | तमरी ठाकुर 428 पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज | रामबहोर पि.बैजनाथ मु.वेवा बैजनाथ रामसलोन मोतीलाल पि.प्रागदत्त मु.वेवा प्रागदत्त जाति काछी पता झलवार भूमिस्वामी | 16/1 | 0.162 | 0.012 |
| 2 | | लालमणि पि.सरयू रामदुलारे रामकुमार पि. सहाय जाति काछी पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 16/2 | 0.162 | |
| 3 | | तिजौआ पुत्री धनुकधारी जमुना पि. रामप्रसाद जाति काछी पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 16/3 | 1.242 | |
| 4 | | कुमारे,सम्भू पिता मनोहर जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1/1 | 0.081 | |
| 5 | | रामसुन्दर,भदई,चैतलाल पिता वंशधारी जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी | 1/2 | 0.081 | |
| | | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 5 किता | 1.728 | 0.026 |
| | | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | | अ + ब का योग- | कल 5 किता | 1.728 | 0.026 |

क्रमांक 4054-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|---|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जगदर 212 पटवारी हल्का 23 हिनाँती, रा.नि.म. मनिकवार, तहसील-रायपुर कर्चुलियान | चन्दभूषण प्रसाद पिता केमला प्रसाद जाति ब्रा0 भूमि स्वामी | 34/1 | 0.346 | 0.034 |
| 2 | | बृजभूषण प्रसाद पिता केमला प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 34/2 | 1.500 | |
| 3 | | काशीप्रसाद पिता केमला प्रसाद पता सा0 हिनाँती भूमि स्वामी | 33/1 | 0.639 | 0.047 |
| 4 | | ब्यासराम पिता रामसखा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 33/2 | 0.082 | |
| 5 | | चन्दभूषण प्रसाद पिता केमला प्रसाद जाति ब्रा0 भूमि स्वामी | 30/1 | 0.436 | 0.023 |
| 6 | | रामबहादुर पिता रामसखा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 30/2 | 0.435 | |
| 7 | | धर्मराज सिंह पता सूर्यपाल सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 30/3 | 0.436 | |

| | | | | |
|----|--|------------------|--------|-------|
| 8 | मोतीलाल सिंह, सोहनलाल सिंह पिता मानधाता सिंह, आनन्द सिंह, अम्बरीश प्रताप सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह पता सा. हिनौती भूमि स्वामी | 29 | 5.941 | 0.117 |
| 9 | मोतीलाल सिंह, सोहनलाल सिंह पिता मानधाता सिंह, आनन्द सिंह, अम्बरीश प्रताप सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह पता सा. हिनौती भूमि स्वामी | 28 | 3.375 | 0.008 |
| 10 | त्रिदेव सिंह पिता शिवप्रताप सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 16/1 | 0.004 | 0.009 |
| 11 | नीलम सिंह पति विष्णुप्रताप सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 16/2 | 0.004 | |
| 12 | अभिशेक सिंह पिता शिवप्रताप सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 15/1/1 | 0.865 | 0.070 |
| 13 | त्रिदेव सिंह पिता शिवप्रताप सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 15/1/2 | 0.864 | |
| 14 | वशप्रताप सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह पता सा.-हिनौती भूमि स्वामी | 15/2 | 1.729 | |
| 15 | नीलम सिंह पति विष्णुप्रताप सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 17 | 0.869 | 0.017 |
| 16 | मोतीलाल सिंह पि. मानधाता सिंह पता सा. हिनौती भूमि स्वामी | 18 | 0.028 | 0.002 |
| 17 | मोतीलाल सिंह पि. मानधाता सिंह पता सा. हिनौती भूमि स्वामी | 24 | 2.202 | 0.044 |
| 18 | मोहन देवी वेवा धर्मराज सिंह, राजबहादुर सिंह, समरबहादुर सिंह, राजकुमार सिंह, राजेश्वर सिंह, प्रेमोद सिंह पि. धर्मराज सिंह पता सा. डाढ़ भूमि स्वामी | 19 | 0.134 | 0.007 |
| 19 | रामावतार पि. रामेश्वरप्रसाद पता सा. डाढ़ भूमि स्वामी | 20 | 0.518 | 0.045 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 19 कित्ता | 20.407 | 0.423 |
| | (ब) न. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग- | कुल 19 कित्ता | 20.407 | 0.423 |

क्रमांक 4055-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | डाढ़ 233 पटवारी हल्का 23 हिनौती, रा.नि.म. मनिकवार, तहसील-रायपुर कर्चुलियान | सुनीता पत्नी रामानन्द विस्वकर्मा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 28/1 | 0.405 | 0.007 |
| 2 | | मनमोहन सिंह पिता सूर्य वती सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी | 28/2 | 0.866 | |
| 3 | | बृजेन्द्रमणि पि.भागवतमणि 1/3 भाग भूमि स्वामी गयाप्रसाद राजधर पि. शोभनाथ बृन्द्रावन स्यामलाल शसिकान्त पि.शिवनाथप्रसाद पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी | 24 | 0.178 | 0.017 |
| 4 | | बृजेन्द्रमणि पि.भागवतमणि 1/3 भाग भूमि स्वामी गयाप्रसाद राजधर पि. शोभनाथबृन्द्रावन स्यामलाल शसिकान्त पि.शिवनाथप्रसाद पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी | 25 | 0.214 | 0.028 |
| 5 | | बृजेन्द्रमणि पि.भागवतमणि 1/3 भाग भूमि स्वामी गयाप्रसाद राजधर पि.शोभनाथबृन्द्रावन स्यामलाल शसिकान्त पि.शिवनाथप्रसाद पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी | 26 | 0.166 | 0.006 |

| | | | | |
|----|---|------------------|-------|-------|
| 6 | ममता पुत्री बृजेन्द्रमणि ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 19 | 0.235 | 0.015 |
| 7 | बृजेन्द्रमणि पि.भागवतमणि 1/3 भाग भूमि स्वामी गयाप्रसाद राजधर पि. शोभनाथ बृन्द्रावन स्यामलाल शसिकान्त पि.शिवनाथप्रसाद पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी | 18 | 0.113 | 0.008 |
| 8 | ममता पुत्री बृजेन्द्रमणि ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 18/2 | 0.095 | |
| 9 | बद्री पि.विशाले मुप तेरसिया,पि.विशाले जाति लोहार पता सा.देह भूमि स्वामी | 17 | 0.174 | 0.001 |
| 10 | रामावतार पि.रामेस्वरराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 16 | 0.223 | 0.031 |
| 11 | रामावतार पि.रामेस्वरराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 15 | 0.182 | 0.001 |
| 12 | चन्द्रशेखर सिंह पि.सवाईलाल सिंह, मु. फूलमती बेवा छोतेलाल पता सा.देहभूमि स्वामी | 3 | 1.137 | 0.051 |
| 13 | कमलेस्वर सिंहपि.मणिराजसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी | 2 | 0.085 | 0.003 |
| 14 | कमलेस्वरसिंह पि.मणिराजसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी | 1 | 2.383 | 0.087 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 14 कित्ता | 6.456 | 0.255 |
| 1 | शासकीय | 6 | 0.069 | 0.004 |
| 2 | शासकीय | 5 | 0.032 | 0.004 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 2 कित्ता | 0.101 | 0.008 |
| | अ + ब का योग- | कुल 16 कित्ता | 6.557 | 0.263 |

क्रमांक 4056-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|-----------------------------------|--|--------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | पलहा 353 पटवारी हल्का | रामावतार पि.रामेश्वरप्रसाद पता सा.हिनीती भूमि स्वामी | 64 | 0.777 | 0.014 |
| 2 | 24 हटवा, रा. नि.म. | रामावतार पि.रामेश्वरप्रसाद पता सा.हिनीती भूमि स्वामी | 76 | 0.275 | 0.003 |
| 3 | मनिकवार, तहसील-रायपुर | रामावतार पि.रामेश्वरप्रसाद पता सा.हिनीती भूमि स्वामी | 74 | 0.105 | 0.011 |
| 4 | कर्चुलियान | जगन्नाथ पि.रघु पता सा.हिनीती भूमिस्वामी | 73 | 0.154 | 0.021 |
| | | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 4 किता | 1.311 | 0.049 |
| | | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | | अ + ब का योग- | कुल 4 किता | 1.311 | 0.049 |

क्रमांक 4057-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|--|--------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | हिनाती 637, पटवारी हल्का 23 हिनाती, रा. नि.म. मनिकवार, तहसील-रायपुर कर्चुलियान | अशोक कुमार सिंह प्रदीप सिंह पि. कमलेश्वर सिंह जाति बघेल पता सा. देह भूमिस्वामी | 433 | 0.113 | 0.004 |
| 2 | | अशोक कुमार सिंह प्रदीप सिंह पि. कमलेश्वर सिंह जाति बघेल पता सा. देह भूमिस्वामी | 434 | 0.514 | 0.027 |
| 3 | | अशोक कुमार सिंह प्रदीप सिंह पि. कमलेश्वर सिंह जाति बघेल पता सा. देह भूमिस्वामी | 435 | 0.04 | 0.006 |
| 4 | | कमलेश्वर सिंह पि. मणिराज सिंह जाति बघेल पता सा. देह भूमि स्वामी | 436 | 0.543 | 0.008 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------|-------|
| 5 | मु. प्रेमकुमारी वेवावशपती दशरथ सन्तोष राजेश सिंह नरेश सिंहपि. वंशपती सिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी मथुरा सिंह पि. जयकरन सिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी जगतप्रताप सिंह ऊर्फ चन्द्रिका सिंह पि. गंदराज सिंह ऊर्फ ललई पता सा. देह 1/3 भाग भूमिस्वामी | 437/1 | 0.679 | 0.052 |
| 6 | राजकुमार, दिनेशकुमारपि. रविनाथ प्रसाद जाति विश्वकर्मा पता सा. देह भूमि स्वामी | 437/2 | 0.684 | |
| 7 | चन्द्रशेखर सिंह पिता सवाई लाल सिंह जाति बघेल पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी मु सरोज सिंह पति मनभरण सिंह, सुप्रिया सिंह पिता मनभरण सिंह 1/2 भाग भूमि स्वामी | 441 | 0.028 | 0.005 |
| 8 | चन्द्रशेखर सिंह पिता सवाई लाल सिंह जाति बघेल पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी मु सरोज सिंह पति मनभरण सिंह, सुप्रिया सिंह पिता मनभरण सिंह 1/2 भाग भूमि स्वामी | 438 | 1.157 | 0.012 |
| 9 | चन्द्रशेखर सिंह पिता सवाई लाल सिंह जाति बघेल पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी मु सरोज सिंह पति मनभरण सिंह, सुप्रिया सिंह पिता मनभरण सिंह 1/2 भाग भूमि स्वामी | 440 | 0.032 | 0.008 |
| 10 | जगन्नाथ पि. गप्पू जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी | 446/1 | 0.425 | 0.004 |
| 11 | कुसुम देवी पति रामाधार जाति कहार पता सा. अहिरगांव भूमि स्वामी | 446/2 | 0.076 | |
| 12 | कुसुम देवी पति रामाधार जाति कहार पता सा. अहिरगांव भूमि स्वामी | 447 | 0.328 | 0.03 |
| 13 | कुसुम देवी पति रामाधार जाति कहार पता सा. अहिरगांव भूमि स्वामी | 448 | 0.049 | 0.005 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 13 किता | 4.668 | 0.161 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग- | कुल 13 किता | 4.668 | 0.161 |

क्रमांक 4058-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|-----------------------------------|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | (2) | (3) | (4) | (5) | 6 |
| 1 | वरयाँ टोला 419 पटवारी हल्का | कृष्णकुमार रामलखनपि.बद्री विशाल जाति ब्रा. पता सा. हिनौती भूमि स्वामी | 75 | 0.498 | 0.005 |
| 2 | 23 हिनौती, रा.नि. म. मनिकवार, | मुन्नी पि. पुतावारी पता सा. हिनौती भूमि स्वामी | 76 | 0.478 | 0.037 |
| 3 | तहसील-रायपुर कर्चुलियान | रविनाथ, चन्द्रशेखर, रामउजागर, रामानन्द पि. जगन्नाथ जाति बढई पता सा. हिनौती भूमि स्वामी | 77 | 0.959 | 0.007 |
| | | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 3 किता | 1.935 | 0.049 |
| | | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | | अ + ब का योग- | कुल 3 किता | 1.935 | 0.049 |

क्रमांक 4059-भू-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिमागी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मोलैया 880 पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज | शकुन्तला, बेवा जनादेन दिलीप बीरेश कुमार पि.जनादेन जाति ब्रा.पता सा.देह भूमिस्वामी | 10 | 0.344 | 0.017 |
| 2 | | गणेश, राजमणि पि.रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 8/1 | 0.117 | 0.002 |
| 3 | | हीरामणि पि.शिवमूर्ति जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 8/2 | 0.113 | |
| 4 | | केशरी प्रसाद, बृजेन्द्र कुमार पि.सम्पति कुमार, छोटेलाल जगत प्रसाद मुनीन्द्र प्रसाद पि.सुदामा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 7 | 0.210 | 0.021 |
| 5 | | गणेश, राजमणि पि.रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 21/1 | 0.462 | 0.079 |
| 6 | | शिवकुमार, राजेन्द्र जवाहरपि.रामपाखत मु.महरजुआ वेवा रामपाखत जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 21/2 | 0.227 | |

| | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|
| 7 | केशरी प्रसाद, बृजेन्द्र कुमार पि. सम्पति कुमार, छोटेलाल जगत प्रसाद मुनीन्द्र प्रसाद पि. सुदामा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमिस्वामी | 21/3 | 0.227 | |
| 8 | शिवकुमार, राजेन्द्र जवाहर पि. रामपाखत मु. महरजुआ वेवा रामपाखत जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 26/1 | 0.210 | 0.012 |
| 9 | जयप्रकाश पिता श्यामा, श्रीमती सावित्री पति जयप्रकाश जाति ब्रा. पता सा. देह भूमिस्वामी | 26/2 | 0.215 | |
| 10 | बैजनाथ पि. भगवानदीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 23/1 | 0.020 | 0.004 |
| 11 | महेश पि. रामधनी गंगा पि. छोटेलाल जाति कोल पता सा. देह भूमि स्वामी | 23/2 | 0.157 | |
| 12 | केशरी प्रसाद, बृजेन्द्र कुमार पि. सम्पति कुमार, छोटेलाल जगत प्रसाद मुनीन्द्र प्रसाद पि. सुदामा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 39/1 | 0.172 | 0.018 |
| 13 | राममणि पि. रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 39/2 | 0.036 | |
| 14 | बैजनाथ पि. भगवानदीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 39/3 | 0.008 | |
| 15 | राजेन्द्र प्रसाद पि. अवधशरण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 39/4/क | 0.020 | |
| 16 | ऋषिकेश पि. अवधशरण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 39/4/ख | 0.025 | |
| 17 | उपकार रामायण पि. गयादीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 39/5 | 0.045 | |
| 18 | बुधसेन पि. भगवानदीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 39/6 | 0.045 | |
| 19 | गणेश, राजमणि पि. रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 11/1 | 0.267 | |
| 20 | शिवकुमार, राजेन्द्र जवाहर पि. रामपाखत मु. महरजुआ वेवा रामपाखत जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 11/2 | 0.089 | |
| 21 | हीरामणि पि. शिवमूर्ति जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 11/3 | 0.089 | |
| 22 | शिवकुमार, राजेन्द्र जवाहर पि. रामपाखत मु. महरजुआ वेवा रामपाखत हीरामणि पि. शिवमूर्ति रामजीत भूमि स्वामी जगदीश अमृतलाल पि. राममणि मु. वेवा राममणि 1/2 भाग भूमि स्वामी गणेश राजमणि पि. रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी | 11/4 | 0.093 | |
| 23 | केशरी प्रसाद, बृजेन्द्र कुमार पि. सम्पति कुमार, छोटेलाल जगत प्रसाद मुनीन्द्र प्रसाद पि. सुदामा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 12/1 | 0.050 | 0.001 |
| 24 | बैजनाथ पि. भगवानदीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 12/2 | 0.106 | |
| 25 | राजेन्द्र प्रसाद पि. अवधशरण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 12/3/क | 0.045 | |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------|-------|
| 26 | कृषिकेश पि.अवधशरण जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 12/3/ख | 0.050 | |
| 27 | उपकार रामायण पि. गयादीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 12/4 | 0.091 | |
| 28 | सरोजनी पति हनुमान प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मगनिया भूमि स्वामी | 12/5 | 0.091 | |
| 29 | जयप्रकाश पिता श्यामा , श्रीमती सावित्री पति जयप्रकाश जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 22/1 | 0.222 | |
| 30 | मु.सरोज कुमारी, वेवा भीमसेन रजनीश कुमार सतेंद्र कुमार बजेन्द्र कुमार पि. भीमसेन 1/2 भाग भूमि स्वामी चन्द्रवती पुत्री रामानुज जाति ब्रा. पता सा.देह 1/2 भाग भूमि स्वामी | 22/2/क | 0.082 | 0.027 |
| 31 | चन्द्रवती पिता रामानुज जाति ब्रा. पता सा.देह हा.मु.डिघवार भूमि स्वामी | 22/2/ख | 0.303 | |
| 32 | श्रीमती चन्द्रवती पुत्री रामानुज जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 40 | 0.129 | 0.017 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 32 किता | 4.360 | 0.218 |
| 1 | शासकीय | 38 | 0.190 | 0.003 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 1 किता | 0.190 | 0.003 |
| | अ + ब का योग- | कुल 33 किता | 4.550 | 0.221 |

क्रमांक 4060-भू-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | पनिगवां 587 पटवारी हल्का 13 डिघवार, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज | रेखा पाण्डेय पति विजय कुमार पाण्डेय जाति ब्रा. पता सा.बोदाबाग तह.हुजूर रीवा भूमि स्वामी | 70/1 | 0.506 | 0.047 |
| 2 | | त्रिवेणीशंकर पि.लोकनाथ जाति ब्रा. पता सा.मलैगवा भूमि स्वामी | 70/2 | 0.100 | |
| 3 | | रेखा पाण्डेय पति विजय कुमार पाण्डेय जाति ब्रा. पता सा.बोदाबाग तह.हुजूर रीवा भूमि स्वामी | 70/3 | 4.682 | 0.153 |
| 4 | | शिवप्रसाद पि.चन्द्रशेखरराम जाति ब्रा. पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 85/1/क | 0.235 | |
| 5 | | रामलाल पि.चन्द्रशेखरराम जाति ब्रा. पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 85/1/ख | 0.109 | |
| 6 | | महरजुवा पति अंजनी कुमार, राजेन्द्र कुमार पुरुषोत्तम प्रसाद पि. अंजनी कुमार जाति ब्रा. पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 85/1/ग | 0.344 | |
| 7 | | अनुसुइया प्रसाद पि.कुबेर राम जाति ब्रा. पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 85/1/घ | 0.348 | |

| | | | | |
|----|--|---------------|--------|-------|
| 8 | राजेन्द्र प्रसाद पि.विद्यार्थी प्रसाद मु. मानवती वेवा विद्यार्थी प्रसाद माया पुत्री बिद्यार्थी प्रसाद जाति ब्रा.पता सा. मलैगवा भूमि स्वामी | 85/2/क | 0.809 | |
| 9 | रामदत्त पि.रघुनाथ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मलैगवा भूमि स्वामी | 85/2/ख/1 | 0.881 | |
| 10 | लालजी पि.बलई जाति नाई पता सा. बराती भूमि स्वामी | 85/2/ख/2 | 0.007 | |
| 11 | विष्णुदत्त पि.रघुनाथ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मलैगवा भूमि स्वामी | 85/2/ग/1 | 0.162 | |
| 12 | रामबालक पि.रामस्वरूप जाति सोनी पता सा. तमरी भूमि स्वामी | 85/2/ग/2 | 0.405 | |
| 13 | पुरुषोत्तम दास पि.मटुकधारी जाति बानी पता सा.चुरहट भूमि स्वामी | 85/2/ग/3 | 0.101 | |
| 14 | रामनरेश पि.रघुनाथ गुसा जाति बानी पता सा.बेलहई खुर्द भूमि स्वामी | 85/2/ग/4 | 0.100 | |
| 15 | प्रमोद कुमार पि० भास्करदत्त ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 85/2/घ/2 | 0.384 | |
| 16 | रामलाल पि.चन्द्रशेखरराम जाति ब्रा. पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 85/3 | 0.941 | |
| 17 | श्रीमती शशीला पत्नी मुन्शीलाल गुसा जाति बानी पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 85/4 | 0.024 | |
| 18 | सुरेन्द्रलाल कैलाश प्रसाद पि.रामसिया गुसा जाति वानी पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 85/5 | 0.020 | |
| 19 | सूर्यप्रसाद उपाध्याय पि.वंशरूप उपाध्याय जाति ब्रा. पता सा.रतहरी पो.रतहरा रीवा भूमि स्वामी | 85/6 | 0.014 | |
| 20 | सतोष कुमार पिता जगदीश प्रसाद ब्रा० पता निवासी ग्राम मलेगवा भूमि स्वामी | 98/1 | 0.749 | 0.041 |
| 21 | श्रीष कुमार पि० जगदीश प्रसाद ब्रा० पता निवासी ग्राम मलेगवा भूमि स्वामी | 98/2 | 0.748 | |
| 22 | शिवप्रसाद पि.चन्द्रशेखरराम जाति ब्रा. पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 93/1 | 0.441 | |
| 23 | महरजुवा पति अंजनी कुमार, राजेन्द्र कुमार पुरुषोत्तम प्रसाद पि. अंजनी कुमार जाति ब्रा. पता सा.झलवार भूमि स्वामी | 93/2 | 0.901 | 0.039 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 23 कित्ता | 13.011 | 0.280 |
| | (ब) न. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग- | कुल 23 कित्ता | 13.011 | 0.280 |

क्रमांक 4061-भू-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|---|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मलैगंवा 823, पटवारी हल्का 13 डिघवार, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज | रामदत्त पि.रघुनाथप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 100/1 | 0.271 | 0.052 |
| 2 | | सूर्यप्रसाद पि.बंशरूप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 100/2 | 0.271 | |
| 3 | | पुष्पेन्द्रकुमार पि.भास्करदत्त जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 100/3/1 | 0.136 | |
| 4 | | प्रमोद कुमार पिता भाष्करदत्त जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 100/3/2 | 0.135 | |

| | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|
| 5 | कुशुमकली पि.केमला 1/4 भाग भूमि स्वामी कौशल प्रसाद शम्भूप्रसादपि.रामावतार 1/4 भाग भूमि स्वामी अन्जनीकुमार शंकरप्रसाद जानकी प्रसाद पि. हुव्वलाल मु.झुलूरी वेवा केशरी प्रसाद 1/4 भाग भूमि स्वामी शिवानन्द पि.केशवप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी | 79/1 | 8.437 | 0.272 |
| 6 | शासकीय | 79/2 | 0.061 | |
| 7 | सरस्वती वेवा भोला जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 78 | 0.628 | 0.020 |
| 8 | अम्बिकाप्रसाद रामाधारप्राणधार लालजी पुस्पेन्द्र ओमप्रकाश अनिलकुमार आनन्दकुमार भूमि स्वामी पि.गोमती मु.अर्जुनवेवा गोमती 1/3 भाग भूमि स्वामी कैलाश प्रसाद पि.विन्धेश्वरी 1/3 भाग भूमि स्वामी भुवनेश्वर पि.हनुमानराम जाति ब्रा. पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी | 77 | 0.615 | 0.017 |
| 9 | जनार्दन प्रसाद पि.अवधेश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 76/1 | 0.107 | |
| 10 | अम्बिकाप्रसाद रामाधारप्राणधार लालजी पुस्पेन्द्र ओमप्रकाश अनिलकुमार आनन्दकुमार भूमि स्वामी पि.गोमती मु.अर्जुनवेवा गोमती 1/3 भाग भूमि स्वामी कैलाश प्रसाद पि.विन्धेश्वरी 1/3 भाग भूमि स्वामी भुवनेश्वर पि.हनुमानराम जाति ब्रा. पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी | 76/2 | 0.214 | 0.010 |
| 11 | ठाकुरदीन, बाबूलाल राजीवलोचन सैतकुमार पि.रघुनाथ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 76/3 | 0.107 | |
| 12 | वीरेश कुमार अखिलेश कुमार ब्रजेश कुमार पि0 सुरसरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 75 | 0.441 | 0.011 |
| 13 | कुशुमकली पि.केमला 1/4 भाग भूमि स्वामी कौशलप्रसाद शम्भूप्रसादपि.रामावतार 1/4 भाग भूमि स्वामी अन्जनीकुमार शंकरप्रसाद जानकी प्रसाद पि. हुव्वलाल मु.झुलूरी वेवा केशरी प्रसाद 1/4 भाग भूमि स्वामी शिवानन्द पि.केशवप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी | 72/1/1 | 2.814 | 0.080 |

| | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|
| 14 | शासकीय | 72/1/2 | 0.020 | |
| 15 | शिवरतन लालमणि पि. सूर्यदीन जाति कचेर पता सा.देह भूमि स्वामी | 72/2 | 0.020 | |
| 16 | शिवरतन लालमणि पि. सूर्यदीन जाति कचेर पता सा.देह भूमि स्वामी | 72/3 | 0.020 | |
| 17 | मु.मन्तोरिया वेवा अर्जुन जाति कोल पता सा.देह भूमि स्वामी | 72/4 | 0.020 | |
| 18 | कामता पि.दुलारे जाति कचेर पता सा.देह भूमि स्वामी | 72/5 | 0.020 | |
| 19 | सीताप्रसाद पि.रामप्रगास 1/2 भाग भूमि स्वामी कौशलप्रसाद शम्भूप्रसादपि.रामावतार 13/56 भाग भूमि स्वामी कौशल प्रसाद पि.रामावतार जाति ब्रा. पता सा.देह 15/56 भाग भूमि स्वामी | 10 | 1.338 | 0.060 |
| 20 | सीताप्रसाद पि.रामप्रगास 1/2 भाग भूमि स्वामी कौशलप्रसाद 5/12 भाग भूमि स्वामी शम्भूप्रसाद 1/12 पि.रामावतार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 9 | 0.158 | 0.007 |
| 21 | सीताप्रसाद पि.रामप्रगास 1/2 भाग भूमि स्वामी कौशलप्रसाद शम्भूप्रसादपि.रामावतार 1/100 भाग भूमि स्वामी कौशलप्रसाद पि.रामावतार जाति ब्रा. पता सा.देह 49/100 भाग भूमि स्वामी | 11 | 0.813 | 0.028 |
| 22 | सीताप्रसाद पि.रामप्रगास 1/2 भाग भूमि स्वामी कौशलप्रसाद शम्भूप्रसादपि.रामावतार जाति ब्रा. पता सा.देह 1/2 भाग भूमि स्वामी | 12 | 0.611 | 0.065 |
| 23 | रामजी पि.मानधाता जाति ब्रा. पता सा.डिघवार 393 भूमि स्वामी | 13/1 | 0.045 | 0.003 |
| 24 | रामजी पि.मानधाता जाति ब्रा. पता सा.डिघवार 393 भूमि स्वामी | 13/2 | 0.012 | |
| 25 | रामजी पि.मानधाता जाति ब्रा. पता सा.डिघवार 393 भूमि स्वामी | 14/1 | 0.429 | 0.061 |
| 26 | रामजी पि.मानधाता जाति ब्रा. पता सा.डिघवार 393 भूमि स्वामी | 14/2 | 1.287 | |
| 27 | वालमीक वृजभान राजभान पिता हरभतराम जाति ब्रा.पता सा. वराती-692 भूमि स्वामी | 87 | 0.894 | 0.041 |
| 28 | विश्वम्भर दयाल पिता शंकरदयाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 86/1/1 | 0.073 | 0.067 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------|-------|
| 29 | लक्ष्मीकान्त पिता शंकरदयाल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 86/1/2 | 0.433 | |
| 30 | श्रीकान्त पिता शंकरदयाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 86/2 | 0.530 | |
| 31 | श्रीकान्त पिता शंकरदयाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 84/1 | 0.010 | |
| 32 | विश्वम्भर दयाल पिता शंकरदयाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 84/2/1 | 0.898 | 0.043 |
| 33 | श्रीकान्त पिता शंकरदयाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 84/2/2 | 0.845 | |
| 34 | विश्वम्भर दयाल पिता शंकरदयाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 83/1 | 0.425 | 0.050 |
| 35 | सरोज पति विश्व भरदयाल जाति ब्रा.पता सा. मलेगवा भूमि स्वामी | 83/2 | 1.060 | |
| 36 | विद्याधर पि.जमुना जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 15 | 0.850 | 0.008 |
| 37 | राजेन्द्र प्रसाद माया पि. विद्यार्थी प्रसादमु.मानवती वेवा विद्यार्थी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 96/1 | 0.364 | 0.009 |
| 38 | रामेश्वर प्रसाद, मंगलेश्वर प्रसाद नागेन्द्र प्रसाद पि.सुरेश प्रसाद मु.जिराऊ पति सुरेश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 96/2 | 0.182 | |
| 39 | वालमीक, वृजभान राजभान पि.हरभगतराम जाति ब्रा. पता सा.वराती -692 भूमि स्वामी | 91 | 2.606 | 0.022 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 39 कित्ता | 28.200 | 0.926 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग- | 39 कित्ता | 28.200 | 0.926 |

क्रमांक 4062-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभागी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | तमरी 429 पटवारी हल्का 15 रजिगर्वा, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज | सुभाषचंद्र पिता श्यामनाथ जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 29 | 1.813 | 0.086 |
| 2 | | जगतारिणी देवी पुत्री ठकुरदशिया जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 31 | 0.817 | 0.048 |
| 3 | | जगतारिणी देवी पुत्री ठकुरदशिया जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 24 | 1.927 | 0.012 |
| 4 | | सुभाषचंद्र पिता श्यामनाथ जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 39 | 0.470 | 0.033 |
| 5 | | रामअनुग्रह, रामभुवन पि.अवधविहारी 1/6 भाग भूमि स्वामी अनुरूढ़ प्रसाद पि. देवशरन 1/6 भाग भूमि स्वामी श्रीनिवास पि.देवशरन 1/6 भाग भूमि स्वामी मु. बतसिया वेवा रामावतार जाति ब्रा. पता सा.झलवार 1/2 भाग भूमि स्वामी | 41 | 0.365 | 0.020 |
| 6 | | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी, लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 49 | 0.405 | 0.031 |

| | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|
| 7 | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी ,लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 52 | 0.214 | 0.001 |
| 8 | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी ,लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 56 | 0.405 | 0.016 |
| 9 | छोटेलाल पि0 बैजनाथ पटेल पता निवासी ग्राम कोष्टा तह0 रायपुर कर्चु0 भूमि स्वामी | 57/1/1 | 0.475 | 0.137 |
| 10 | सुनील सिंह पि0 राजधर सिंह पता निवासी ग्राम खटखरी भूमि स्वामी | 57/1/2 | 1.125 | |
| 11 | छोटेलाल पि0 बैजनाथ पटेल पता निवासी ग्राम कोष्टा तह0 रायपुर कर्चु0 भूमि स्वामी | 57/2 | 0.741 | |
| 12 | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी ,लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 57/3 | 1.581 | |
| 13 | राजेन्द्र प्रसाद पि0 रामदयाल ब्रा0 पता निवासी ग्राम कोष्टा तह0 रायपुर कर्चु0 भूमि स्वामी | 67 | 0.287 | 0.003 |
| 14 | श्रीमती सत्यवती पत्नी श्यामलाल जाति ब्रा. पता सा. बेला तह. सिरमौर भूमि स्वामी | 68 | 0.417 | 0.024 |
| 15 | श्रीमती सत्यवती पत्नी श्यामलाल जाति ब्रा. पता सा. बेला तह. सिरमौर भूमि स्वामी | 65 | 0.761 | 0.029 |
| 16 | सुभाषचंद्र पिता श्यामनाथ जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 33 | 0.324 | 0.016 |
| 17 | रामअनुग्रह,रामभवन पि.अवधविहारी 1/6 भाग भूमि स्वामी अनुरुद्ध प्रसाद पि. देवशरन 1/6 भाग भूमि स्वामी श्रीनिवास पि.देवशरन 1/6 भाग भूमि स्वामी मु.बतसिया वेवा रामावतार जाति ब्रा. पता सा.झलवार 1/2 भाग भूमि स्वामी | 40 | 0.745 | 0.036 |
| 18 | त्रिलोकीनाथ पि.रंगनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 42 | 0.287 | 0.020 |
| 19 | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी ,लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 48 | 0.243 | 0.005 |
| 20 | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी ,लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 54 | 0.061 | 0.014 |
| 21 | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी ,लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 99 | 0.243 | 0.003 |
| 22 | अजीत कुमार ऊर्फ रामजी ,लक्ष्मण कुमार भरत कुमार पिता चक्रधर प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 93/1 | 0.068 | 0.001 |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------|--------|-------|
| 23 | | सनील सिंह पि0 राजधर सिंह पता निवासी ग्राम खटखरी भूमि स्वामी | 93/2/क | 0.093 | |
| 24 | | प्रमोद कुमार पिता रामकुमार जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 93/2/ख | 0.041 | |
| 25 | | विनोद कुमार, अनिल कुमार सुशील कुमार पि. श्रीपति कुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 69 | 1.104 | 0.021 |
| | | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 25 किता | 15.012 | 0.556 |
| | | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | | अ + ब का योग- | कुल 25 किता | 15.012 | 0.556 |

क्रमांक 4063-भू-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|---|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मिसिरगवां काटन-851, पटवारी हल्का 25 डेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज | संतोष कुमार पिता रामलाल ब्रा0 जाति ब्रा0 पता सा0 डेरा भूमि स्वामी | 58/1/क/1 | 0.242 | 0.068 |
| 2 | | सविता पति संतोष कुमार जाति ब्रा0 पता सा0 डेरा भूमि स्वामी | 58/1/क/2 | 0.081 | |
| 3 | | जवाहर लाल पिता काशीराम जाति ब्रा0 पता सा0 डेरा भूमि स्वामी | 58/1/ख | 0.323 | |
| 4 | | मु0 सुमन बेवा अरूण कुमार नितिन सचिन अमिय पियूष पिता अरूण कुमार जाति ब्रा0 पता सा0 डेरा भूमि स्वामी | 58/1/ग | 0.320 | |
| 5 | | अमित कुमार पिता रामलाल ब्रा0 जाति ब्रा0 पता सा0 डेरा भूमि स्वामी | 58/1/घ | 0.041 | |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------|-------|
| 6 | रामसुन्दर, श्यामसुन्दर पि. रामकिशोर अयोध्या बालेन्द्र राजेन्द्र मुनेन्द्र पि. सत्यनारायण मोतीलाल छोटेलाल भूमि स्वामी पि. विद्यार्थीराम जाति ब्रा. पता सा. मिसिरगवां भूमि स्वामी | 58/2 | 0.036 | |
| 7 | विद्यावती पिता रामनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी | 59/1 | 0.061 | 0.012 |
| 8 | लालता प्रसाद पिता रामेश्वर प्रसाद पता सा. मजरा ऊची भूमि स्वामी | 59/2 | 0.295 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 8 किता | 0.242 | 0.080 |
| 1 | शासकीय स्कूल | 48 | 0.821 | 0.013 |
| 2 | शासकीय स्कूल | 49 | 0.571 | 0.032 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 2 किता | 1.392 | 0.045 |
| | अ + ब का योग- | कुल 10 किता | 1.634 | 0.125 |

क्रमांक 4064-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|---|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | भाट मु. देरा 784, पटवारी हल्का 25 देरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज | पावती उर्फ सोनिया, पत्नी रामशिरोमणि हि. 1/20 रामशिरोमणि पि. रामाधार हि. 1/20 शान्ती पुत्री उमादत्त हि. 1/20 लोली उर्फ रामवती पत्नी रामप्रपन्न हि. 1/20 शिववती पत्नी कृष्णानन्द पुत्री उमादत्त 1/20 भाग भूमि स्वामी कमलनारायण पि. राजेश्वरप्रसाद 1/4 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल शान्ती कुमार रामलाल छोटेलाल पि. रामसेवक 1/4 भाग भूमि स्वामी रामेश्वर पि. वंशधारी राम जाति ब्रा. पता सा. देरा 1/4 भाग भूमिस्वामी | 54 | 10.247 | 0.070 |
| | | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 1 किता | 10.247 | 0.070 |
| | | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | | अ + ब का योग- | कुल 1 किता | 10.247 | 0.070 |

क्रमांक 4065-भू-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | दूदाटोला 492 , पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज | लोकनाथ पि.जगतधारीराम 1/4 भाग भूमि स्वामी भैयालाल ठाकुर प्रसाद परमोश्वर पि. कामता 1/4भाग भूमि स्वामी रामेश्वर पि. दीनदयाल 1/4 भाग भूमि स्वामी रामफल राममिलन कौशल पि. तुलसीराम जाति ब्रा. पता सा.पथरहा 1/4 भाग भूमि स्वामी | 1 | 0.611 | 0.021 |
| 2 | | श्रीमती कुसुमकलीपति रामनिवास जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 2 | 0.518 | 0.021 |
| 3 | | रामनिवास पि.इन्द्रमणि प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 6/1 | 0.405 | 0.024 |
| 4 | | अनिलकुमार पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 6/2 | 0.190 | |

| | | | | |
|----|--|------------------|-------|-------|
| 5 | श्रीमती अर्चनादेवी पति गोपाल लाल जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 6/3 | 0.186 | |
| 6 | रामसिया सुरेशकुमारप्रेमललन पि.महावीरराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 7 | 0.376 | 0.026 |
| 7 | मोलेप्रसाद गोरेलालवारेलाल जगदीश प्रसाद पि. कौशल प्रसाद रामदास पि.बेनीमाधव 1/2, शोभनाथ पिता तेजारम 1/8 भूमि स्वामी श्यामलाल विहारीलाल पि.रामदास 1/8 अयोध्या बालेन्द्र राजेन्द्र मुनेन्द्र पि.सत्यनारायण मु. गुजरितया बेबा विद्यार्थी मोतीलाल छोटेलाल भूमि स्वामी पिता विद्यार्थी हरभूषण पिता अजायबराम 1/8, जाति ब्रा. पता सा.मिरिगवाँ भूमि स्वामी मोहन पि. भगन तेली हि. 1/8 जाति तेली पता सा. देह भूमि स्वामी | 8/1 | 0.991 | 0.002 |
| 8 | श्रीमती रामरती पत्नी मोहन जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी | 8/2 | 0.065 | |
| 9 | रामसिया पिता रामपाल पता सा.देह भूमि स्वामी | 8/3 | 0.065 | |
| 10 | श्यामलाल पिता रामपाल पता सा.देह भूमि स्वामी | 8/4 | 0.065 | |
| 11 | विहारीलाल पिता रामलाल पता सा.देह भूमि स्वामी | 8/5 | 0.069 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 11 कित्ता | 3.541 | 0.094 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग- | कुल 11 कित्ता | 3.541 | 0.094 |

क्रमांक 4066-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|---|---------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | पथरहा 577, पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज | शासकीय | 1/1 | 0.040 | 0.034 |
| 2 | | शासकीय | 1/2 | 0.835 | |
| 3 | | बेजनाथ पिता सूदर्शन जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 1/3 | 0.709 | |
| 4 | | बेजनाथ पिता सूदर्शन जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 1/4 | 0.607 | |
| 5 | | मध्य -प्रदेश शासन भूमि स्वामी | 1/5 | 0.500 | |
| 6 | | मध्य -प्रदेश शासन भूमि स्वामी | 1/6 | 0.500 | |
| 7 | | राममणि, पि.रामटहल जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 101/1/1 | 0.324 | 0.047 |
| 8 | | इन्द्रलाल पि.रामटहल जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 101/1/2 | 0.324 | |
| 9 | | बृजमोहन पिता रामटहल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 101/1/3 | 0.323 | |
| 10 | | सावित्री देवी पति कमलेश्वर प्रसाद 1/2 भाग भूमि स्वामी प्रभात कुमार पि.गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह 1/2 भाग भूमिस्वामी | 20 | 0.494 | 0.017 |
| 11 | | सावित्री देवी पति कमलेश्वर प्रसाद 1/2 भाग भूमि स्वामी प्रभात कुमार पि.गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह 1/2 भाग भूमिस्वामी | 21 | 0.866 | 0.002 |
| | | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 11 कित्ता | 5.522 | 0.100 |
| | | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | | अ + ब का योग- | कुल 11 कित्ता | 5.522 | 0.100 |

क्रमांक 4067-भू-अर्जन-कार्य-18-19

मऊगंज, दिनांक 3 दिसम्बर 2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बराती-692, पटवारी हल्का 14 उचेहरा, रा. नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज | शम्भूदयाल पि.आदित्यनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 616/1/क/1 | 3.142 | 0.118 |
| 2 | | शम्भूदयाल पि.आदित्यनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 616/1/क/2 | 0.821 | |
| 3 | | रविशंकर पि.आदित्यनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 616/1/ख | 3.85 | |
| 4 | | भदई पि.सुखदेव जाति धोबी पता सा.देह भूमि स्वामी | 616/2 | 0.01 | |
| 5 | | शम्भू पि.महादेव जाति वानी पता सा.देह भूमि स्वामी | 616/3 | 0.02 | |
| 6 | | मुड़ी मथुरा पि.बुद्धी जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी | 616/4 | 0.04 | |
| 7 | | शम्भूदयाल पि.आदित्यनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 615/1 | 0.085 | 0.008 |
| 8 | | रविशंकर पि.आदित्यनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 615/2 | 0.085 | |

| | | | | |
|----|--|-----------|-------|-------|
| 9 | राधिका देवी , पत्नी चन्द्रशेषर प्रसाद कमला दीनदयाल बुटना सुद्धू मुननी मंजू गुडी पिता चन्द्रशेषर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. तिवरिगवां तह.चुरहट जिला सीधी भूमि स्वामी | 614/1 | 0.204 | 0.006 |
| 10 | निरंजनलाल ऊर्फ इन्द्रपति प्रसाद पिता चक्रसुदर्शन जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 614/2 | 0.205 | |
| 11 | श्रीमती मनगिरिया पति चक्रदर्शन जाति ब्रा. पता सा.तिवरिगवां तह.चुरहट सीधी भूमि स्वामी | 610/1/क/1 | 0.259 | 0.025 |
| 12 | नागेश्वर प्रसाद पि. वृजवासीराम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 610/1/क/2 | 0.36 | |
| 13 | श्रीमती सावित्री पति भैयालाल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 610/1/ख | 0.101 | |
| 14 | राधिका देवी , पत्नी चन्द्रशेषर प्रसाद कमला दीनदयाल बुटना सुद्धू मुननी मंजू गुडी पिता चन्द्रशेषर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. तिवरिगवां तह.चुरहट जिला सीधी भूमि स्वामी | 610/2/1 | 0.178 | |
| 15 | निरंजनलाल ऊर्फ इन्द्रपति प्रसाद पिता चक्रसुदर्शन जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 610/2/2 | 0.178 | |
| 16 | राजपाल दास पि.रामविशाल जाति ब्रा. पता सा.कोनी गडरहा तह.त्योथर 1/3 भाग भूमि स्वामी नागेश्वर प्रसाद पि. वृजवासी मु.परसदुआ वेवा वृजवासी जाति ब्रा. 1/3 भाग भूमि स्वामी बैजनाथ जगन्नाथ पि. सियावरशरण मु.वेवा ,सियावरशरण जाति ब्रा. 1/6 भाग भूमि स्वामी मानसरोवर पि.सुरसरी प्रसादमु.रामसखी वेवा सुरसरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह 1/6 भाग भूमि स्वामी | 608/1 | 0.53 | |
| 17 | रामचरित्र पि.रामटहल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 608/2/क | 0.405 | |
| 18 | रमाकान्त पि.रामटहल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 608/2/ख | 0.405 | |
| 19 | तेजा पि.रामदुलारे जाति तेली पता सा.देहभूमि स्वामी | 608/3/क | 0.097 | |
| 20 | रमेश कुमार,बीरेश कुमार पि.रामलखन जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 608/3/ख | 0.166 | |
| 21 | नागेश्वर प्रसाद,पि. वृजवासी मु.परसदुआ वेवा वृजवासी जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 608/4 | 0.263 | 0.049 |
| 22 | रामसुशील ,रामायण पिता कृष्णकुमार हि01/2 भाग भूमिस्वामी राजाराम,रामनरेश,रामभुवन पिता जनार्दन 1/2 भाग जाति ब्रा0 पता सा0देह भूमि स्वामी | 607/1 | 0.016 | |
| 23 | राकेश कुमार पि.विन्धेश्वरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 607/2 | 0.697 | |

| | | | | |
|------|---|-----------|-------|-------|
| 24 * | राकेश कुमार पि.विन्धेश्वरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 604 | 0.656 | 0.031 |
| 25 | उमाशंकर, रमाशंकर हरिशंकर पि. रामचरित्रदेववती पति राधेलाल जाति ब्रा. पता सा.डिहार बराबर भाग भूमि स्वामी | 602 | 0.486 | 0.041 |
| 26 | वालमीक, वृजभानराजभान पि.हरभगत जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 601/1 | 1.307 | 0.015 |
| 27 | श्यामलाल पि.शोभनाथ जाति कोल पता सा.देह भूमि स्वामी | 601/2 | 0.433 | |
| 28 | वालमीक, वृजभानराजभान पि.हरभगत जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 758 | 0.715 | 0.048 |
| 29 | सम्पूर्णानन्द पि.गिरजा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 762/1 | 1.234 | 0.063 |
| 30 | सन्तोष कुमार पि.गिरजा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 762/2 | 1.235 | |
| 31 | मिथिला प्रसाद पि.सत्यनारायण जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 761/1 | 1.054 | 0.088 |
| 32 | मनीष कुमार पिता मुद्रिका प्रसाद ब्रा0 पता सा रतहरी भूमि स्वामी | 761/2 | 1.215 | |
| 33 | मिथिला प्रसाद पि.सत्यनारायण जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 782/1 | 1.213 | 0.055 |
| 34 | मनोज कुमार पि.द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 782/2 | 0.255 | |
| 35 | सन्तोष कुमार पि.गिरजा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 783/1 | 0.061 | 0.058 |
| 36 | किशोर पि.दुलारे तेली 1/3 भाग भूमि स्वामी गंगा जमुना पि.जागेश्वर मु.फूलकली वेवा जागेश्वर 1/3 भाग भूमि स्वामी विश्राम, हर्षलाल पि.नर्मदा जाति चमार पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी | 783/2 | 0.061 | |
| 37 | नारायण प्रसाद पि.नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 783/3/1 | 0.554 | |
| 38 | बृहस्पति प्रसाद पि.नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 783/3/2 | 0.554 | |
| 39 | केदार, तेजा पि.दुलारे जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी | 783/4 | 0.121 | 0.028 |
| 40 | नन्दकुमार, पि.मथुरा अरुणकुमार सन्तोषकुमार पि.रामनरेश वेवा नन्दकुमार राजेन्द्र वीरेन्द्र पि.नन्दकिशोर मु.वेवा तारा दिनेश पि.तारा हि. 1/3 मदनमोहन सेवकलाल तिलके मदनमोहन पि.गंगा हि. 1/3 चन्द्रमणि पि.वाला हि. 1/3 जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 779/1/क/1 | 0.522 | |
| 41 | गिरीशप्र. अशोककुमार पि.चन्द्रशेखरप्रसादजाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 779/1/क/2 | 0.101 | |
| 42 | अरुण कुमार, सन्तोष कुमार पि.रामनरेश जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 779/1/ख | 0.121 | |

| | | | | |
|----|--|---------|-------|-------|
| 43 | गिरीश प्रसाद पि. चन्द्रशेखर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 779/2 | 0.202 | |
| 44 | वालमीक, वृजभानराजभान पि. हरभगत जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 778 | 0.458 | 0.025 |
| 45 | वालमीक, वृजभानराजभान पि. हरभगत जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 773 | 0.841 | 0.044 |
| 46 | बृजकिशोर पि. कौशल प्रसाद मु. बेवा कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 800 | 0.401 | 0.010 |
| 47 | राजवहोर छोटेलाल सुरेशकुमार पि. रामनिवास मु. जयरजुआ देवा रामनिवास जाति पटेल पता सा. बड़खरा 1/2 भाग भूमि स्वामी | 801/1 | 0.777 | 0.040 |
| 48 | रामायण पि रामखेलावन जाति कुर्मी पता सा बड़खरा भूमि स्वामी | 801/2/1 | 0.196 | |
| 49 | रामलाल पिता रामखेलावन जाति पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 801/2/2 | 0.195 | |
| 50 | राजरूप पि रामावतार जाति कुर्मी पता सा देह भूमि स्वामी | 801/3 | 0.39 | |
| 51 | पारसनाथ 1/4 भाग भूमि स्वामी रामसजीवन पि. गंगा 3/4 भाग भूमि स्वामी हीरालाल पि. कौशल 1/4 भाग भूमि स्वामी फुलवसुआ देवा कौशल जाति पटेल पता सा. खैरा 1/8 भाग भूमि स्वामी | 803/1 | 0.769 | 0.044 |
| 52 | रामलखन, केमला प्रसाद पि. पारसनाथ जाति पटेल पता सा. खैरा भूमि स्वामी | 803/2 | 0.607 | |
| 53 | राजवहोर छोटेलाल सुरेशकुमार पि. रामनिवास मु. जयरजुआ देवा रामनिवास जाति पटेल पता सा. बड़खरा 1/2 भाग भूमि स्वामी रामखेलावन, राजरूप पि. रामावतार 1/2 भाग भूमि स्वामी मु. जयरजुआ पति रामनेवाज रामबहोर, छोटेलाल, सुरेश कुमार पि. रामनेवाज जाति कुर्म. पता सा. बड़खरा 1/2 भाग भूमि स्वामी | 804/1 | 1.255 | 0.048 |
| 54 | रामायण पि रामखेलावन जाति कुर्मी पता सा बड़खरा भूमि स्वामी | 804/2/1 | 0.314 | |
| 55 | रामलाल पिता रामखेलावन जाति पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 804/2/2 | 0.313 | |
| 56 | राजरूप पि रामावतार जाति कुर्मी पता सा देह भूमि स्वामी | 804/3 | 0.627 | |
| 57 | रामानुग्रह पि. रामवली जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 805/1 | 0.04 | 0.038 |
| 58 | रामानुग्रह पि. रामवली जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 805/2 | 0.734 | |
| 59 | अभिमनुवा पति राधेलाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 805/3 | 0.734 | |
| 60 | रामानुग्रह पि. रामवली जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 806 | 0.089 | 0.016 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-------|-------|
| 61 | पारसनाथ 1/4 भाग भूमि स्वामी रामसजीवन पि.गंगा 3/4 भाग भूमि स्वामी हीरालाल पि.कौशल 1/4 भाग भूमि स्वामी फुलवसुआ वेवा कौशल जाति पटेल पता सा.खैरा 1/8 भाग भूमि स्वामी | 808 | 0.065 | 0.002 |
| 62 | बैशरूप पि.अँजनी कुमार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 809/1 | 0.202 | 0.061 |
| 63 | बैशराज पि.अँजनी कुमार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 809/2 | 0.203 | |
| 64 | सम्पूर्णानन्द पि.गिरजा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 812/1/क | 0.409 | 0.048 |
| 65 | नारायण प्रसाद पि.नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 812/1/ख/1 | 0.203 | |
| 66 | बृहस्पति प्रसाद पि.नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 812/1/ख/2 | 0.202 | |
| 67 | सच्चिदानन्द, रमाकान्त बसन्तलाल पि.दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 812/1/ग | 0.081 | |
| 68 | सच्चिदानन्द, रमाकान्त बसन्तलाल पि.दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 812/2/क | 0.87 | |
| 69 | सच्चिदानन्द रमाकान्त बसन्तलाल पि. दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 812/2/ख | 0.02 | |
| 70 | जनार्दन पि.कुशलराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 813/1/1 | 0.012 | |
| 71 | रामायण प्रसाद पिता कृष्ण कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 813/1/2 | 0.004 | 0.041 |
| 72 | रामसुशील पि0 कृष्णकुमार ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 813/2/1 | 0.256 | |
| 73 | रामायण प्रसाद पिता कृष्ण कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 813/2/2 | 0.258 | |
| 74 | राजाराम पिता जनार्दन प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 813/2/3 | 0.514 | |
| 75 | बाबूलाल पि.जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 814/1 | 0.724 | 0.008 |
| 76 | रामायण पि रामखेलावन जाति कुर्मी पता सा बडखरा भूमि स्वामी | 814/2/1 | 0.111 | |
| 77 | रामलाल पिता रामखेलावन जाति पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 814/2/2 | 0.111 | |
| 78 | सच्चिदानन्द, रमाकान्त बसन्तलाल पि.दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 816 | 0.429 | 0.028 |
| 79 | अरुणकुमार पि.वृजेन्द्रकुमार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 817/1 | 0.631 | 0.056 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-------|-------|
| 80 | सञ्चिदानन्द,रमाकान्त बसन्तलाल पि.दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 817/2 | 0.862 | |
| 81 | अरुणकुमार पि.वृजेन्द्रकुमार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 818/1/क | 0.445 | 0.040 |
| 82 | सञ्चिदानन्द,रमाकान्त बसन्तलाल पि.दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 818/1/ख | 0.486 | |
| 83 | सम्पूर्णानन्द पि.गिरजा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 818/2/1 | 0.235 | |
| 84 | नारायण प्रसाद पि.नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 818/2/2/1 | 0.231 | |
| 85 | बृहस्पति प्रसाद पि.नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 818/2/2/2 | 0.235 | |
| 86 | सन्तोष कुमार पि.गिरजा प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 818/2/3 | 0.235 | |
| 87 | श्रीमती श्यामकली पति मानसरोवर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 819 | 1.936 | |
| 88 | भारद्वाज,दिनेश कुमार अरुण कुमार, त्रियुगीनारायण पि.अत्रमुनि जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 324/1 | 0.198 | 0.037 |
| 89 | लवकुश पि.चन्द्रशेषर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 324/2 | 0.405 | |
| 90 | भारद्वाज,दिनेश कुमार अरुण कुमार, त्रियुगीनारायण पि.अत्रमुनि जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 323 | 0.057 | 0.002 |
| 91 | मानसरोवर पि.सुरसरिप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 322 | 0.352 | 0.020 |
| 92 | शांती वेवा रामजी जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 320/1 | 0.47 | 0.041 |
| 93 | मंगलेश्वर पि.हनुमान जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 320/2 | 0.089 | |
| 94 | शांती वेवा रामजी जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 319 | 0.081 | 0.003 |
| 95 | राजकुमार पि.भीमसेन जाति कुर्मी पता सा. बडखरा भूमि स्वामी | 318/1 | 1.461 | 0.100 |
| 96 | जगदीश प्रसाद पि.भीमसेन जाति कुर्मी पता सा. बडखरा भूमि स्वामी | 318/2 | 1.46 | |
| 97 | मोतीलाल,सन्तोष रामनारायण विजय कुमार रामनरेश पि. शैम्भू मु. बेवा शैम्भू हि. 1/8 प्रह्लाद पि. सुदामा हि. 1/8रामरूचि विनायक पि. गैगा हि. 1/4 जाति कुर्मी पता सा. बडखरा भूमि स्वामी | 318/3 | 2.922 | |
| 98 | लल्लू,पि.रघुवंश हि.1/2,अमरनाथ कमलेश्वर पि.दिनेशप्रसाद मु.शंखी वेवा जाति कुर्मी पता सा.गौरी भूमि स्वामी | 315/1 | 0.056 | 0.003 |

| | | | | |
|-----|--|---------|-------|-------|
| 99 | रामलाल,हर्षलाल,मेवालालपि.प्रह्लाद जाति पटेल पता सा.बडखरा भूमि स्वामी | 315/2 | 0.053 | |
| 100 | लल्लू पि.रघुवंश जाति पटेल पता सा.खुटहा भूमि स्वामी | 313/1 | 0.4 | |
| 101 | श्रीमती कमला सिंह पति रामजी सिंह जाति कुर्मी पता सा. देवगंगा तह. मनगंगा भूमि स्वामी | 313/2 | 0.069 | 0.017 |
| 102 | रामलाल,हर्षलाल,मेवालालपि.प्रह्लाद जाति पटेल पता सा.बडखरा भूमि स्वामी | 313/3 | 0.11 | |
| 103 | रामायण प्रसाद पिता कृष्ण कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 292/1 | 0.146 | |
| 104 | राजकुमार पि.भीमसेन जाति कुर्मी पता सा. बडखरा भूमि स्वामी | 292/2/1 | 0.302 | 0.048 |
| 105 | प्रह्लाद पि.सुदामा जाति कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी | 292/2/2 | 0.302 | |
| 106 | मनोज कुमार पि.द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 293 | 0.712 | 0.042 |
| 107 | मनोज कुमार पि.द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 298 | 0.51 | 0.016 |
| 108 | राधिका देवी , पत्नी चन्द्रशेखर प्रसाद कमला दीनदयाल बुटना सुद्धू मुननी मंजू गुड्डी पिता चन्द्रशेखर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. तिवरिगवां तह.चुरहट जिला सीधी भूमि स्वामी | 613/1 | 0.107 | 0.009 |
| 109 | निरंजनलाल ऊर्फ इन्द्रपति प्रसाद पिता चक्रसुदर्शन जाति ब्रा0 पता निवासी ग्रामभूमि स्वामी | 613/2 | 0.107 | |
| 110 | मु.बुदुली वेवा शंकरवालमीक,वृजभान,राजभान पि.हरभगत 3/2 भाग भूमि स्वामी चन्द्रिका,चन्द्रशेखरपि.भगवानदास जाति ब्रा.पता सा.देह 1 भाग भूमि स्वामी | 624/1 | 0.097 | |
| 111 | बैशपती,बैशगोपाल पि.रामप्रतापजाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 624/2 | 0.045 | 0.016 |
| 112 | शिवप्रसाद पि.लालमणि जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 624/3 | 0.024 | |
| 113 | अरुणकुमार,सन्तोशकुमारपि.रामनरेश जाति ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी | 624/4 | 0.024 | |
| 114 | मु.शान्ती वेवा धर्मदास दीपक पि. धर्मदास जाति ब्रा. पता सा.शुकुलगवाँ भूमि स्वामी | 606/1 | 0.583 | 0.001 |
| 115 | रमाकान्त पि.विन्धेश्वरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 606/2 | 0.607 | |
| 116 | मु.शान्ती वेवा धर्मदास दीपक पि. धर्मदास जाति ब्रा. पता सा.शुकुलगवाँ भूमि स्वामी | 605 | 1.075 | 0.017 |
| 117 | मु.यशोदादेवी,पति सन्तकुमार अरुणेन्द्रकुमार पि.सन्त कुमार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 757 | 1.134 | 0.024 |

क्रमांक 4068-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | डोकरा माठ खुर्द 409, पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज | श्रीमती चन्द्रवती पत्नी रामजी जाति ब्रा. पता सा. कुडी भूमि स्वामी | 7/1/क/1 | 0.731 | 0.236 |
| 2 | | दिलीपकुमार पिता भोलाप्रसाद पता सा.कूडी भूमि स्वामी | 7/1/क/2 | 0.202 | |
| 3 | | कमलाकान्त विनोद कुमार प्रमोद कुमार पिता मुद्रिका प्रसाद जाति ब्रा.पता सा.कूडी भूमिस्वामी | 7/1/क/3 | 0.202 | |
| 4 | | सियावती, पति रामचन्द्र राजकुमार, शिवकुमार पिता रामचन्द्र जाति बानी पता सा.सा.सीतापुर भूमिस्वामी | 7/1/ख | 0.081 | |

| | | | |
|----|--|---------------|-------|
| 5 | प्रमोदकुमार प्रमिलकुमार अनिलकुमार पिता महावीर जाति वानी पता सा.पथरहा भूमिस्वामी | 7/1/ग | 0.065 |
| 6 | विजयशंकर पिता भोलाराम जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 7/1/घ/1 | 0.405 |
| 7 | अजय कुमार पिता श्रीनिवास जाति ब्रा0 पता सा0 कुलबहेरिया भूमि स्वामी | 7/1/घ/2 | 1.185 |
| 8 | भगवनिया पति शोमनाथपार्वती पिता शोभनाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/2/क/1/ 1 | 1.478 |
| 9 | अमृत लाल पिता छोटेताल चमार जाति चमार पता सा0 देह भूमि स्वामी | 7/2/क/1/ 2 | 0.121 |
| 10 | संजय पिता श्यामलाल बसोर जाति बसोर पता सा. बहेरी नानकार भूमि स्वामी | 7/2/क/2 | 0.040 |
| 11 | रजनीकांत पिता लल्लूप्रसाद चमार जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/2/क/3 | 0.048 |
| 12 | मु. मुनिया बेवा जगन्नाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/2/ख | 0.061 |
| 13 | दिलीप कुमार पि. भोला प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. कूडी भूमि स्वामी | 7/2/ग | 0.202 |
| 14 | कमलाकान्त विनोद कुमार प्रमोद कुमार पि. मुन्द्रिका प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. कूडी भूमि स्वामी | 7/2/घ | 0.202 |
| 15 | गेन्दूपत्री रामलाल विजय आनन्द कुमार अजीत कुमार पि.रामलाल जाति कहार पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 7/3/क | 0.389 |
| 16 | अजय कुमार पि.श्रीनिवास जाति ब्रा. पता सा.कुलबहेरिया भूमि स्वामी | 7/3/ख | 0.061 |
| 17 | जयप्रकाश पि.विश्वनाथ जाति ब्रा. पता सा. सेमरिया भूमि स्वामी | 7/3/ग | 0.012 |
| 18 | अजय कुमार पि.श्रीनिवास जाति ब्रा. पता सा.कुलबहेरिया भूमि स्वामी | 7/3/घ | 0.101 |
| 19 | हरिश्चन्द्र पि.रामप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 7/3/ङ | 0.045 |
| 20 | शासकीय | 7/4/1 | 2.019 |
| 21 | भालेश्वर पिता रामखेलावन जाति दर्जी पता सा0 देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय | 7/4/2 | 0.020 |
| 22 | जानकीधर पिता अंगनू जाति कुम्हार पता सा0 देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय | 7/4/3 | 0.020 |

| | | | |
|----|---|--------|-------|
| 23 | विनोद कुमार पि.राजबहोर जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 7/5 | 4.017 |
| 24 | रामसजीवन पि.गुरुप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.ढेरा भूमि स्वामी | 7/6 | 0.304 |
| 25 | गिरधारीलाल पिता गुरुप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 7/7 | 0.303 |
| 26 | गिरधारीलाल पिता गुरुप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 7/8 | 0.101 |
| 27 | श्रीमती चन्द्रवती पत्नी रामजी जाति ब्रा. पता सा. कुडी भूमि स्वामी | 7/9 | 0.049 |
| 28 | गंलबसिया पति रामजीत जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/10/1 | 0.016 |
| 29 | भाईलाल पिता रामजीत पता सा0 देह भूमि स्वामी | 7/10/2 | 0.202 |
| 30 | लालमणि पिता रामजीत पता सा0 देह भूमि स्वामी | 7/10/3 | 0.202 |
| 31 | मु. इन्द्रवती पत्नी जगदीश प्रसाद बीरेश बीरेन्द्र पि.जगदीश जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/11 | 0.420 |
| 32 | गिरधारी पि.जगन्नाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/12 | 0.420 |
| 33 | रामधारी पि.जगन्नाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/13 | 0.421 |
| 34 | जलेबिया पति मिठाईलालजीतेन्द्र पित मिठाईलाल पि.जगन्नाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/14 | 0.420 |
| 35 | छोटेराल पि.जगन्नाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/15 | 0.420 |
| 36 | छोटेराल पि.जगन्नाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/16 | 0.420 |
| 37 | रामकरण पि.जगन्नाथ जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/17 | 0.420 |
| 38 | श्यामलाल पि. मुन्डा जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/18/1 | 0.802 |
| 39 | सुरेश कुमार पिता चैतू साकेत जाति चमार पता सा. ढेरा भूमि स्वामी | 7/18/2 | 0.041 |
| 40 | प्रेमलाल पि. मुन्डा जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/19/1 | 0.774 |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------|-------|
| 41 | श्रीमती प्रेमवती पत्नी सुशील कुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 7/20 | 0.061 | |
| 42 | श्रीमती चन्द्रवती पत्नी रामजी जाति ब्रा. पता सा. कुडी भूमि स्वामी | 7/21 | 0.486 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-- | 42 किता | 17.452 | 0.236 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-- | | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग-- | कुल 42 किता | 17.452 | 0.236 |

क्रमांक 4069-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ढेरा 420 पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज | रामनाथ पि.जगतधारी जाति कुर्मी पता सा.बहेरीनानकार भूमि स्वामी | 142/1/क | 0.101 | 0.030 |
| 2 | | यज्ञभान वश.न. 101/4 भूमि स्वामी | 142/1/ख | 0.032 | |
| 3 | | मु0 कुसुम पति रमाकान्त ,अशीष कुमार पिता रमाकान्त जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 142/1/ग | 0.029 | |
| 4 | | कृष्ण,केशव प्रसादपि.त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 142/2 | 0.809 | |
| 5 | | दीपकुमार,प्रदीप कुमार सुदीप कुमार राजेन्द्र पि. जमुना मोतीलाल अरुण कुमार पि. मालिक जाति कुर्मी पता सा. बहेरीनानकार भूमि स्वामी | 142/2/ग | 0.029 | |

| | | | | |
|----|---|---------|-------|-------|
| 6 | रामकृपाल पि.रामेश्वर जाति चर्मकार पता सा.बहेरी नानकार भूमि स्वामी | 146/1 | 0.155 | 0.033 |
| 7 | मथुरा पि.रामेश्वर जाति चमार पता सा.वहेरानानकार भूमि स्वामी | 146/2 | 0.155 | |
| 8 | सुखलाल पि.रामेश्वर जाति चमार पता सा.वहेरीनानकार भूमि स्वामी | 146/3 | 0.156 | |
| 9 | कामलेश्वर सिंहविष्णुदेव सिंह,रावेन्द्र सिंह,रमागोविन्द सिंहपि.राजभान सिंह जाति सेगर पता सा.बहेरी भूमि स्वामी | 147/1 | 1.154 | 0.034 |
| 10 | शासकीय | 147/2 | 0.016 | |
| 11 | रामनिवास पि. कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 147/3 | 0.202 | |
| 12 | रामनिवास पि. कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 147/4 | 0.127 | |
| 13 | मुनीन्द्र कुमार पि. कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 154/1 | 0.352 | 0.019 |
| 14 | श्रीमती अनारकलीपति मंगलेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.सेमरिया भूमि स्वामी | 154/2 | 0.708 | |
| 15 | मंगलेश्वर प्रसादपि.बिहारीलाल जाति ब्रा. पता सा.सेमरिया भूमि स्वामी | 154/3 | 0.024 | |
| 16 | कुन्जमणि पि.श्यामलाल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 160/1 | 0.443 | 0.017 |
| 17 | चिन्तामणि पि.सवाईलाल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 160/2 | 0.437 | |
| 18 | श्यामलाल पिता बंशपती प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी | 162/1/1 | 0.231 | 0.015 |
| 19 | रघुनाथ प्रसाद पिता बंशपती कुर्मी जाति कर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 162/1/2 | 0.230 | |
| 20 | लखपति पिता बकलमुनि जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी | 162/2 | 0.461 | |
| 21 | अंजनी कुमारओमप्रकाश,सुरेश कुमार पि.छोटेाल भूमि स्वामी | 163/1 | 0.574 | 0.028 |
| 22 | हरिदर्शन,सियाशरण पिता विशेषर ,वृजकिशोर ,नन्दकिशोर ,श्यामकिशोर पिता चन्द्रकिशोर ,दिनेश कुमार पिता शत्रुसूदन,शैलेन्द्र कुमार ,ज्ञानेन्द्र कुमार ,जितेन्द्र कुमार पिता दिवाकर प्रसाद ,मुकुसुमलता बेबा दिवाकर प्रसाद पता सा0देह भूमि स्वामी | 163/2 | 1.174 | |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| 23 | गोपालनारायण पि.रामकृपालराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 167/1 | 1.116 | |
| 24 | प्रभाकर, सुधाकर कुशमाकर शिवानंद पि० विक्रमादित्य अर्पित कुमार पि० आत्मानाथ नावा० बली माता रामकली बेवा आत्मानाथ ब्रा० जाति ब्राम्हण पता सा० देह भूमि स्वामी | 167/2 | 1.004 | 0.051 |
| 25 | हरिदर्शन, सियाशरण पिता विशेषर, वृजकिशोर , नन्दकिशोर, श्यामकिशोर पिता चन्द्रकिशोर , दिनेश कुमार पिता शत्रुसूदन, शैलेन्द्र कुमार , जानेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार पिता दिवाकर प्रसाद, मु० कुसुमलता बेबा दिवाकर प्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी | 175 | 0.567 | 0.004 |
| 26 | रामसिया पि. महावीर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 173/1 | 0.097 | 0.025 |
| 27 | वालकृष्ण वालमुकुन्द पि. लल्लूराम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 173/2 | 0.097 | |
| 28 | मु० तारा पति तेजबली, अनारकली, राजेश्वर , रहसकली, आशुतोशशीला पिता तेजबली मु० संगीता पति विजय, सचिन पिता विजय , नाबा बली माता संगीता पति विजय जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 178 | 0.498 | 0.029 |
| 29 | मु० तारा पति तेजबली, अनारकली, राजेश्वर , रहसकली, आशुतोशशीला पिता तेजबली मु० संगीता पति विजय, सचिन पिता विजय , नाबा बली माता संगीता पति विजय जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 179 | 1.275 | 0.045 |
| 30 | राजेन्द्र कुमार, वेदमणि सुरेन्द्र बालेन्द्र रामकुशल पिता कृष्ण मुरारी जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 183/1 | 0.077 | 0.007 |
| 31 | राजबहोर, गोमती पिता मेवालाल, मु० सावित्री पत्नी मनमोहन, भूपेन्द्र, अभिनय पिता मनमोहन शेषमणि पि. मेवालाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 183/2 | 0.073 | |
| 32 | चिन्तामणि पि. सवाई लाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 183/3 | 0.028 | |
| 33 | कुन्जमणि पि. श्यामलाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 183/4 | 0.032 | |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| 34 | श्यामवती वेवा रामलाल संतोषकुमार अमित कुमार प्रकाशचन्द्र पि.रामलाल नितिनकुमार सचिनकुमार अनिल प्यूस अरुणकुमार सुवन वेवा अरुणकुमार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 184 | 0.611 | 0.015 |
| 35 | श्यामवती वेवा रामलाल संतोषकुमार अमित कुमार प्रकाशचन्द्र पि.रामलाल नितिनकुमार सचिनकुमार अनिल प्यूस अरुणकुमार सुवन वेवा अरुणकुमार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 185/1 | 0.328 | 0.025 |
| 36 | विनोद कुमार पि.भैयालाल जाति ब्रा. पता सा.देहभूमि स्वामी | 185/2 | 0.809 | |
| 37 | मु.बेवा इन्द्रमणि प्रसाद,रामनिवास छोटेला महेन्द्र प्रसाद बालमुकुन्द शेषमणि पि.इन्द्रमणि प्रसाद रामवती पुत्री इन्द्रमणि प्रसादमु.देववती बेवा साधूराम मु.सुखरजुआ बेवा हरिदत्त रत्नेश कुमार पि.हरिदत्त प्रसाद दिनेश कुमार राजकुमार रजनीश कुमार पि.साधूराम 1/2 भाग भूमि स्वामी श्रीनिवास पिता सूर्यप्रसाद ,गिरधारीलाल पिता गुरुप्रसाद मु0 सावित्री बेवा रामसिरोमणि ,संतोष कुमार पिता रामसिरोमणि व रामसजीवन ,अवधेश प्रसाद पिता गुरुप्रसाद रामप्रसाद पि. शिवपतिराम जाति ब्रा. पता सा.देह 1/2 भाग भूमि स्वामी | 188/1 | 1.082 | 0.030 |
| 38 | सुशील कुमार पि. कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 188/2 | 0.092 | |
| 39 | महेन्द्र प्रसाद पि.इन्द्रमणि प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 188/3 | 0.667 | |
| 40 | राजेन्द्र, रजनीश पिता लोकनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 190 | 1.092 | 0.016 |
| 41 | मोहनलाल पि.कौशलप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 191 | 0.615 | 0.016 |
| 42 | महेन्द्र कुमार पि.इन्द्रमणि प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 192 | 0.575 | 0.015 |

| | | | | |
|----|---|---------|-------|-------|
| 43 | श्रीमती ममता पत्नी प्रवीण किशोर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 141/1 | 0.061 | 0.020 |
| 44 | यज्ञभान वश.न. 101/4 भूमि स्वामी | 141/2 | 0.219 | |
| 45 | दीपकुमार, प्रदीप कुमार सुदीप कुमार राजेन्द्र पि. जमुना मोतीलाल अरुण कुमार पि. मालिक जाति कुर्मी पता सा. बहेरीनानकार भूमि स्वामी | 141/3 | 0.219 | |
| 46 | जगन्नाथ पि. महावीर जाति कोल पता सा. देह भूमि स्वामी | 141/4 | 0.254 | |
| 47 | कौशल प्रसाद पि. रामस्वरूप जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 158/1 | 0.036 | 0.009 |
| 48 | मनकामना प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद पि. रामस्वरूप राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 158/2 | 0.036 | |
| 49 | राजबहोर, गोमती प्रसाद पिता मेवालाल मु० सावित्री पत्नी मनमोहन, भूपेन्द्र, अभिनय पिता मनमोहन, शेषमणि पि. मेवालाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 159 | 0.223 | 0.030 |
| 50 | राजकुमार बृजराजकुमार उमेश कुमार विनोद कुमार पि शत्रुसूदन व मकसूदन पि शिवप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 161/1/क | 1.170 | 0.045 |
| 51 | ब्रम्हदेव, श्रद्धा पिता प्रभाकर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 161/1/ख | 0.121 | |
| 52 | शासकीय सड़क | 161/2 | 0.053 | |
| 53 | मु० तारा पति तेजबली, अनारकली, राजेश्वर , रहसकली, आशुतोशशीला पिता तेजबली मु० संगीता पति विजय, सचिन पिता विजय, नाबा बली माता संगीता पति विजय जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 174 | 0.243 | 0.018 |
| 54 | मु. प्रेमवती, वेवा रामनिवास निर्मला पत्नी सुदामा दीनकर दीपक पि. सुदामा, सन्तोष, गूगी, मुन्नी पि. रामनिवास विश्वनाथ लूदी पिता रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 172/1 | 0.866 | 0.003 |
| 55 | शासकीय सड़क | 172/2 | 0.032 | |
| 56 | यशोदा देवी पति श्यामलाल आशा देवी पुत्री श्यामलाल निशादेवी, रेनु देवी, अंकिता देवी, पिता श्यामलाल नाबा० बली माता यशोदा देवी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 172/3 | 0.202 | |

| | | | | |
|----|--|---------------|--------|-------|
| 57 | विक्रमादित्य पिता रामखेलावन जाति ब्रा. पता सा. सारी पट्टी (वास स्थान) तह0 मिर्जापुर 30प्र0 भूमि स्वामी | 172/5 | 0.020 | |
| 58 | रामसिया पि.महावीरराम जाति ब्रा. पता सा.देहभूमि स्वामी | 355/1/51 | 0.057 | 0.012 |
| 59 | वालकृष्ण वालमुकुन्द पि.लल्लूराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 355/2/51 | 0.057 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 59 कित्ता | 22.203 | 0.591 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग- | कुल 59 कित्ता | 22.203 | 0.591 |

क्रमांक 4070-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|---|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बहेरी नानकर 713 पटवारी हल्का 26 ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज | रामसजीवन पि.भगवत जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी | 121/1/1 | 0.281 | 0.044 |
| 2 | | मु0 जयमनिया वेवा शोभनाथ राजकुमार अंजनी सुरेश कुमार पि0 शोभनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 121/1/2 | 0.281 | |
| 3 | | बुद्धसेन पिता भगवत तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 121/1/3 | 0.282 | |
| 4 | | जगदीश प्रसाद पिता भगवत तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 121/1/4 | 0.282 | |
| 5 | | रामऔतार रामलालपि.साधू मु.तेरसी वेवा साधू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी | 121/2 | 0.562 | |

| | | | | |
|----|--|---------|-------|-------|
| 6 | मु0 नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह, राजअदित्य ,विजय सिंह ,वीरविक्रम सिंह पिता अरुण कुमार सिंह ,नाबा 0 बली माता नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह अरविन्द्र सिंह पि. कामतेश्वर सिंह जाति क्षत्रिय पता सा.देह भूमि स्वामी | 389/234 | 0.024 | 0.016 |
| 7 | हबीब मोहम्मद पि.ईनानी जाति मुसलमान पता सा.देह भूमि स्वामी | 124/1 | 0.101 | 0.021 |
| 8 | शाकिरमोहम्मद पि.दीनमोहम्मद जाति मुसलमान पता सा.देह भूमि स्वामी | 124/2 | 0.032 | |
| 9 | हबीब मोहम्मद पि.ईनानी जाति मुसलमान पता सा.देह भूमि स्वामी | 125 | 0.526 | 0.008 |
| 10 | साधु पि.दुलारे जाति लोहार पता सा.देह भूमि स्वामी | 118/1 | 0.340 | 0.039 |
| 11 | शोभनाथ पिता दुलारे जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 118/2 | 0.340 | |
| 12 | जयप्रकाश पि.अच्युतानन्द पता सा.देरा भूमि स्वामी | 126 | 0.756 | 0.050 |
| 13 | अशोक कुमार पि.कृष्णदेव सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 127 | 1.384 | 0.014 |
| 14 | भुवनेश्वर सिंह पि. श्रीनिवास सिंह सेगर जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी | 221/1 | 2.610 | 0.066 |
| 15 | म0प्र0 शासन (सडक) भूमि स्वामी | 221/2 | 0.004 | |
| 16 | मु0 नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह, राजअदित्य ,विजय सिंह ,वीरविक्रम सिंह पिता अरुण कुमार सिंह ,नाबा 0 बली माता नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह अरविन्द्रसिंह पि. कामतेश्वरसिंह जाति क्षत्रिय पता सा.देह भूमि स्वामी | 331/1 | 1.153 | 0.013 |
| 17 | म0प्र0 शासन (सडक) भूमि स्वामी | 331/2 | 0.004 | |
| 18 | नागेन्द्र सिंह पि.श्रीनिवास सिंह सेगर जाति क्षत्रिय पता सा.देह भूमि स्वामी | 330/1 | 0.825 | 0.057 |
| 19 | म0प्र0 शासन (सडक) भूमि स्वामी | 330/2 | 0.004 | |
| 20 | अजय कुमार पि. चन्द्रमणि जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 329/1/क | 0.401 | 0.033 |
| 21 | म0प्र0 शासन (सडक) भूमि स्वामी | 329/1/ख | 0.004 | |
| 22 | श्रीमती हेमराज पत्नी चन्द्रमणि प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देरा भूमि स्वामी | 329/2 | 0.490 | |

| | | | | |
|----|--|------------------------|-------|-------|
| 23 | मु० नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह , राजअदित्य, विजय सिंह ,वीरविक्रम सिंह पिता अरुण कुमार सिंह ,नाबा 0 वली माता नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह ,अरविन्द सिंह पिता कामतेश्वर सिंह 1/4 भाग भूमि स्वामी मु० नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह , राजअदित्य, विजय सिंह ,वीरविक्रम सिंह पिता अरुण कुमार सिंह ,नाबा 0 वली माता नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह ,अरविन्द सिंह पिता कामतेश्वर सिंह 1/4 भाग भूमि स्वामी विष्णूदेव सिंह राजेन्द्र सिंह मु स्नेहलता पति रमागोविन्द सिंह व नितिन पि रमागोविन्द पता सा. देह 3/4 भाग भूमि स्वामी विष्णूदेव सिंह राजेन्द्र सिंह मु स्नेहलता पति रमागोविन्द सिंह व नितिन पि रमागोविन्द पता सा. देह 3/4 भाग भूमि स्वामी | 357 | 0.304 | 0.001 |
| 24 | मु. किरण सिंह ,पत्नी बृजेन्द्र सिंह शिखर सिंह पि. वृजेन्द्रसिंह जाति क्षत्रीय पता सा.देह भूमि स्वामी | 327/1 | 1.505 | 0.057 |
| 25 | बालक पि.तिलकधारी जाति कहार पता सा.देह भूमि स्वामी | 327/2 | 0.008 | |
| 26 | अशोक कुमार पि.कृष्णदेव सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 359 | | 0.014 |
| 27 | अशोक कुमार पि.कृष्णदेव सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 360 शा. ख.न. 359 मे | | 0.001 |
| 28 | अशोक कुमार पि.कृष्णदेव सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 362 शा. ख.न. 359 मे | 1.093 | 0.012 |
| 29 | अशोक कुमार पि.कृष्णदेव सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 364 शा. ख.न. 359 मे | | 0.009 |
| 30 | अशोक कुमार पि.कृष्णदेव सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 363 शा. ख.न. 359 मे | | 0.012 |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------|-------|
| 31 | मु0 नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह , राजअदित्य, विजय सिंह ,वीरविक्रम सिंह पिता अरुण कुमार सिंह ,नाबा 0 वली माता नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह ,अरविन्द सिंह पिता कामतेश्वर सिंह 1/4 भाग भूमि स्वामी मु0 नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह , राजअदित्य, विजय सिंह ,वीरविक्रम सिंह पिता अरुण कुमार सिंह ,नाबा 0 वली माता नीलम पत्नी अरुण कुमार सिंह ,अरविन्द सिंह पिता कामतेश्वर सिंह 1/4 भाग भूमि स्वामी विष्णुदेव सिंह राजेन्द्र सिंह मु स्नेहलता पति रमागोविन्द सिंह व नितिन पि रमागोविन्द पता सा. देह 3/4 भाग भूमि स्वामी विष्णुदेव सिंह राजेन्द्र सिंह मु स्नेहलता पति रमागोविन्द सिंह व नितिन पि रमागोविन्द पता सा. देह 3/4 भाग भूमि स्वामी | 366/1 | 0.128 | 0.067 |
| 32 | रामेस्वर सिंह पि.तेजवलीसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी | 366/2 | 0.089 | |
| 33 | कृष्णदेव सिंह पि.तेजवली सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 366/3 | 0.085 | |
| 34 | राजेन्द्र सिंह,नागेन्द्र सिंह भुवनेश्वर सिंह पि. श्रीनिवास सिंह जाति सेगर पता सा.देह भूमि स्वामी | 366/4 | 0.089 | |
| 35 | शाकिरमोहम्मद पि.दीनमोहम्मद जाति मुसलमान पता सा.देह भूमि स्वामी | 123 | 0.109 | 0.008 |
| 36 | जगतप्रताप पि.कृष्णदेव सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी | 107 | 2.047 | 0.035 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 36 किता | 16.143 | 0.577 |
| 1 | शासकीय | 367 | 0.761 | 0.007 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 1 किता | 0.761 | 0.007 |
| | अ + ब का योग- | कुल 37 किता | 16.904 | 0.584 |

क्रमांक 4071-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मरुगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | भूमिस्वामी/अधिनोगी का नाम | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|---|---|---------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बहेरी चौवान 712 पटवारी हल्का 26 ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मरुगंज | नागेश्वर प्रसाद पिता केशवप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 289 | 1.214 | 0.032 |
| 2 | | सम्पूर्णानन्द, सन्तोष कुमारपिता गिरजा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 291/1 | 1.484 | 0.085 |
| 3 | | नागेश्वर प्रसाद पिता केशवप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी | 291/2 | 0.174 | |
| 4 | | कृष्णकुमार पि.कमला प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.अजगरहा तह.हुजूर जिला रीवा भूमि स्वामी | 291/3 | 0.405 | |
| 5 | | सियादुलारे वश.न. 31 भूमि स्वामी | 294 | 0.073 | 0.004 |
| 6 | | अवधशरण पि.शोभनाथ जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी | 295/1/क | 0.454 | 0.038 |
| 7 | | यज्ञशरण पि.शोभनाथ जाति ब्रा. पता | 295/1/ख | 0.454 | |
| | | सा. देह भूमि स्वामी | | | |
| | | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 7 किता | 3.804 | 0.159 |
| 1 | | शासकीय | 290 | 3.400 | 0.015 |
| | | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 1 किता | 3.400 | 0.015 |
| | | अ + ब का योग- | कुल 8 किता | 7.204 | 0.174 |

सुश्री संस्कृति जैन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्रमांक 66-एस.डब्ल्यू-एफ-44-2019

देवास, दिनांक 11 जनवरी 2019

पुलिस अधीक्षक देवास के पत्र क्रमांक/डीपीओ/देवास/एसी/170/171/2018 दिनांक 24.12.18 के अनुसार जिले के भीतर थानों का परिसीमन बातत जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा थाना विजयागंज मण्डी का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुये एवं शासन के पत्र क्रमांक एफ2(क)-10/2015/बी-3/दो भोपाल दिनांक 06.09.18 एवं पुलिस मुख्यालय के पृष्ठकंक क्रमांक/पुमु/18/योजना/3/103/2018 दिनांक 05.10.2018 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है।

अतः मैं डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स0-2 की धारा 2 के खण्ड एस0 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग देवास के पुलिस थाना क्षेत्र विजयागंज मण्डी देवास का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ:-

नवीन थाना विजयागंज मण्डी

| क्रमांक | पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसने से अपसर्जित किया जाना है। (थाना बीएनपी) | नवीन थाने का नाम | थाने से दूरी किमी. में | पुलिस थाना विजयागंज मण्डी देवास जिसमें समिन्वित किया जाना है। |
|---------|---|----------------------|---------------------------|---|
| 1 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 0 कि मी | विजयागंज मण्डी |
| 2 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 3 कि मी | भैरुनी |
| 3 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 3 कि मी | बरसेड़ा कायम |
| 4 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 7 कि मी | भानोली |
| 5 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 7 कि मी | सालमखेड़ी |
| 6 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 8 कि मी | मंगरोला |
| 7 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 10 कि मी | रामगढ़ जंगली |
| 8 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 3 कि मी | तुमड़ावदा |
| 9 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 9 कि मी | जीवाजीपुरा |
| 10 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 2 कि मी | बरसेड़ीमान |
| 11 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 4 कि मी | केवतपुरा |
| 12 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 6 कि मी | बबला |
| 13 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 8 कि मी | निजामड़ी |
| 14 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 14 कि मी | मुंछाहेड़ा |
| 15 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 10 कि मी | खजुरिया परमार |
| 16 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 7 कि मी | सुनवानी भोपाल |
| 17 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 3 कि मी | इतौतर |
| 18 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 14 कि मी | जवासिया |

| | | | | |
|----|-------------------|----------------------|----------|-----------------|
| 19 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 8 कि मी | धम्मानी |
| 20 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 3 कि मी | पंच मुंडला |
| 21 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 6 कि मी | सुमराखेड़ा |
| 22 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 6 कि मी | साबूखेड़ी |
| 23 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 12 कि मी | सिन्दुरिया |
| 24 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 13 कि मी | चापलाखेड़ी |
| 25 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 10 कि मी | हुतली |
| 26 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 8 कि मी | होशियारी |
| 27 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 15 कि मी | धजेपूर |
| 28 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 13 कि मी | ठमरोद |
| 29 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 10 कि मी | रालामंडल |
| 30 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 14 कि मी | सोण्ड |
| 31 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 17 कि मी | सिन्दनी हियापूर |
| 32 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 15 कि मी | कवड़ी |
| 33 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 16 कि मी | सिलावडी |
| 34 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 17 कि मी | जलालखेड़ी |
| 35 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 12 कि मी | नकलन |
| 36 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 12 कि मी | केलूखेड़ी |
| 37 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 13 कि मी | नरखेड़ी |
| 38 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 12 कि मी | लक्ष्मीपूरा |
| 39 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 14 कि मी | इलासखेड़ी |
| 40 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 20 कि मी | सिलाखेड़ी |
| 41 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 18 कि मी | झाना |
| 42 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 19 कि मी | उपडी |
| 43 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 18 कि मी | अकालिया |
| 44 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 11 कि मी | लसुहिया सोण्ड |
| 45 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 16 कि मी | मेरखेड़ी |
| 46 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 20 कि मी | मो. दुंगनी |
| 47 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 15 कि मी | मोपीखेड़ी |
| 48 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 19 कि मी | गोरखेड़ी |
| 49 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 17 कि मी | बोरखेड़ी फरू |
| 50 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 10 कि मी | सुतारखेड़ा |
| 51 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 17 कि मी | नरसला |
| 52 | थाना बीएनपी देवास | विजयागंज मण्डी देवास | 13 कि मी | बालाखेड़ी |

क्रमांक 68-एस.डब्ल्यू-एफ-44-2019

पुलिस अधीक्षक देवास के पत्र क्रमांक/डीपीओ/देवास/एसी/171/2018 दिनांक 24.12.18 के अनुसार जिले के भीतर थानों का परिसीमन बातत् जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा थाना हरणगांव का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुये एवं शासन के पत्र क्रमांक एफ2(क)-10/2015/बी-3/दो भोपाल दिनांक 06.09.18 एवं पुलिस मुख्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक/पुमु/18/योजना/3/103/2018 दिनांक 05.10.2018 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है।

अतः मैं डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स0-2 की धारा 2 के अण्ड एस0 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग अनुभाग कन्नौद के पुलिस थाना क्षेत्र हरणगांव का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ:-

नवीन थाना हरणगांव

| क्रमांक | पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसने से अपवर्जित किया जाना है। (थाना आतेगांव) | नवीन थाने का नाम | थाने से दूरी किमी. में | पुलिस थाना हरणगांव जिसमें सम्मिलित किया जाना है। |
|---------|---|------------------|---------------------------|---|
| 1 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 15 कि मी | अनेली |
| 2 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 20 कि मी | आमला |
| 3 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 35 कि मी | बरखेडी |
| 4 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 10 कि मी | बंड़ी |
| 5 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 30 कि मी | भीमताल |
| 6 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 12 कि मी | बन्दपुर |
| 7 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 25 कि मी | चांदला खेड़ा |
| 8 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 15 कि मी | गनोस |
| 9 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 3 कि मी | गोपालपुर |
| 10 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 18 कि मी | घोट मंडली |
| 11 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 0 कि मी | हरणगांव |
| 12 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 5 कि मी | जुनापानी खुर्द |
| 13 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 5 कि मी | जुनापानी बुजुर्ग |
| 14 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 20 कि मी | जिवनी खुर्द |
| 15 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 20 कि मी | जिवनी बुजुर्ग |
| 16 | थाना आतेगांव देवास | हरणगांव देवास | 30 कि मी | कुमनगांव |

| | | | | |
|----|-------------------|---------------|----------|----------------|
| 17 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 15 कि मी | अतामऊ |
| 18 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 25 कि मी | ककडदी |
| 19 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 3 कि मी | करोंद बुजुर्ग |
| 20 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 4 कि मी | करोंद खुर्द |
| 21 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 5 कि मी | काकडकुई |
| 22 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 35 कि मी | कोलारी |
| 23 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 22 कि मी | कालीबाई |
| 24 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 22 कि मी | किशनपुर |
| 25 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 12 कि मी | लिंगापानी |
| 26 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 8 कि मी | लकड़ानी |
| 27 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 12 कि मी | मघवास |
| 28 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 20 कि मी | मनोरा |
| 29 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 28 कि मी | नंदाछाई |
| 30 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 15 कि मी | निवास्दी |
| 31 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 30 कि मी | औकरय |
| 32 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 20 कि मी | पोंचापुरा |
| 33 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 18 कि मी | पटानी |
| 34 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 12 कि मी | पलासी |
| 35 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 22 कि मी | रीछी खो |
| 36 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 7 कि मी | रतनपुर |
| 37 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 7 कि मी | सिरालिया खुर्द |
| 38 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 34 कि मी | सातल |
| 39 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 25 कि मी | सामोनिचा |
| 40 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 15 कि मी | सातागोंव |
| 41 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 7 कि मी | सिलफोड़खेड़ा |
| 42 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 5 कि मी | सुलगांव |
| 43 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 3 कि मी | सतनगरी |
| 44 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 30 कि मी | उतायली |
| 45 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 10 कि मी | उमेछा |
| 46 | थाना आतेगाव देवास | हरणगांव देवास | 20 कि मी | विक्रमपुर |

श्रीकांत पाण्डेय, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

प्र. क्र. 01-अ-82-2018-2019.—

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

—:अनुसूची:—

| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर में) लगभग | धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|-------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| दतिया | दतिया | दीवान की रूंद्र | रकवा 0.10 हे.एवं भूमि पर स्थित छोला के 2 वृक्ष, नीम का 1 वृक्ष, पक्की बाउण्ड्री वाल 1.5 मी.ऊ 80 मी.ल. 0.23 मी. चौ. कुल 27.60 घनमीटर | संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर | दतिया जिले के अन्तर्गत दतिया बायपास मार्ग के निर्माण हेतु |

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:— भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:— संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर (म.प्र.)के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10775-भू-अर्जन-2018

छिन्दवाड़ा, 28 दिसम्बर 2018

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2017-2018/ल0सि0 /31/677 भोपाल, दिनांक 05 अप्रैल 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------------|--------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| छिन्दवाड़ा | मोहखेड | ग्राम-जाखावाडी, प0ह0न-72, ब.न.-196 रा.नि.म.— इकलबिहरी | रकबा-06.780 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां। | भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौसर जिला छिन्दवाड़ा | जाखावाडी जलाशय नहर रहित के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग कमांक-2, छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10776-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2017-2018/ल0सि0 /31/677 भोपाल, दिनांक 05 अप्रैल 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------------|---------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| छिन्दवाड़ा | मोहखेड़ | ग्राम-थावरीखुर्द, प0ह0न0 -72 ब.न.-257 रा.नि.मं.- इकलबिहरी | रकबा-0.600 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां। | भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा | जाखावाडी जलाशय के नहर रहित के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग कर्माक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्क्ष प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्रमांक0-04-82-2017-2018-भू-अर्जन.—

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 जनवरी 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

| जिला | तहसील | नगर/ ग्राम | कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता | खसरा नम्बर | कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) | योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है। |
|------------|-------|--|--|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| छिन्दवाड़ा | सौंसर | ग्राम-छत्रापुर प0ह0न0- 27/12 ब0न0-114, रा0नि0म0- सौंसर, | धनराज पिता शामराव पवार निवासी ग्राम -पंधराखेडी भूमि स्वामी | 294/1 | 0.067 | अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये। |
| | | कुल योग | | 1 | 0.067 हेक्टेयर | |

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 191-प्रस्तु-भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 जनवरी 2019

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-सीदप, मोरखा,हरदुआरैयत, बादगॉव, लालगॉव, चन्दनगांव, बतरी, तितरी एवं बाडीवाडा, पांजरा,मोहगांवकला, खूटपिपरिया, केरिया,झिरिया,राजलवाडी,आमाझिरी,मुआरी, उदादौन, पलटवाडा, मेढावानी, मरकाहांडी इस प्रकार कुल-21 ग्रामों के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा-11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में क्रमशः दिनांक 01 दिसम्बर 2017 एवं 08 दिसम्बर 2017 को किया गया है।

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के पत्र क्रमांक 3285/कार्य/भू-अर्जन/2018-19 सिंगना दिनांक 03.12.2018 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा-19 (7) उपधारा-1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1837-प्रशा.-भू-अर्जन-2017

रीवा, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने एक स चार म वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने छः में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने पाँच में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूँकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|---------|----------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| रीवा | सिरमौर | दुबगवाँ | 0.100 हे. | कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.) | बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन। |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1842-भू-अर्जन-2018-19

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूँकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (है.मै.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|-------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | तिघरा | 2.100 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क० 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की लैन बधरी सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 2.100 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1844-भू-अर्जन-2018-19

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (है.मै.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|-------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | खरहरी | 1.150 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क० 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की लैन बधरी सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 1.150 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1846-भू-अर्जन-2018-19

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वाणेत भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (हे.मै.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|-------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | नादाझर | 1.650 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क0 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की बेला सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 1.650 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता

क्र. 1848-भू-अर्जन-2018-19

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (है.मै.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|-------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | लेन | 2.450 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र0 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की लैन बधरी सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 2.450 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1850-भू-अर्जन-2018-19

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (है.मै.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|-------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | पटेहरा | 1.600 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र0 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की बेला सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 1.600 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है:—

क्र. 1852-भू-अर्जन-2018-19

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (है.में.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|--------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | बड़ागांव | 3.200 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क0 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की बेला सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 3.200 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1854-भू-अर्जन-2018-19

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (है.में.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|--------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | बधरी | 3.100 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क0 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की लैन बधरी सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 3.100 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1856-भू-अर्जन-2018-19

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

॥ अनुसूची ॥

| भूमि का वितरण जिला | | | लगभग क्षेत्रफल (है.में.) | धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------|---------|-----------|--------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| रीवा | सेमरिया | बेला | 3.300 | कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क0 2 सतना जिला सतना (म.प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की टेल माइनर की बेला सबमाइनर नहर निर्माण हेतु। |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | योग | 3.300 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 जनवरी 2019

नस्ती क्रमांक 102-एल.ए.-2017-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-2-अ-82-2017-18.—

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित आंबलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक लोक हित अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से

छूट प्रदान की गई है। इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

// अनुसूची //

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-------------|-----------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम / नगर | लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| खण्डवा | खालवा | रोशनी | 3.57 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा | आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्रमांक 102-एल.ए.-2017-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-2-अ-82-2017-18.—

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम रोशनी प.ह.नं. 62 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 3.57 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पंश किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से सम्बन्धित होने के कारण म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं विशेष गढ़पाले कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन विधि एवं विधिी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्ययदेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ।

// अनुसूची //

| स.क्र. | जिला | तहसील | प.ह.नं. | ग्राम का नाम | प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हेक्टेयर में | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------|--------|-------|---------|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | खण्डवा | खालवा | 62 | रोशनी | 3.57 | आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु |

नोट :- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, एवं समुचित
सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. 379-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—भातलपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 299/1 | 0.550 |
| योग . | <u>0.550</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.”
- (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 380-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बंझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—42.918 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 524/1 | 0.465 |
| 524/2 | 0.370 |
| 524/3 | 0.455 |
| 524/4 | 1.560 |
| 524/5 | 0.340 |
| 524/9 | 0.650 |
| 524/10/2, 524/11 | 1.140 |
| 525/2 | 0.036 |
| 526 | 0.090 |
| 533/2 | 0.050 |
| 534/1 | 0.526 |
| 534/2 | 0.506 |
| 534/3 | 3.500 |
| 534/4 | 1.825 |
| 534/5 | 0.425 |
| 534/6 | 2.246 |
| 534/7 | 1.255 |
| 534/8 | 0.911 |
| 534/9 | 5.585 |
| 535, 536/1, 536/2 | 3.670 |
| 540/1, 540/2 | 1.659 |

| | |
|---------------------|---------------|
| (1) | (2) |
| 540/3, (543, 544)/2 | 2.004 |
| 542/1 | 0.323 |
| 542/2 | 1.448 |
| 543/1, 544/1 | 0.295 |
| 545, 546 | 2.640 |
| 548/1 | 1.121 |
| 548/2 | 0.991 |
| 549/1 | 0.445 |
| 550 | 0.437 |
| 549/2 | 1.650 |
| 553 | 3.800 |
| 556/1/2 | 0.300 |
| 614/2 | 0.200 |
| योग . | <u>42.918</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.”

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

पत्र क्र. 1833-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—अमिरती

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.102 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 599 | 0.012 |
| 600 | 0.030 |
| 601 | 0.024 |
| 1251 | 0.024 |
| योग . | <u>0.102</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत सहिजना माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1835-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—सहिजना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.033 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 559/3 | 0.010 |
| 74 | 0.023 |
| योग. | 0.033 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत सहिजना माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

पत्र क्र. 1859-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—सिरसा-544
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|--------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 290 | 0.100 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : | 0.100 |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----------------------------------|-------|
| मध्य प्रदेश शासन की भूमि का योग : | 0.000 |
| अ+ब का योग : | 0.100 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर, परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1861-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—धवैया-289
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.056 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|--------------------------------|-------|
| 354 | 0.056 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : | 0.056 |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----------------------------------|-------|
| मध्य प्रदेश शासन की भूमि का योग : | 0.000 |
| अ+ब का योग : | 0.056 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1863-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—गंगेव नं. 1, 120
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.262 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

3 0.062
332 0.200

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 0 0.262

ब—म. प्र. शासन की भूमि

मध्य प्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग : 0.262

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1865-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—घोपी-151
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.039 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

2240 0.014
2243 0.006
2244 0.011
2245 0.008

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.039

ब—म. प्र. शासन की भूमि

मध्य प्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग : 0.039

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1867-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—मोहगढ़ 511
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.190 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 201 | 0.044 |
| 199 | 0.007 |
| 198 | 0.052 |
| 259 | 0.045 |
| 255 | 0.042 |

निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.190

ब—म. प्र. शासन की भूमि

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.000
अ+ब का योग : 0.190

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1869-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—दुवगमा-240
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.014 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 196 | 0.014 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.014</u> |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.000
अ+ब का योग : 0.014

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह के माइनर क्र. 12 के ब्रांच माइनर एवं ब्रांच सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1871-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

| (ग) ग्राम—मढ़ी खुर्द-437 | (1) | (2) |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.742 हेक्टेयर. | 337 | 0.047 |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा | |
| | (हे. में) | |
| (1) | (2) | |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | | |
| 83 | 0.046 | 435 |
| 82 | 0.050 | 436 |
| 84 | 0.085 | 437 |
| 1076 | 0.008 | 445 |
| 130 | 0.044 | 447 |
| 129 | 0.074 | 446 |
| 132 | 0.009 | 625 |
| 127 | 0.037 | 626 |
| 126 | 0.051 | 648 |
| 133 | 0.024 | 650 |
| 204 | 0.016 | 647 |
| 203 | 0.075 | 646 |
| 202 | 0.087 | 180 |
| 200 | 0.044 | 300 |
| 201 | 0.020 | 186 |
| 198 | 0.037 | 187 |
| 199 | 0.016 | 191 |
| 196 | 0.120 | 192 |
| 185 | 0.037 | 194 |
| 184 | 0.057 | 226 |
| 183 | 0.001 | 273 |
| 181 | 0.030 | 270 |
| 182 | 0.128 | 269 |
| 176 | 0.005 | 265 |
| 179 | 0.082 | 264 |
| 178 | 0.001 | 263 |
| 303 | 0.136 | 255 शा. नं. 235 |
| 161 | 0.020 | 256 शा. नं. 235 |
| 305 | 0.092 | 254 |
| 306 | 0.064 | 258 |
| 311 | 0.011 | 253 |
| 312 | 0.087 | 1071/342 |
| 320 | 0.102 | 243 |
| 338 | 0.050 | |
| | | निजी पट्टे की भूमि का योग : |
| | | <u>3.680</u> |

| (1) | (2) |
|----------------------------------|-------|
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| 197 | 0.025 |
| 1061/334 | 0.020 |
| 1057/215 | 0.005 |
| 188 | 0.012 |
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | 0.062 |
| अ+ब का योग : | 3.742 |

| (1) | (2) |
|----------------------------------|-------|
| 1045 | 0.043 |
| 1031 | 0.165 |
| 1030 | 0.002 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | 0.637 |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | 0.000 |
| अ+ब का योग : | 0.637 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1873-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—धुचियारी-150
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.637 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1402/1047 | 0.220 |
| 927 | 0.007 |
| 1047 | 0.132 |
| 929 | 0.062 |
| 1046 | 0.006 |

पत्र क्र. 1875-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—टिकुरी-191
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.295 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 420 | 0.370 |
| 419 | 0.191 |
| 418 | 0.203 |
| 422 | 0.015 |
| 423 | 0.061 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) | (2) |
| 424 | 0.100 |
| 426 | 0.019 |
| 425 | 0.057 |
| 2078 | 0.132 |
| 656 | 0.077 |
| 632 | 0.006 |
| 2051 | 0.004 |
| 702 | 0.060 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>1.295</u> |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|----------------------------------|--------------|
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग : | <u>1.295</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1877-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—कुइया कला 90
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 932 | 0.005 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.005</u> |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|----------------------------------|--------------|
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग : | <u>0.005</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1879-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—ऐतला 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.018 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 199 | 0.018 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.018</u> |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|----------------------------------|--------------|
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग : | <u>0.018</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 13 ” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1881-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—अमिलिया 16
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.005 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 819 | 0.005 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.005</u> |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|----------------------------------|--------------|
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग : | <u>0.005</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 ” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1883-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—महसुआ 516

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.013 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 345 | 0.013 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.013</u> |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|----------------------------------|--------------|
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग : | <u>0.013</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16 एवं 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1885-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—सुरसा खुर्द 610
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.479 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 168 | 0.007 |
| 316 | 0.029 |
| 317 | 0.155 |
| 323 | 0.008 |
| 321 | 0.072 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) | (2) |
| 322 | 0.016 |
| 327 | 0.010 |
| 332 | 0.044 |
| 333 | 0.042 |
| 337 | 0.014 |
| 336 | 0.012 |
| 335 | 0.028 |
| 334 | 0.042 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.479</u> |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|----------------------------------|--------------|
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग : | <u>0.479</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1887-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
 (ग) ग्राम—सुरसा कला 609
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.454 हेक्टेयर.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 951 | 0.001 |
| 947 | 0.013 |
| 946 | 0.033 |

| | |
|-----|-------|
| (1) | (2) |
| 945 | 0.031 |
| 932 | 0.090 |
| 938 | 0.029 |
| 937 | 0.033 |
| 936 | 0.133 |
| 869 | 0.020 |
| 870 | 0.018 |
| 876 | 0.015 |
| 873 | 0.051 |
| 872 | 0.074 |
| 826 | 0.037 |
| 825 | 0.078 |
| 727 | 0.032 |
| 728 | 0.038 |
| 726 | 0.046 |
| 729 | 0.042 |
| 723 | 0.003 |
| 705 | 0.063 |
| 704 | 0.126 |
| 703 | 0.039 |
| 702 | 0.007 |
| 694 | 0.049 |
| 693 | 0.031 |
| 695 | 0.002 |
| 635 | 0.012 |
| 633 | 0.059 |
| 582 | 0.002 |
| 584 | 0.083 |
| 587 | 0.159 |
| 588 | 0.005 |

निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.454

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|----------------------------------|--------------|
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग : | <u>1.454</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1889-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कचुलियान
(ग) ग्राम—रोर 561
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.125 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 90 | 0.009 |
| 91 | 0.024 |
| 92 | 0.001 |
| 80 | 0.001 |
| 79 | 0.028 |
| 78 | 0.004 |
| 77 | 0.005 |
| 53 | 0.008 |
| 54 | 0.020 |
| 57 | 0.014 |
| 58 | 0.007 |
| 62 | 0.001 |
| 43 | 0.002 |
| 42 | 0.001 |

निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.125

ब—म. प्र. शासन की भूमि

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.000
अ+ब का योग : 0.125

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1891-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—नीवी भाई बांट-551
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.911 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1 | 0.067 |
| 2 | 0.081 |
| 4 | 0.066 |
| 5 | 0.034 |
| 8 | 0.032 |
| 7 | 0.022 |
| 22 | 0.004 |
| 23 | 0.067 |
| 24 | 0.014 |
| 26 | 0.020 |
| 27 | 0.114 |
| 33 | 0.008 |
| 31 | 0.080 |
| 42 | 0.110 |
| 41 | 0.087 |
| 43 | 0.037 |
| 45 | 0.056 |

निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.899

ब—म. प्र. शासन की भूमि

46 0.012

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.012
अ+ब का योग : 0.911

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1893-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—जोधपुर-357
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.502 हेक्टेयर

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|

| (1) | (2) |
|-----|-----|
|-----|-----|

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 254 | 0.004 |
| 163 | 0.051 |
| 164 | 0.008 |
| 165 | 0.003 |
| 166 | 0.002 |
| 5 | 0.144 |
| 2 | 0.146 |
| 6 | 0.090 |

निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.448

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 4 | 0.033 |
| 1 | 0.013 |
| 159 | 0.008 |

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.054

अ+ब का योग : 0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1895-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—नवागांव 314
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.627 हेक्टेयर

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|

| (1) | (2) |
|-----|-----|
|-----|-----|

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 801 | 0.002 |
| 802 | 0.053 |
| 796 | 0.040 |
| 727 | 0.163 |
| 726 | 0.045 |
| 718 | 0.256 |
| 719 | 0.045 |
| 611 | 0.225 |
| 612 | 0.055 |
| 613 | 0.051 |
| 598 | 0.106 |
| 599 | 0.053 |
| 600 | 0.048 |
| 592 | 0.141 |
| 589 | 0.094 |
| 588 | 0.084 |

निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.461

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 728 | 0.166 |
|-----|-------|

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.166

अ+ब का योग : 1.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1897-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—पुरैना-380
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.059 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|

| | |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 710 | 0.023 |
| 718 | 0.012 |
| 719 | 0.014 |
| 721 | 0.005 |

निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.054

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 717 | 0.005 |
|-----|-------|

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.005

अ+ब का योग : 0.059

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1899-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मदरी-440
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.014 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|

| | |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 514 | 0.014 |
|-----|-------|

निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.014

ब—म. प्र. शासन की भूमि

मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग : 0.014

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1901-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

| | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| (ग) ग्राम—सिसवा-546 | | (1) | (2) |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर. | | 21 | 0.030 |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा | 22 | 0.046 |
| | (हे. में) | 24 | 0.037 |
| (1) | (2) | 37 | 0.021 |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | | 25 | 0.010 |
| 333 | 0.001 | 38 | 0.004 |
| 334 | 0.046 | 42 | 0.045 |
| 335 | 0.001 | 60 | 0.013 |
| निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.048</u> | निजी पट्टे की भूमि का योग : | <u>0.406</u> |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | | ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.000</u> | 53 | 0.021 |
| अ+ब का योग : | <u>0.048</u> | मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : | <u>0.021</u> |
| | | अ+ब का योग : | <u>0.427</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1903-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

| | |
|------------------------------------|-------------|
| (क) जिला—रीवा | |
| (ख) तहसील—सिरमौर | |
| (ग) ग्राम—हटरी-570 | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.427 हेक्टेयर. | |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा |
| | (हे. में) |
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 5 | 0.084 |
| 8 | 0.052 |
| 15 | 0.034 |
| 19 | 0.030 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 25 एवं सबमाइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 29-अ-82-2017-18-6589.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—शहडोल

| (ख) तहसील—सोहागपुर | (1) | (2) |
|------------------------------------|--------------|---------|
| (ग) ग्राम—पठरा | 199/1 | 0.024 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.496 हेक्टेयर. | 199/2 | 0.024 |
| खसरा नंबर | अर्जित रकबा | |
| (1) | (हेक्टर में) | |
| 569 | 0.128 | 240 |
| 630 | 0.048 | 241 |
| 615 | 0.080 | 242/1/1 |
| 616 | 0.096 | 24/1/2 |
| 626 | 0.080 | 251/1 |
| 627 | 0.016 | 253 |
| 629 | 0.048 | 275/1क |
| योग . . | 0.496 | 275/1ख |
| | | 276/2क |
| | | 280/1 |
| | | 284/1 |
| | | 286/1 |
| | | 286/2 |
| | | 286/3 |
| | | 290/1 |
| | | 290/2 |
| | | 396/2 |
| | | 680/2 |
| | | 682/1 |
| | | 682/2 |
| | | 691/1 |
| | | 691/2 |
| | | 692/2 |
| | | 693 |
| | | 712/1 |
| | | 712/2 |
| | | 712/3 |
| | | 712/4 |
| | | 712/5 |
| | | 718/1 |
| | | 735/1 |
| | | 735/2 |
| | | योग . . |
| | | 2.744 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—केलमनिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.-28- अ-82-2017-18-57.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—केलमनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.744 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा |
|-----------|--------------|
| (1) | (हेक्टर में) |
| 193/2 | 0.205 |
| 193/3 | 0.205 |
| 194 | 0.202 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—केलमनिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. 183-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है, इसीलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन हेतु पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—छपारा
(ग) ग्राम—चंदेनी, प.ह.नं. 14, रा.मि.मं.-चमारीखुर्द,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.94 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 46 | 0.06 |
| 52/2 | 0.04 |
| 52/1 | 0.04 |
| 53/2 | 0.03 |
| 55 | 0.05 |
| 54 | 0.01 |
| 60/5 | 0.12 |
| 60/4 | 0.02 |
| 66/2 | 0.11 |
| 66/4 | 0.03 |
| 66/5 | 0.03 |
| 66/1 | 0.07 |
| 67/2 | 0.01 |
| 66/3 | 0.01 |
| 69 | 0.06 |
| 72/2 | 0.14 |
| 76/1 | 0.07 |
| 70 | 0.04 |
| योग . . . | 0.94 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—तिन्सा जलाशय के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 184-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है, इसीलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन हेतु पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—छपारा
(ग) ग्राम—तिन्सा, प.ह.नं. 14, रा.मि.मं.-चमारीखुर्द,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.55 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 67 | 0.37 |
| 44 | 0.82 |
| 66/1 | 0.16 |
| 45/1 | 0.17 |
| 66/2 | 0.17 |
| 45/2 | 0.16 |
| 65 | 1.34 |
| 63 | 1.23 |
| 62 | 1.59 |
| 60 | 1.01 |
| 54 | 0.07 |
| 59 | 0.40 |
| 51 | 0.33 |
| 50 | 0.70 |
| 48/1 | 0.65 |
| 48/2 | 0.73 |
| 48/3 | 0.76 |
| 40 | 0.28 |
| 43 | 0.20 |
| 41 | 0.09 |
| 38 | 0.30 |
| 37 | 0.02 |
| योग . . . | 11.55 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—तिन्सा जलाशय के अंतर्गत डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 185-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है, इसीलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन हेतु पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—छपारा
- (ग) ग्राम—तिन्सा, प.ह.नं. 14, रा.मि.म.-चमारीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.44 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 95 | 0.12 |
| 112/1 | 0.39 |
| 112/2 | 0.09 |
| 114 | 0.08 |
| 115 | 0.04 |
| 116/2 | 0.07 |
| 83 | 0.08 |
| 84 | 0.06 |
| 95 | 0.01 |
| 108/1 | 0.13 |
| 108/2 | 0.05 |
| 108/3 | 0.05 |
| 107/1 | 0.01 |
| 108/4 | 0.01 |
| 107/2 | 0.10 |
| 152/2 | 0.12 |
| 152/3 | 0.03 |
| योग . . | 1.44 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—तिन्सा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर एवं माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 186-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है, इसीलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन हेतु पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—बरघाट
- (ग) ग्राम—साल्हेकलॉ, प.ह.नं. 66, रा.मि.मं.-बरघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.30 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 817/3 | 0.11 |
| 817/2 | 0.15 |
| 821 | 0.14 |
| 824 | 0.15 |
| 810 | 0.10 |
| 813/1 | 0.10 |
| 734/5 | 0.50 |
| 638/2 | 0.05 |
| योग . . | 1.30 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—कांचनामंडी जलाशय के अंतर्गत स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु अतिरिक्त भूमि निर्माण कार्य.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढ़ायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2019

क्र. A-12-दो-2-25-2017.—श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवराज बोहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-21-दो-2-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-45-दो-2-57-2014.—श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 29 अक्टूबर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-48-दो-2-23-2017.—श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 19 अगस्त 2016 से 18 अगस्त 2018 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-52-दो-3-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्र. D-12-दो-2-10-2017.—श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2018 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-14-दो-2-57-2014.—श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 9 से 11 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 एवं 8 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2019

क्र. C-19-दो-3-75-2009.—श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 10 से 13 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. भदौरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-26-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-24-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2018 तक

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2019

क्र. D-68-दो-2-17-2018.—श्री बी. एस. औहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. औहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. औहरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-70-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 अक्टूबर का एवं 14 नवम्बर 2018 का कुल दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2019

क्र. B-28-दो-2-73-2018.—श्री जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 27 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगिन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (परीक्षा), के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-50-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, सदस्य सचिव, एस.सी.एम.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ, सदस्य सचिव, एस.सी.एम.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो सदस्य सचिव, एस.सी.एम.एस. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.